सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
स्थानीय निकायों पर
प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष हेतु

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या – 3

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
स्थानीय निकायों पर
प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष हेतु

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या – 3

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
भाग – अ		
अध्याय I		
पंचायती राज संस्थाओं के कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक संरचना	1.2	2
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यपद्धति	1.3	3
विभिन्न समितियों का गठन	1.4	5
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.5	6
लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया	1.6	7
लोकपाल	1.7	8
सामाजिक अंकेक्षण	1.8	8
उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रस्तुतीकरण	1.9	9
पंचायती राज्य संस्थाओं का आंतरिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक नियत्रंण	1.10	9
वित्तीय प्रतिवेदित मामले	1.11	9
अध्याय II		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
सरगुजा जिले में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्तीय प्रबंधन एवं योजनाओं का क्रियान्वयन	2.1	15
भाग – ब		
अध्याय III		
नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	3.1	31
नगरीय स्थानीय निकायों का संगठनात्मक संरचना	3.2	33
नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति	3.3	33
विभिन्न समितियों का गठन	3.4	35
लेखापरीक्षा व्यवस्था	3.5	35
लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया	3.6	36
लोकपाल	3.7	37
सामाजिक अंकेक्षण	3.8	38
संपत्ति कर बोर्ड	3.9	38
सेवा–स्तर के मानक	3.10	38
अग्नि संकट से निपटने की व्यवस्था	3.11	38
उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रस्तुतीकरण	3.12	39
नगरीय स्थानीय निकायों का आंतरिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण	3.13	39
वित्तीय प्रतिवेदित मामले	3.14	40

अध्याय IV		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
राजस्व संग्रहण सहित नगरीय निकायों द्वारा स्व–राजस्व का प्रबंधन	4.1	47
अध्याय V		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किया जाना	5.1	75
निष्फल व्यय	5.1.1	75
दुकानदारों को अनुचित लाभ एवं राजस्व की हानि	5.1.2	77
ई.पी.एफ. अधिनियम के पालन में विफलता	5.1.3	78

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्र.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.1.1	बजट आबंटन और व्यय को दर्शाने वाला विवरण	2.1.2	81
2.1.2	बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण	2.1.2.1	82
2.1.3	जनपद पंचायत के बजट अनुमान को शामिल किये बिना ही जिला पंचायत के बजट अनुमान को अंतिम रूप दिये जाने का विवरण	2.1.2.1	82
2.1.4	बकाया अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण	2.1.2.1	83
2.1.5	सरपंचो से वसूली योग्य राशि को दर्शाने वाला विवरण	2.1.2.1	84
2.1.6	जलाशय लीज की बकाया ब्याज की वसूली को दर्शाने वाला विवरण	2.1.3.3	85
2.1.7	मीटिंग हॉल का वसूली योग्य किराये को दर्शाने वाला विवरण	2.1.3.4	86
2.1.8	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष अंतर्गत कार्य के पूर्णता में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण	2.1.4.1	87
2.1.9	अपूर्ण कार्यो के कारण अवरूद्ध राशि को दर्शाने वाला विवरण	2.1.4.1	89
2.1.10	मनरेगा में अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अतिरिक्त अन्य कार्यों का विवरण	2.1.4.2	90
2.1.11	मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में विलम्ब का विवरण	2.1.4.2	91
2.1.12	मनरेगा के अंतर्गत प्रशासनिक मद पर अधिक व्यय का विवरण	2.1.4.2	94
2.1.13	टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त किये बिना क्रियान्वयन एजेन्सी को किये गये भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	2.1.4.4	95
2.1.14	कम दर पर पेंशन भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	2.1.4.5	97
2.1.15	पेंशन प्रकरणों के निर्णय में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण (निर्णय 7+60 दिनों में)	2.1.4.5	98
4.1.1	नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बजट का अंतिम रूप देने में विलम्ब का विवरण	4.1.8.1	99
4.1.2	अनुमानित बजट एवं वास्तविक आय–व्यय के आंकड़ों मे अंतर दर्शाने वाला विवरण	4.1.8.2	100
4.1.3	म्युनिसपल फण्ड अवरूद्ध रहना	4.1.8.5	102

परिशिष्ट			
परिशिष्ट क्र.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
4.1.4	छोड़े गये सम्पत्तियों का विवरण	4.1.9.1	102
4.1.5	सम्पत्ति कर एवं समेकित कर में सम्मिलित मकानों	4.1.9.1	103
4.1.6	संपत्ति कर की वसूली में कमी	4.1.9.1	103
4.1.7	समेकित कर की वसूली में कमी	4.1.9.2	104
4.1.8	जल कनेक्शनों में कमी	4.1.9.3	104
4.1.9	जलकर की वसूली में कमी	4.1.9.3	105
4.1.10	उपभोक्ता प्रभार का नहीं लगाना	4.1.9.4	106
4.1.11	विज्ञापन कर की कम वसूली	4.1.9.5	106
4.1.12	प्रीमियम/किराया आदि की वसूली में कमी	4.1.9.6	107
4.1.13	ठेकेदारों द्वारा कम जमा	4.1.9.6	108
4.1.14	अटल आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों का किस्त की कम वसूली	4.1.9.6	109
4.1.15	आई.एच.एस.डी.पी. योजना के अंतर्गत लाभान्वितों से अंशदान वसूली नहीं किया जाना	4.1.9.6	109
4.1.16	नगरीय निकायों का वित्तीय धारणीयता	4.1.9.7	110
4.1.17	कर्मचारियों की कमी	4.1.9.8	110
4.1.18	चयनित नगरीय स्थानीय निकायों का बकाया देनदारियां	4.1.10.2	111
4.1.19	प्लेसमेंट स्टाफ को ई.पी.एफ. का अधिक भुगतान	4.1.10.3	112
4.1.20	बिजली बिलों पर अधिभार का परिहार्य भुगतान	4.1.10.3	113
4.1.21	उर्जा विकास उपकर का परिहार्य भुगतान	4.1.10.3	113
4.1.22	अस्थायी अग्रिमों का समायोजन नहीं होना	4.1.10.3	114
4.1.23	संचित निधि में कम जमा	4.1.10.4	114
4.1.24	ब्याज का हानि	4.1.10.4	115
5.1.1	बकाया दुकान प्रीमियम एवं किराया को दर्शाने वाला विवरण	5.1.2	116
5.1.2	कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान का विवरण	5.1.3	119

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 अंतर्गत मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य के पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों सहित संबंधित विभागों के लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में प्रकाश में आये प्रकरणों के साथ–साथ वैसे प्रकरण, जो पूर्व वर्षो में प्रकाश में आये, परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके, आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपन्न किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में पाँच अध्याय हैं। अध्याय एक एवं तीन में क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन शामिल है। अध्याय दो एवं अध्याय पाँच में क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 'सरगुजा जिले में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्तीय प्रबंधन एवं योजनाओं का क्रियान्वयन' तथा नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित तीन लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल हैं। अध्याय चार में नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित 'राजस्व संग्रहण सहित नगरीय निकायों द्वारा स्व–राजस्व का प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल है। इस प्रदिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा में शामिल लेखापरीक्षा परिणामों का कुल मूल्य राशि ₹ 187.27 करोड़ है।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर लेखापरीक्षा संचालित किया गया है। लेखापरीक्षा के नमूने सांख्यिकी नमूना एवं जोखिम आधारित अनुमान के निष्कर्ष के आधार पर लिये गये है। निष्पादन लेखापरीक्षा में विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रणाली अपनाई गयी है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा अनुशंसायें शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गयी है। इस विहंगावलोकन में लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया गया है।

1. पंचायती राज संस्थाओं के कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा 2011–16 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के 450 इकाईयों का लेखापरीक्षण किया गया एवं 2868 आपत्तियाँ जारी किये गये थे जिसमें से 2835 (99 प्रतिशत) आपत्तियाँ लंबित थी। महालेखाकार द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा आपत्तियों के निराकरण के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाया गया था। अतः, लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों में बढ़ती हुई प्रवृति थी।

मार्च 2015 को समाप्त हुये वर्ष के लिए सी.ए.जी. का स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है। तथापि फरवरी 2017 की स्थिति में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए समिति का गठन नहीं किया गया है।

चूँकि पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व संग्रहण का आंकड़ा संकलित नहीं किया गया, अतः विभाग के पास पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व प्राप्ति की कोई जानकारी नहीं थी।

नमूना जांच किये गये 119 ग्राम पंचायतों में सभी अनिवार्य/वैकल्पिक कर/फीस नहीं लगाये जा रहे थे।

तेरहवें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान आवंटित निधि से बचत क्रमशः 36 प्रतिशत और 62 प्रतिशत रहा था।

(कंडिका 1.1 से 1.11.6)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा (पंचायती राज संस्थाएं)

2.1 सरगुजा जिले में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्तीय प्रबंधन एवं योजनाओं का क्रियान्वयन

सरगुजा जिले में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्तीय प्रबंधन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा 2011–16 की अवधि को लेते हुए जिला पंचायत सरगुजा, पांच[1] जनपद पंचायत एवं 10 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा मई 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य किया गया। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गयी हैः

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्तीय प्रबंधन दोषपूर्ण था क्योंकि नमूना जांच किए गए तीन ग्राम पंचायतों ने 2011–16 के दौरान सम्पत्ति कर अधिरोपित नहीं किया एवं चार ग्राम पंचायतों ने प्रकाश कर अधिरोपित नहीं किया। तीन जनपद पंचायतों ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान सात पट्टाधारकों से पट्टा राशि वसूल नहीं किया जबकि उसी अवधि के दौरान जिला पंचायत सरगुजा द्वारा किराया की राशि वसूल नहीं किया गया। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं ने उपलब्ध संसाधनों का कम उपयोग किया क्योंकि सात चयनित योजनाओं पर व्यय केवल पांच से 96 प्रतिशत के बीच था।

नमूने में लिए गए पंचायती राज संस्थाएं योजनाओं को प्रभावकारी ढ़ंग से क्रियान्वित नहीं कर सके क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक मद में ₹ 9.11 करोड़ का अधिक व्यय, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत ₹ 24.99 लाख का व्यपवर्तन एवं क्रियान्वयन एजेंसियों से ₹ 2.07 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफलता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना में ₹ 5.50 करोड़ अवरूद्ध होने के अतिरिक्त ₹ 74.76 लाख का अनियमित भुगतान, भारत सरकार द्वारा राज्य से ₹ 78.56 लाख की कटौती एवं इंदिरा आवास योजना अंतर्गत ₹ 54.19 लाख अवरूद्ध रहा था।

नमूनाकृत पंचायती राज संस्थाओं में चयनित योजनाओं के उचित अनुश्रवण में कमी ने पंचायती राज संस्थाओं के सरपंचों/कर्मचारियों से ₹ 3.11 करोड़ के बकाया अग्रिम को वसूल करने में विफलता एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा ₹ 37.05 लाख के योजना राशि का कपटपूर्ण आहरण।

(कंडिका 2.1)

3. नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन

महालेखाकार द्वारा 2012–13 से नगरीय स्थानीय निकायों के 66 इकाईयों का लेखापरीक्षण किया गया एवं 785 आपत्तियाँ जारी किये गये थे जिसमें से 781 (99 प्रतिशत) आपत्तियाँ लंबित थी। महालेखाकार द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा आपत्तियों के निराकरण के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाया गया था। अतः, लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों में बढ़ती हुई प्रवृति थी।

मार्च 2015 को समाप्त हुये वर्ष के लिए सी.ए.जी. का स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है। तथापि फरवरी 2017 की स्थिति में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए समिति का गठन नहीं किया गया है।

---

[1] जनपद पंचायत सीतापुर–ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ एवं शिवनाथपुर, जनपद पंचायत मैनपाट–ग्राम पंचायत कतकालो एवं रोपाखार, जनपद पंचायत बतौली–ग्राम पंचायत बतौली एवं सरमना, जनपद पंचायत उदयपुर–ग्राम पंचायत करौंदी एवं सोनतराई, जनपद पंचायत लखनपुर–ग्राम पंचायत अमदला एवं चोड़िया

छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यक्रमों/योजनाओं को सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु नहीं लिया गया है।

वर्ष 2011–16 के दौरान भुगतान राशि ₹ 1,925.88 करोड़ अनुदान के 415 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) में से दिसम्बर 2016 की स्थिति में राशि ₹ 1,807.27 करोड़ के 403 यू.सी. लंबित थे।

वर्ष 2011–16 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा आवंटित निधि का 16 से 42 प्रतिशत तक बचत किया गया था।

(कंडिका 3.1 से 3.14.8)

4. निष्पादन लेखापरीक्षा (नगरीय स्थानीय निकायों)

4.1 राजस्व संग्रहण सहित नगरीय निकायों द्वारा स्व–राजस्व का प्रबंधन

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 में नगरीय स्थानीय निकायों को कर, शुल्क और प्रभार इत्यादि अधिरोपित और संग्रह करने का अधिकार दिया गया है, जिससे स्वयं के स्रोत बढ़ाये जा सके और अधिकृत सेंवाए प्रदान की जा सके। 'राजस्व संग्रहण सहित स्थानीय निकायों द्वारा स्व–राजस्व का प्रबंधन' के निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2011–16 तक का नमूना जांच 20 नगरीय स्थानीय निकायों में मार्च 2016 से सितंबर 2016 तक संपादित की गयी। मुख्य लेखापरीक्षा आपत्तियाँ हैः

20 में से 17 नगरीय निकाय चूंकि स्व–राजस्व से अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर सके इसलिए नगरीय स्थानीय निकायों का प्रबंधन प्रभावशाली नहीं था। इनमें से 13 नगरीय स्थानीय निकायों में राजस्व की प्राप्ति की लागत आरक्षणीय (₹ 1.56 की लागत ₹ एक प्राप्त हआ) होने के कारण स्व–राजस्व से वेतन एवं भत्ते का भुगतान भी नहीं कर सके। परिणामस्वरूप इन नगरीय निकायों को अपने व्यय और उनके द्वारा दी जाने वाली अनिवार्य सेवाओं को पूरा करने के लिए राज्य शासन द्वारा हस्तांतरित राजस्व तथा अनुदानों पर निर्भर होना पड़ा। इससे उन्हें स्व–शासन वाले संस्थाओं के रूप में कार्य करने वाली अनिवार्यता की पूर्ति नहीं हो सकी।

अवधि 2011–16 में संसाधनों की कमी के उपरांत भी संपत्ति कर दायरे में 15 नगरीय स्थानीय निकायों ने 88,553 संपत्तियों (23.30 प्रतिशत) को शामिल नहीं किया और उन्हें ₹ 13.30 करोड़ की राजस्व हानि हुई। इसके अतिरिक्त चिन्हित नगरीय स्थानीय निकाय मुख्यतः उचित सर्वेक्षण नहीं होने, कर्मचारियों के जनगणना, राशन कार्ड और वोटर कार्ड निर्माण इत्यादि जैसे कार्यो में सम्मिलित होने के कारण ₹ 8.37 करोड़ का संपत्ति कर, ₹ 10.53 करोड़ के समेकित कर, ₹ 17.03 करोड़ के जल कर, ₹ 27.54 करोड़ के दुकानों/बाजारों से भाड़ा/प्रीमियम, ₹ 3.79 करोड़ के विज्ञापन कर की वसूली नहीं की जा सकी। इसके साथ नमूनाकृत नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ₹ 125.49 करोड़ का ऋण (ब्याज सहित) नहीं चुकाया गया जबकि 15 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ₹ 29.34 करोड़ की देनदारियाँ नहीं चुकाई गयी।

इसके अतिरिक्त आठ नगरीय स्थानीय निकायों ने अपने वार्षिक आय का पाँच प्रतिशत, ₹ 27.84 करोड़ के मूल्य की राशि संचित निधि में जमा नहीं करायी जबकि इसका अनिवार्यता थी। नमूनाकृत नगरीय स्थानीय निकायों में ₹ 1.36 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान, ₹ 2.78 करोड़ का परिहार्य भुगतान और ₹ 3.59 करोड़ के असमायोजित अस्थायी अग्रिम जैसे प्रकरण भी देखे गये।

(कंडिका 4.1)

5. अनुपालन लेखापरीक्षा (नगरीय स्थानीय निकायों)

नगरीय स्थानीय निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों और विनियमों के अनुपालन नहीं किये जाने से संबंधित कमियाँ उजागर हुई, जो आगे के कंडिकाओं में व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये हैं।

दुकानों के निर्माण कार्य पूर्ण करने में 11 वर्षों से अधिक समय में विफल होने के परिणामस्वरूप निरूपयोगी दुकानों पर ₹ 40.81 लाख का निष्फल व्यय के अतिरिक्त दुकानों के आवंटियों से ₹ 1.12 करोड़ के राजस्व वसूली में विफलता

(कंडिका 5.1.1)

नगरपालिक निगम रायगढ़ के निष्क्रियता के परिणामस्वरूप जनवरी 2013 से फरवरी 2017 के दौरान राशि ₹ 23.49 लाख किराया वसूल न किये जाने के अतिरिक्त दुकानदारों को ₹ 85.32 लाख का अनुचित लाभ

(कंडिका 5.1.2)

ई.पी.एफ. अधिनियम 1952 के पालन में विफलता के परिणामस्वरूप नगरपालिक निगम बिलासपुर को **₹** 71.48 लाख की हानि तथा नगरपालिक परिषद जशपुर को **₹** 40.08 लाख की देयता

(कंडिका 5.1.3)

भाग – अ

अध्याय I

पंचायती राज संस्थाओं के कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन

भाग – अ

अध्याय I

पंचायती राज संस्थाओं के कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन

छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यपद्धति पर विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

सबसे निचले स्तर पर स्वायत्ता को बढ़ावा देने और ग्राम सभा से जुड़े विभिन्न विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं पहचान करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 (जी) के प्रावधानों के अधीन राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हो और ऐसे किसी विधि में पंचायतों को अधिकारों एवं शक्तियों के हस्तांतरण हेतु समुचित प्रावधान विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिये।

मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 द्वारा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं हेतु त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गयी थी, जो कि जनवरी 1994 से अस्तित्व में आयी और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात् 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के रूप में अपनाया गया।

1.1.1 पंचायती राज संस्थाओं का वर्गीकरण

पंचायती राज संस्थाएं तीन स्तरों में नामतः जिला स्तर पर जिला पंचायत, खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में वर्गीकृत है। नये राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात् वर्ष 2007 में जिलों की संख्या 16 से बढ़कर 18 हो गयी थी। पुनः, वर्ष 2011 में नौ जिलों का गठन हुआ था। मार्च 2014 तक 27 जिलों में मात्र 18 जिला पंचायतें कार्य कर रहे थे। यद्यपि, वर्ष 2014–15 के दौरान नौ और जिला पंचायतों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था।

अधिनियम के धारा 10 के अनुसार, प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत एवं जिले के प्रत्येक खण्ड के लिए एक जनपद पंचायत होगा। आगे, अधिनियम के धारा 3 के साथ पठित धारा 10 के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक विनिर्दिष्ट ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत अधिसूचित करेगा। वर्तमान में राज्य में 27 जिला पंचायत, 146 जनपद पंचायत तथा 10971 ग्राम पंचायत जनपद पंचायत हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सामान्य जानकारी नीचे **तालिका 1.1** मे दी गयी है :

तालिका 1.1: राज्य के संबंध में सामान्य जानकारी

विवरण	इकाई	राज्य के आंकड़े	सम्पूर्ण देश के आंकड़े
जनसंख्या	करोड़	2.55	121.08
देश की जनसंख्या में हिस्सा	प्रतिशत	2.11	100
ग्रामीण जनसंख्या	करोड़	1.96	83.37
ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा	प्रतिशत	76.86	68.86
साक्षरता दर	प्रतिशत	70.3	73
ग्रामीण साक्षरता दर	प्रतिशत	66	67.8
लिंगानुपात (स्त्री प्रति हजार पुरूष)	अनुपात	991 / 1000	943 / 1000
ग्रामीण लिंगानुपात (स्त्री प्रति हजार पुरूष)	अनुपात	1001 / 1000	949 / 1000
जिला पंचायत	संख्या	27	543
जनपद पंचायत	संख्या	146	6087
ग्राम पंचायत	संख्या	10971	239432

(स्रोतः जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े, 13वें वित्त आयोग एवं पंचायत संचालनालय, रायपुर द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के लिये पिछला आम चुनाव जनवरी और फरवरी 2015 के दौरान कराया गया। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 2.55 करोड़ था, जिसमें से 1.96 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत हैं, जो कुल जनसंख्या का 76.86 प्रतिशत है। ग्राम पंचायतों का जनसंख्यावार वर्गीकरण नीचे **तालिका 1.2** में दिया गया है:

तालिका 1.2: ग्राम पंचायतों का जनसंख्यावार वर्गीकरण

स.क्र.	विवरण	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	1,000 तक	459
2	1,001 से 2,000	7616
3	2,001 से 3,000	2114
4	3,001 से 4,000	496
5	4,000 से अधिक	286
योग		**10971**

(स्रोतः पंचायत संचालनालय,रायपुर द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

1.2 पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक संरचना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के प्रशासनिक नियंत्रण अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासन के संचालन हेतु कार्यपालिक / प्रशासनिक के साथ–साथ निर्वाचित निकायों के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसके अंतर्गत अधिनियम तथा नियम / उपनियम बनाये गये हैं। राज्य, जिला, जनपद एवं ग्राम स्तर पर प्रशासन के लिए संगठनात्मक संरचना नीचे दिया गया है:

पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक संरचना

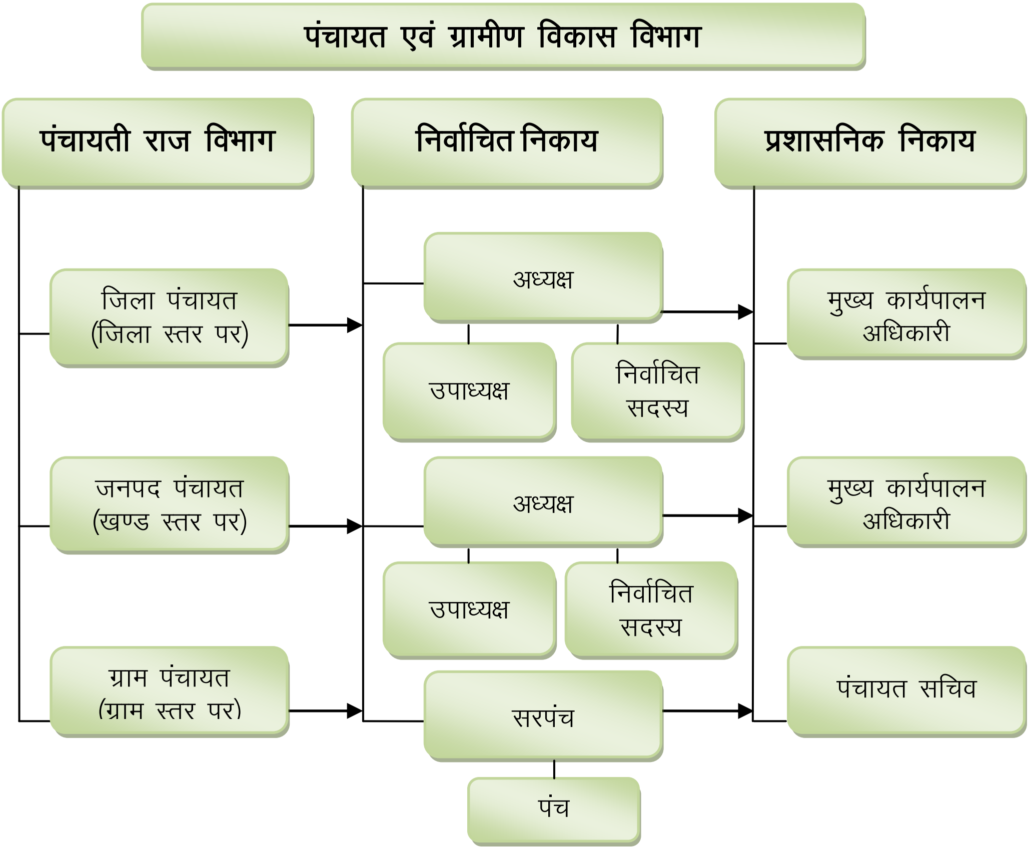

1.3 पंचायती राज संस्थाओं की कार्यपद्धति

1.3.1 पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियाँ एवं कार्यपद्धति

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने एवं आर्थिक विकास से संबंधित कृत्यों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने के उद्देश्य से जिला पंचायतों, जनपद पचायातों तथा ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का उल्लेख राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम (सी.जी.पी.आर.ए.) 1993 (अधिनियम) की धारा 52, 50 तथा 49 के अंतर्गत किया गया है। पुनः पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों को अधिनियम की धारा 54 से 68 तक के अंतर्गत वर्णित किया गया है। अधोलिखित कंडिकाओं में इनका सारांश दिया गया है:

1.3.1.1 जिला स्तर पर पंचायत का प्रथम स्तर जिला पंचायत है। अधिनियम की धारा 29 के अनुसार प्रत्येक जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों, जो एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनने के लिए सशक्त (धारा 32) होते हैं, से मिलकर बनेगा। अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत अध्यक्ष जिला पंचायत के संकल्प के क्रियाकलापों, राज्य शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों एवं जिला पंचायत को सौंपे गए सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा। वह अभिलेखों एवं पंजियों के उचित रखरखाव, अधिकृत भुगतान, चेक निर्गत एवं प्रतिदाय आदि सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आगे, धारा 69 (3) में कहा गया है कि राज्य शासन प्रत्येक जिला पंचायत के लिए एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) को नियुक्त करेगा तथा एक या अधिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है, जो ऐसे कृत्यों एवं ऐसे कर्त्तव्यों

का पालन करेगा जैसा सी.ई.ओ. द्वारा उसे सौंपा जाए। सी.ई.ओ. प्रशासनिक प्रमुख होता है और लोक स्वास्थ्य, लोक निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी आदि विभाग उसके सहायक होते हैं। सी.ई.ओ. जिला पंचायत, जिला पंचायत के सभी क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, जिला पंचायत के संकल्प के लिए कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होता है। वह जिला पंचायत निधि से राशि आहरण एवं संवितरण हेतु अधिकृत होता है जैसा कि इस संबंध में वित्तीय नियम में है।

सी.ई.ओ. जिला पंचायत, जिला के योजनाबद्ध विकास और संसाधनों के उपयोग के लिए बजट तैयार करने, जिला के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना तैयार करने एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों के समन्वय, मूल्यांकन और निगरानी करने, केन्द्र या राज्य शासन द्वारा सौंपे गये योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के लिये केन्द्र या राज्य शासन से प्राप्त निधियों का निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार विनियोजन करने का भी उत्तरदायित्व सी.ई.ओ. जिला पंचायत का है।

1.3.1.2 खण्ड स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का माध्यमिक स्तर जनपद पंचायत है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों, जो एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनने के लिए सशक्त (धारा 25) होते हैं, से मिलकर बनेगा। अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत अध्यक्ष जनपद पंचायत के संकल्प के क्रियाकलापों, राज्य शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों एवं जनपद पंचायत को सौंपे गए सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा। वह अभिलेखों एवं पंजियों के उचित रखरखाव, अधिकृत भुगतान, चेक निर्गत एवं प्रतिदाय आदि सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आगे, धारा 69 (2) में कहा गया है कि राज्य शासन प्रत्येक जनपद पंचायत के लिए प्रशासनिक प्रमुख के रूप में एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) को नियुक्त करेगा तथा एक या अधिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है, जो ऐसे कृत्यों एवं ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जैसा सी.ई.ओ. द्वारा उसे सौंपा जाए। खण्ड विस्तार अधिकारी, लेखा अधिकारी, तकनीकी कर्मचारी यथा सहायक यंत्री तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारी जनपद पंचायत के सहायक होंगें। सी.ई.ओ. जनपद पंचायत, जनपद पंचायत के सभी क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, जनपद पंचायत के संकल्प के क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होता है। वह जनपद पंचायत निधि से राशि आहरण एवं संवितरण हेतु अधिकृत होता है जैसा कि इस संबंध में वित्तीय नियम में है।

जनपद पंचायत का अपना राजस्व स्रोत अल्पतम होता है एवं वे जिला पंचायत से प्राप्त होने वाले ब्लॉक अनुदान पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। विकास कार्यों को जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन एवं मत्स्यपालन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, सहकारी कार्य आदि के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का उत्तरदायित्व है।

1.3.1.3 सबसे निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंतिम स्तर ग्राम पंचायत है। अधिनियम की धारा 13 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत एक सरपंच एवं निर्वाचित पंचों से मिलकर बनेगा। अधिनियम की धारा 17 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार सरपंच निर्वाचित होते हैं। अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत सरपंच ग्राम पंचायत के संकल्प के क्रियाकलापों, राज्य शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों एवं ग्राम पंचायत को सौंपे गए सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा। वह अभिलेखों एवं पंजियों के उचित रखरखाव, अधिकृत भुगतान, चैक निर्गत एवं प्रतिदाय आदि सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आगे, अधिनियम की धारा 69 में प्रावधान है कि राज्य शासन या विहित प्राधिकारी एक ग्राम पंचायत या दो अथवा अधिक ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक सचिव नियुक्त कर सकता है। ग्राम पंचायत (सचिव का कृत्य एवं शक्तियाँ) नियम 1990 के अनुसार, ग्राम पंचायत की बैठकें और ग्राम सभा आयोजित करना एवं कार्यवाही अभिलेखित करना, ग्राम पंचायत के कार्यपद्धति को विनियमित करना, ग्राम पंचायत के सभी कार्यालयीन अभिलेखों का संधारण करना, ग्राम पंचायत का वार्षिक योजना तैयार करना, आय एवं व्यय का आकलन करना, ग्राम पंचायत के कर, फीस तथा अन्य बकाया वसूल करने का दायित्व ग्राम पंचायत के सचिव का है।

सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखना, जल संसाधनों का अनुरक्षण एवं रखरखाव, बिजली एवं ग्रामीण सड़क सम्पर्क, युवा कल्याण को बढ़ावा देना, परिवार कल्याण एवं खेल गतिविधियाँ, समाज कल्याण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना एवं राज्य शासन, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य कोई कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत का सचिव उत्तरदायी है।

जिला पंचायत सरगुजा एवं नमूना जांच किये गये जनपद पंचायतों के अभिलेखों की समीक्षा में विदित हुआ कि अवधि 2011–16 के दौरान जनपद पंचायतों द्वारा जिला पंचायत को तथा जिला पंचायत द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को बजट अनुमान प्रस्तुत करने में 10 से 255 दिवस का विलम्ब हुआ। यह भी पाया गया कि अवधि 2012–14 एवं 2015–16 के दौरान जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायतों से बजट अनुमान प्राप्त होने के पूर्व ही इसे अंतिम रूप दे दिया गया था, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जिला पंचायत द्वारा बजट अनुमान वास्तविक आकलन के आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

बजट अनुमान विलम्ब से प्रस्तुत करने की आपत्ति इस प्रतिवेदन अंतर्गत ''सरगुजा जिले में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्तीय प्रबंधन एवं योजनाओं का क्रियान्वयन'' के लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है (अध्याय II, कंडिका 2.1.2.1)।

1.3.2 पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों एवं कार्मिकों का हस्तांतरण

73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में संविधान की ग्यारहवें अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण किये जाने की परिकल्पना की गयी है। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सक्षम एवं स्वायत्त बनाने के लिए कार्यों के हस्तांतरण के साथ–साथ कार्यकलापों के परिपालन हेतु आवश्यक निधियों एवं कार्मिकों का हस्तांतरण किया जाना था। पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों के हस्तांतरण हेतु अंतरविभागीय समिति की बैठक (दिसंबर 2016) के मिनट्स से विदित हुआ कि पंचायती राज संस्थाओं को विभागों द्वारा निधियों, कार्यों एवं कार्मिकों का हस्तांतरण का निर्णय 1998 में किया गया था। अंतरविभागीय समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों एवं कार्मिकों का हस्तांतरण के लिए फरवरी 2017 तक अधिसूचना जारी करेगा तथा इसकी सूचना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को देगा। जबकि, संबंधित विभागों द्वारा अधिसूचना जारी करने की स्थिति के संबंध में लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया था (7 मार्च 2017)।

1.4 विभिन्न समितियों का गठन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (य घ) के अनुपालन में राज्य शासन को जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति (डी.पी.सी.) गठित करने का अधिकार है। तत्पश्चात्, राज्य शासन ने इस संबंध में डी.पी.सी. के लिए जिले में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करने एवं पूरे जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लक्ष्य के साथ छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995

बनाया (मई 1995)। जिला कलेक्टर डी.पी.सी. का एक सदस्य होता है।

अधिनियम की धारा 46 के अनुसार सामान्य प्रशासन, निर्माण एवं विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण हेतु ग्राम पंचायत के पंचों से ग्राम पंचायत में एक कार्यकारी समिति गठित होगी। सरपंच एवं उपसरपंच इन समितियों के पदेन सदस्य होंगे। अधिनियम की धारा 47 के अनुसार प्रत्येक जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में पांच[1] स्थायी समितियों का गठन, उन्हें सौपें गए विषयों से संबंधित कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाना है।

पंचायत संचालनालय से प्राप्त (नवम्बर 2016) जानकारी के अनुसार पंचायतों में स्थायी समितियों का गठन किया जा चुका है एवं सभी समितियाँ अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्य कर रही है।

1.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

1.5.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (डी.एल.एफ.ए.) स्थानीय निकायों के लेखाओं का प्राथमिक लेखापरीक्षक (सांविधिक लेखापरीक्षक) होता है। राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबंधन अथवा नियंत्रण के तहत् स्थानीय निधियों का लेखापरीक्षा विनियमित करने एवं प्रावधान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ स्थानीय संपरीक्षा अधिनियम 1973 अधिनियमित किया गया था।

मार्च 2016 की स्थिति में, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित डी.एल.एफ.ए. के निरीक्षण प्रतिवेदनों में कुल 1.73 लाख लेखापरीक्षा आपत्तियाँ लंबित थी। डी.एल.एफ.ए. के लंबित आपत्तियों का विवरण नीचे **तालिका 1.3** में दिया गया है:

तालिका 1.3: डी.एल.एफ.ए. के लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

स. क्र.	वित्तीय वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान ली गयी आपत्ति	निराकृत आपत्तियों की संख्या	लंबित रहे आपत्तियों की संख्या
1	2011–12	616	125677	9473	203	134947
2	2012–13	618	134947	6318	92	141173
3	2013–14	587	141173	8095	1671	147597
4	2014–15	824	147597	18569	3060	163106
5	2015–16	360	163106	29172	19023	173255

(स्रोतः संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

इंगित किए जाने पर संचालक, पंचायत संचालनालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि आपत्तियों के निराकरण के लिए पंचायत संचालनालय द्वारा जिला अंकेक्षकों की बैठक में मासिक समीक्षा किया जा रहा है। तत्पश्चात्, यह बताया कि स्थानीय निधि संपरीक्षा से समन्वय कर माह में दो शिविर आयोजित कराकर बकाया लंबित आपत्तियों के निराकरण के संबंध में निदेर्शों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश जारी किया गया है।

1.5.2 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा किया था कि पंचायतों के सभी स्तरों की लेखापरीक्षा एवं लेखाओं के उचित रखरखाव पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करने का दायित्व भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) को सौंपे जाने चाहिए। पंचायतों एवं

[1] (i) सामान्य प्रशासन, (ii) कृषि, (iii) शिक्षा, (iv) संचार तथा संकर्म एवं (v) सहकारिता और उद्योग

नगरपालिकाओं के लेखों की लेखापरीक्षा संबंधित सी.ए.जी. का प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के एक समिति, जो उसी तर्ज पर गठित हो जैसा कि लोक लेखा समिति है, के समक्ष रखी जानी चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग ने भी अनुशंसा किया था कि समस्त स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) का दायित्व सी.ए.जी. को सौंपी जानी चाहिए तथा उसके वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ–साथ डी.एल.एफ.ए. का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष अवश्य रखी जानी चाहिए। चौदहवें वित्त आयोग ने भी अनुशंसा किया था कि सी.ए.जी. द्वारा स्थानीय निकायों के लेखाओं के रखरखाव में सुधार एवं उनके लेखापरीक्षा तथा टी.जी.एस. व्यवस्था के संबंध में पिछले वित्त आयोगों द्वारा की गयी पहल को जारी रखा जाए।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सी.ए.जी. (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत सी.ए.जी. को स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा का दायित्व सौंपा (अक्टुबर 2011) गया था। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के विनियम 152 के साथ सौंपे गये दायित्व के अधीन स्थानीय निकायों में सुदृढ़ वित्तीय लोक प्रबंधन तथा जवाबदेही के प्रयोजन हेतु स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखापरीक्षक नामतः डी.एल.एफ.ए. को उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण उपलब्ध कराता है।

डी.एल.एफ.ए. वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा, संविधियों के अनुसार लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया का पालन करेगा, निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) की प्रतियाँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित करेगा तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के विनियम 152 में निर्धारित अन्य शर्तों का पालन करेगा।

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा टी.जी.एस. के प्रभावकारिता पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के संचालन के लिए, लेखापरीक्षा योजना बनाने एवं लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली पर डी.एल.एफ.ए. के कर्मचारी वर्ग के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। डी.एल.एफ.ए. ने जून 2014 से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) की प्रतियाँ अग्रेषित करना आरम्भ किया था। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा मार्च 2016 तक 1174 आई.आर. प्राप्त किये गये। आगे, टी.जी.एस. अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए डी.एल.एफ.ए. एवं महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के मध्य एक संयुक्त बैठक (जून 2016) हुआ था।

अवधि 2011–13 तक के लिए डी.एल.एफ.ए. का एवं मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सी.ए.जी. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल में क्रमशः दिसंम्बर 2015 एवं मार्च 2016 को रखी गयी। छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल के सचिव ने बताया कि स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के चर्चा हेतु समिति का गठन प्रक्रियाधीन है।

1.6 लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया

टी.जी.एस. व्यवस्था के अनुसार महालेखाकार के लेखापरीक्षा आपत्तियों का निराकरण डी.एल.एफ.ए. द्वारा उसी प्रकार किया जायेगा, जैसा कि वह अपने स्वयं के प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा आपत्तियों के लिये करते हैं।

महालेखाकार के आई.आर. में मार्च 2016 की स्थिति में वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि से संबंधित 2835 आपत्तियाँ लंबित थी। महालेखाकार के आई.आर. के लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण नीचे **तालिका 1.4** में दिया गया है :

तालिका 1.4: महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	वर्ष के दौरान ली गयी आपत्ति	निराकृत आपत्तियों की संख्या	लंबित आपत्तियों की संख्या
1	2011–12	09	84	16	68
2	2012–13	71	434	16	418
3	2013–14	103	624	01	623
4	2014–15	121	626	00	626
5	2015–16	146	1100	00	1100
कुल		**450**	**2868**	**33**	**2835**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग ने महालेखाकार द्वारा लिए गये लेखापरीक्षा आपत्तियों के निराकरण के लिए कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाया था। पिछले पाँच वर्षों (2011–16) के दौरान 450 पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षण में कुल 2868 आपत्तियाँ उजागर हुई, जबकि विभाग द्वारा केवल 33 आपत्तियों का निराकरण किया गया था, जो कि विभाग द्वारा लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों के निराकरण में खराब निगरानी एवं पर्यवेक्षण के कमी को इंगित करता है।

जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामले

जवाबदेही क्रियाविधि

1.7 लोकपाल

तेरहवें वित्त आयोग के कंडिका 10.66 में संबंधित राज्य, पंचायत एवं नगरपालिका अधिनियम के संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों के लिए एक अलग लोकपाल के गठन का प्रावधान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने मंत्रियों, संसदीय सचिवों, लोक सेवकों आदि एवं उनसे संबंधित मामलों के विरूद्ध आरोपों के जाँच हेतु कुछ प्राधिकारियों के नियुक्ति एवं कृत्यों के लिए प्रावधान करते हुए एक अध्यादेश 'छत्तीसगढ़ लोक आयोग अध्यादेश 2002' प्रस्थापित किया था। इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना नवम्बर 2002 में प्रकाशित हुआ था।

स्थानीय निकायों को भी लोक आयोग के दायरे में लाया गया है।

1.8 सामाजिक अंकेक्षण

छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई (एस.ए.यू.) का गठन (सितम्बर 2013) एक स्वतंत्र संस्था के रूप में किया गया था।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

'स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011' के नियम 3 (1) के अनुसार, राज्य शासन प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिनियम के अंतर्गत लिए गये कार्यों का नियमों में वर्णित रीति से कम से कम छः माह में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन की सुविधा प्रदान करेगा।

तदनुसार, वर्ष 2015–16 में 10971 ग्राम पंचायतों के विरूद्ध 21942 सामाजिक लेखापरीक्षा किया जाना था, जबकि 4675 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा किया गया था, जो अपेक्षित कार्यक्षेत्र का 21 प्रतिशत था। एस.ए.यू. छत्तीसगढ़ ने बताया कि

वर्ष 2015–16 के लिए 5000 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अतः एस.ए.यू. द्वारा अपेक्षित कार्यक्षेत्र का केवल 23 प्रतिशत ही लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

1.9 उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रस्तुतीकरण

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता खंड–I के नियम 182 के अनुसार वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदान के मामलों में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायक अनुदान आहरित किया जाता है, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष की 30 सितंबर या उससे पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत करेंगे।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी (जनवरी 2017) में विदित हुआ कि मुख्य शीर्ष 2515 (अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम) अंतर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान भुगतान राशि ₹ 3,050.93 करोड़ अनुदान के 3808 यू.सी. बकाया थे, तथा दिसंबर 2016 की स्थिति में सभी यू.सी. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्राप्त हो गये थे।

आगे, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ के पारस्परिक सहमति (अगस्त 2014) से यह तय हुआ कि सहायता अनुदान (जी.आई.ए.) प्रमाणकों, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं हो कि यू.सी. महालेखाकार को भेजा जाना चाहिए, वैसे यू.सी. को लंबित नहीं दर्शाया जाए। अतः, जी.आई.ए. के यू.सी., जिसमें महालेखाकार को भेजा जाना चाहिए विशेष रूप से उल्लेखित किया गया हो, केवल उसी यू.सी. को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित किया जा रहा है।

1.10 पंचायती राज्य संस्थाओं का आंतरिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण

अधिनियम की धारा 95 के साथ पठित धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पंचायतों के कार्यप्रणाली के निरीक्षण के लिए राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ पंचायत (कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम, 1995 बनाया। उपरोक्त नियम के नियम 3 में परिकल्पित है कि अधिनियम की धारा 84 के उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी समय–समय पर पंचायत की कार्यवाहियों और कार्यों का निरीक्षण कर सकेगा। आगे, ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी, ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के मामले में आयुक्त, संचालक (पंचायत) या कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मामले में आयुक्त या संचालक (पंचायत) कार्यवाहियों की देखरेख के लिए निरीक्षण अधिकारी के रूप में प्राधिकृत होंगें।

इस संदर्भ में संचालक, पंचायत संचालनालय ने सूचित (नवंबर 2016) किया कि पंचायत के सभी स्तरों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाता है एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु जिले में पदस्थापित उपसंचालक (पंचायत) के माध्यम से किया जाता है।

1.11 वित्तीय प्रतिवेदित मामले

1.11.1 राजस्व के स्रोत

पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व प्राप्ति के मुख्यतः दो स्रोत, शासकीय अनुदान और स्वयं का राजस्व है। शासकीय अनुदानों में राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुशंसा पर जारी निधि तथा विभिन्न केन्द्र प्रायोजित/केन्द्र और राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिये हस्तांतरित भारत सरकार और राज्य का अंश। पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व स्रोतों में स्वयं के कर

राजस्व एवं गैर–कर राजस्व सम्मिलित है। हमने पाया कि राज्य स्तर पर विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व का कोई आंकड़ा संकलित नहीं किया गया था। अतः विभाग के पास पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व प्राप्ति की कोई जानकारी नहीं थी।

राज्य स्तर पर पंचायत के राजस्व प्राप्तियों का संधारण की कमी 'पंचायतों की प्राप्तियाँ' की निष्पादन लेखापरीक्षा (ATIR 2013-14) में चर्चा (फरवरी 2015) की गई थी, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि राज्य स्तर पर आंकड़ों के संग्रहण के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। हालांकि, चर्चा की तारीख से 22 महीने से अधिक व्ययतित हो जाने के बाद भी यह मुद्दा यथावत रहा।

ग्राम पंचायतों का राजस्व

सी.जी.पी.आर.ए. ग्राम पंचायतों को सौंपे गये करों/शुल्कों की छः मदों[2] को अनिवार्य करों के रूप में वर्गीकृत करता है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों द्वारा कुछ करों/शुल्कों का भी अधिरोपण किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अनिवार्य करों एवं शुल्कों (शर्ते एवं अपवाद) नियम 1996 के नियम 3 के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत कोई अनिवार्य कर या शुल्क, लगाये जाने वाले कर या शुल्क के दर के संबंध में संकल्प पारित करने के बाद लगा सकता है। आगे, भूमि एवं भवनों पर सम्पत्ति कर, कोई वृत्ति या व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति पर कर, बाजार शुल्क एवं बाजार में बेचे गये पशुओं के पंजीयन पर शुल्क की न्यूनतम के साथ अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है।

119 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच में विदित (सितंबर 2015 से मार्च 2016) हुआ कि 47 ग्राम पंचायतों ने कोई भी अनिवार्य/वैकल्पिक करों/शुल्क नहीं लगा रहे थे तथा 80 ग्राम पंचायतों ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान संपत्ति कर नहीं लगा रहे थे।

इंगित किए जाने पर ग्राम पंचायतों के सचिव ने बताया (सितंबर 2015 से मार्च 2016) कि भविष्य में करों को नियमानुसार संग्रह किया जायेगा।

1.11.2 बजट आवंटन एवं व्यय

योजनाओं का केन्द्रांश तथा केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान सहित, राज्य शासन द्वारा बजट के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के लिये आवंटित निधि (राज्य का कर राजस्व का हिस्सा, योजना निधि और अनुदान आदि) का विवरण निम्न **तालिका 1.5** में दिया गया है:

तालिका 1.5: निधियों के आवंटन और व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	वर्ष	बजटीय आवंटन			व्यय			बचत (प्रतिशत में)
		आयोजना	आयोजनेत्तर	योग	आयोजना	आयोजनेत्तर	योग	
1	2011–12	806.15	647.46	1453.61	780.96	617.28	1398.24	55.37 (4)
2	2012–13	1123.04	867.97	1991.01	995.70	782.49	1778.19	212.82 (11)
3	2013–14	1224.97	979.72	2204.69	772.66	798.30	1570.96	633.73 (29)
4	2014–15	1642.73	1071.79	2714.52	1262.84	836.82	2099.66	614.86 (23)
5	2015–16	966.46	1419.90	2386.36	751.43	1310.81	2062.24	324.12 (14)
योग		**5763.35**	**4986.84**	**10750.19**	**4563.59**	**4345.70**	**8909.29**	–

(स्रोतः पंचायत संचालनालय, रायपुर द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कुल आवंटित राशि ₹ 10,750 करोड़ के विरूद्ध

---

2 सम्पत्तिकर, निजी शौचालय की सफाई पर कर, प्रकाश कर, व्यवसाय/व्यापार चलाने वाले व्यक्ति पर कर, बाजार शुल्क, किसी बाजार में बेचे जाने वाले पशुओं के पंजीयन पर शुल्क

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राशि ₹ 8,909 करोड़ का व्यय किया गया। आवंटित निधि में से 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान क्रमशः 29 प्रतिशत एवं 23 प्रतिशत की अधिकतम बचत हुई थी। विभाग द्वारा बचत के कारण नहीं बताये गये।

1.11.3 राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) की अनुशंसा

संविधान के अनुच्छेद 243–I के साथ पठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 के अनुसार, अवधि 2012–17 के लिए राज्य के स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की जांच करने हेतु राज्य शासन ने द्वितीय एस.एफ.सी. का गठन (जुलाई 2011) किया। तदनुसार, द्वितीय एस.एफ.सी. ने कुल 133 सिफारिशों के साथ अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत (मार्च 2013) किया। जिसमें से वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 100 सिफारिशों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार किये थे, चार अंतरविभागीय परामर्श हेतु लंबित थे तथा शेष 29 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था। स्वीकृत सिफारिशों में से 34 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लागू किया जाना था, 41 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वित किया जाना था तथा शेष 25 अन्य विभागों द्वारा लागू किया जाना था। इस संदर्भ में पंचायत संचालनालय ने सूचित किया कि सितंबर 2016 की स्थिति में पांच सिफारिशों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तथा 13 सिफारिशों के लिए कार्यवाही पूर्ण हो चुका है तथा शेष 16 प्रगति पर है।

आगे, अवधि 2017–22 के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए तीसरे एस.एफ.सी. का गठन (जनवरी 2016) किया गया।

पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान का हस्तांतरण

प्रथम राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) के अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा जुलाई 2009 में कार्यवाही प्रतिवेदन (ए.टी.आर.) लाया गया। ए.टी.आर. के अनुसार, प्रथम वित्त आयोग द्वारा अवधि 2007–12 के लिये अनुशंसित 6.62 प्रतिशत के विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 4.79 प्रतिशत हिस्सेदारी सौंपने हेतु स्वीकृति दी गयी। द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अवधि 2012–17 के लिये पंचायती राज संस्था हेतु राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.15 प्रतिशत हिस्सा हस्तांतरित करने की अनुशंसा की गयी थी। पंचायती राज संस्थाओं के लिये राज्य बजट के माध्यम से 2011–12 से 2015–16 के दौरान जारी की गयी अनुदान की स्थिति नीचे **तालिका 1.6** में दी गयी है:

तालिका 1.6: राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व एवं पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान के हस्तांतरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व की राशि	स्वयं कर राजस्व से जारी की जाने वाली हिस्सेदारी की राशि		पंचायती राज संस्थाओं को स्वयं कर राजस्व (एस.एफ.सी. अनुदानों) से जारी की गयी हिस्सेदारी की राशि	कमी (–)/अधिक(+) (कमी का प्रतिशत)
		निर्धारित प्रतिशत	राशि		
1	2	3	4	5	6
2011–12	9269.29	4.79	444.00	330.00	(–) 114.00 (26)
2012–13	10829.46	6.15	666.01	676.75[3]	(+) 10.74
2013–14	12424.28	6.15	764.09	783.00	(+) 18.91
2014–15	14225.90	6.15	874.89	858.00	(–) 16.89 (2)
2015–16	16288.54	6.15	1001.75	1200.00	(+) 198.25
योग	**63037.47**	**–**	**3750.74**	**3847.75**	**97.01**

(स्रोतः पंचायत संचालनालय, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

[3] विभाग ने बताया (जनवरी 2017) कि 2012–13 के दौरान राशि ₹ 676.75 करोड़ जारी किया गया था, जो कि एक मद के व्यय को उस मद का आवंटन लिए जाने के कारण पूर्व में राशि ₹ 666.25 दर्शाया गया था, जो अभिलेखों के जांच के दौरान सही किया गया है

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एस.एफ.सी. के अनुशंसा के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व से पंचायती राज संस्थाओं हेतु निधि का हस्तांतरण निर्धारित सीमा से अधिक था। 2011–12 तथा 2014–15 की अवधि में राशि ₹ 130.89 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ था। जबकि, वर्ष 2012–14 तथा 2015–16 के दौरान राशि ₹ 227.90 करोड़ अतिरिक्त निधि का हस्तांतरण हुआ था। अतः, 2011–12 से 2015–16 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान के हस्तांतरण में राशि ₹ 97.01 करोड़ की शुद्ध वृद्धि पायी गयी।

1.11.4 केन्द्रीय वित्त आयोग का अनुशंसा

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान

तेरहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) के अनुशंसा पर भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा 2010–11 से 2014–15 के दौरान राशि ₹ 1775.31 करोड़ स्वीकृत किये गये। वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकृत राशि ₹ 393.28 करोड़ में से राज्य शासन द्वारा राशि ₹ 254.99 करोड़ 2015–16 के दौरान जारी किये गये। मार्च 2016 तक राशि ₹ 1225.42 करोड़ (69 प्रतिशत) खर्च किया गया था। टी.एफ.सी. अनुदान के आवंटन एवं व्यय का विवरण नीचे **तालिका 1.7** में दिया गया है :

तालिका 1.7: टी.एफ.सी. अनुदान के आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	आवंटन			2014–15 तक व्यय	2015–16 के दौरान व्यय	कुल व्यय	बचत (प्रतिशत में)
		मूल अनुदान	निष्पादन अनुदान	योग				
1	2010–11	170.55	00	170.55	151.82	8.39	160.21	10.34 (06)
2	2011–12	217.96	104.93	322.89	261.55	21.07	282.62	40.27 (12)
3	2012–13	242.60	126.89	369.49	274.55	28.68	303.23	66.26 (18)
4	2013–14	276.63	242.47	519.10	279.47	50.66	330.13	188.97 (36)
5	2014–15	138.29	00	138.29	90.71	58.52	149.23	244.05 (62)
6	2015–16	162.10	92.89	254.99				
योग		1208.13	567.18	1775.31	1058.10	167.32	1225.42	549.89 (31)

(स्रोतः पंचायत संचालनालय, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सम्पूर्ण टी.एफ.सी. अनुदान को खर्च नहीं किया जा सका। मार्च 2016 की स्थिति में 2013–14 और 2014–15 से संबंधित आवंटित निधि का अधिकतम बचत क्रमशः 36 प्रतिशत और 62 प्रतिशत रहा।

चौदहवें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) अनुदान

एफ.एफ.सी. ने ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए दो प्रकार के अनुदान नामतः मूल अनुदान एवं निष्पादन अनुदान का अनुशंसा किया है। मूल अनुदान का उद्देश्य ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को बिना किसी शर्त के सहयोग प्रदान करना है, जिससे कि वे संबंधित कानून के अंतर्गत उन्हें सौंपे गये मूलभूत कार्य जैसे जल आपूर्ति, जल निकास, नाला, सामुदायिक सम्पत्तियों का मरम्मत, फुटपाथ तथा स्ट्रीट लाइट, कब्रिस्तान एवं शमसान इत्यादि का रखरखाव कर सकें। निष्पादन अनुदान के संबंध में, राजस्व सुधार पर आधारित पंचायती राज संस्थाओं को कार्य निष्पादन अनुदान के संवितरण के लिए विस्तृत कार्यविधि, संबंधित राज्य शासन द्वारा पात्रता मानदंडों के आधार पर बनाया जाए।

एफ.एफ.सी. के अनुशंसा अनुसार जी.ओ.आई. ने वर्ष 2015–16 के दौरान मूल अनुदान के रूप में राशि ₹ 566.18 करोड़ जारी (जुलाई 2015 एवं दिसम्बर 2015) किया, जिनमें से मार्च 2016 की स्थिति में विभाग द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया। यद्यपि, नबम्वर 2016 की स्थिति में राशि ₹ 379.20 करोड़ (67 प्रतिशत) व्यय किया गया।

1.11.5 बजट अंगीकरण एवं लेखा प्रारूप

ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर उचित नियंत्रण एवं बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पर डेटाबेस और बजट एवं लेखा तैयार करने के लिए सी.ए.जी. द्वारा प्रारूप निर्धारित (2002) किये गये थे। पुनः, इन प्रारूपों को जमीनी स्तर पर अंगीकरण के लिए आसान (2007) बनाया गया था, नामतः (i) मासिक/वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखे; (ii) समेकित विवरण के प्रारूप; (iii) मासिक मिलान विवरण के प्रारूप; (iv) प्राप्य एवं देय के प्रारूप; (v) अचल संपत्ति के प्रारूप; (vi) चल संपत्ति के प्रारूप; (vii) इनवेंटरी पंजी के प्रारूप; तथा (viii) मांग, संग्रहण एवं अवशेष के प्रारूप। इस संबंध में, राज्य द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पर डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ (2011–12) तथा लागू करने हेतु प्रियासॉफ्ट, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गई थी, अंतर्गत स्टेट मॉडल एकॉउंटिंग सिस्टम कमेटी (एस.एम.सी.) का गठन किया गया था।

विभाग ने बताया कि सभी 27 जिला पंचायतों, सभी 146 जनपद पंचायतों एवं 10971 में से 10244 ग्राम पंचायतों द्वारा प्रियासॉफ्ट के प्रथम पाँच प्रारूपों के लिए आंकड़े प्रविष्टि करना प्रारंभ कर लिया गया है। यद्यपि इन आंकड़े का किसी कार्यालयीन उद्देश्य हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

1.11.6 ए.सी./डी.सी. देयकों संबंधी मुद्दे

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता (सी.जी.टी.सी.) के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को प्रत्येक आकस्मिक देयक में चालू माह के प्रथम देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि उनके द्वारा वर्तमान माह के एक तारीख से पूर्व आहरित सभी संक्षिप्त देयकों (ए.सी.) के लिए विस्तृत देयकों (डी.सी.) को संबंधित नियंत्रण अधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर कर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिया है। सी.जी.टी.सी. के पूरक नियम 327 के अनुसार डी.डी.ओ. को आगामी माह के पाँचवी तारीख के अंदर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ मासिक डी.सी. देयकों को नियंत्रण अधिकारी के पास जमा करना चाहिए। नियंत्रण अधिकारी को महालेखाकार के पास पारित विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करना चाहिए ताकि यह महालेखाकार कार्यालय में उसी महीने के 25 तारीख के अंदर प्राप्त हो जाए।

अवधि 2011–12 से 2015–16 का ए.सी./डी.सी. देयकों की जानकारी कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ से प्राप्त (जनवरी 2017) होने से विदित हुआ कि दिसंबर 2016 की स्थिति में कोई डी.सी. देयक लंबित नहीं था।

अध्याय II

अनुपालन लेखापरीक्षा

(पंचायती राज संस्थाएं)

2.1 सरगुजा जिले में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्तीय प्रबंधन एवं योजनाओं का क्रियान्वयन

अध्याय II

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.1 सरगुजा जिले में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्तीय प्रबंधन एवं योजनाओं का क्रियान्वयन

2.1.1 प्रस्तावना

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के दृष्टिकोण से उन्हें विशिष्ट शक्तियों, कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को सौंपा था। तदनुसार राज्य में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (सी.जी.पी.आर.ए.)[1] के व्यवस्थापन के साथ जिला स्तर पर जिला पंचायत विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को सम्मिलित करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई। राज्य में मार्च 2016 की स्थिति में 27 जिला पंचायत, 146 जनपद पंचायत एवं 10971 ग्राम पंचायत थे। पंचायतों के मुख्य कार्य आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना तथा करों एवं शुल्कों का अधिरोपण एवं संग्रहण करना है।

शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.) का प्रमुख है जो आयुक्त सह संचालक पी.आर.डी. से सहायता प्राप्त करता है। पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढ़ांचा जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के रूप में त्रिस्तरीय संरचना है। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत का प्रमुख संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) होता है जबकि ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम पंचायत स्तर पर अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्तीय प्रबंधन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा, 2011–16 की अवधि को लेते हुए, मई 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य जिला पंचायत, सिम्पल रेण्डम सेलेक्शन विदाऊट रिप्लेसमेंट पद्धति के आधार पर चयनित सात में से पांच[2] जनपद पंचायतों एवं 10 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक चयनित जनपद पंचायतों में से दो ग्राम पंचायतों) के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा किया गया। सरगुजा का चयन योजनाओं पर किए गए व्यय के आधार पर किया गया। आगे, 18 में से सात योजनाओं का चयन नमूना में लिए गए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा योजनाओं पर किए गए व्यय के आधार पर किया गया। इसके अलावा चयनित जनपद पंचायतों में योजना के 10 हितग्राहियों का चयन भी विस्तृत जांच हेतु किया गया।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदण्ड, कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा पद्धति पर चर्चा के लिए आयुक्त सह संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक आगम बैठक (जुलाई 2016) का आयोजन किया गया। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा हेतु आयुक्त सह संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ निर्गम बैठक का आयोजन

---

1 छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद दिनांक 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 को अंगीकृत किया

2 जनपद पंचायत बतौली–ग्राम पंचायत बतौली एवं सरमना, जनपद पंचायत लखनपुर–ग्राम पंचायत अमदला एवं चोड़िया, जनपद पंचायत मैनपाट–ग्राम पंचायत कतकालो एवं रोपाखार, जनपद पंचायत सीतापुर–ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ एवं शिवनाथपुर, जनपद पंचायत उदयपुर–ग्राम पंचायत करौंदी एवं सोनतराई

(2 मार्च 2017) किया गया। आयुक्त सह संचालक, पी.आर.डी. द्वारा दिए गए उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.2 वित्तीय स्थिति

पंचायती राज संस्थाओं के निधियों के स्रोत में केन्द्रीय अनुदान, राज्य अनुदान एवं उनका स्वयं का राजस्व शामिल है। जिला पंचायत स्तर पर स्वयं के स्रोत से अधिक राजस्व उगाही नहीं है क्योंकि जिला पंचायत द्वारा करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। आयुक्त सह संचालक पी.आर.डी. द्वारा जिला पंचायतों को आवंटित निधियों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आगे जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को वितरित किया जाता है। सरगुजा जिले के वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान प्राप्ति एवं व्यय का विस्तृत विवरण नीचे **तालिका 2.1.1** में दिया गया है :

तालिका 2.1.1: जिला पंचायत सरगुजा का प्राप्ति एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना निधि							स्वयं का राजस्व	
	प्राप्ति			जनपद पंचायत/एजेन्सी द्वारा व्यय			बचत (+)/ अधिक (–) प्रतिशत	मांग	संग्रहण
	केन्द्रीय	राज्य	योग	केन्द्रीय	राज्य	योग			
2011–12	307.83	80.66	388.49	112.17	79.84	192.01	196.48 (51)	0.01	0.01
2012–13	350.60	71.03	421.63	144.24	114.68	258.92	162.71 (39)	0.01	0.01
2013–14	193.43	70.35	263.78	134.66	112.41	247.07	16.71 (6)	0.02	0.02
2014–15	112.00	96.58	208.58	69.01	70.28	139.29	69.29 (33)	0.02	0.02
2015–16	57.02	57.64	114.66	57.34	119.64	176.98	–62.32 (–54)	0.02	0.01
योग	**1020.88**	**376.26**	**1397.14**	**517.42**	**496.85**	**1014.27**		**0.08**	**0.07**

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

चार्ट 2.1.1 : 2011–16 के दौरान प्राप्ति एवं व्यय

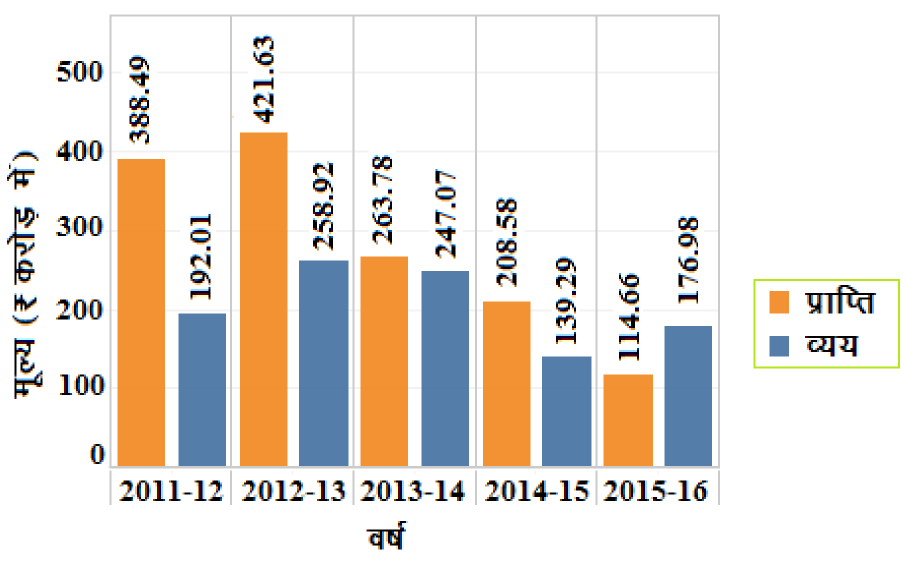

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2011–15 के दौरान बचत छः से 51 प्रतिशत के मध्य था जबकि 2015–16 के दौरान व्यय आवंटन से 54 प्रतिशत अधिक था।

आगे, सात चयनित योजनाओं के प्राप्ति एवं व्यय नीचे **तालिका 2.1.2** में दिया गया है :

तालिका 2.1.2: चयनित योजनाओं का प्राप्ति एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आई.जी.वी.ए.पी.		एस.एस.पी. 1		एस.एस.पी. 2		मनरेगा		सी.जी.जी.एन.वाई.		आई.ए.वाई.		बी.आर.जी.एफ.	
	एफ.ए.	ई.	एफ.ए.	ई.	एफ.ए.	ई.	एफ.ए.	ई.	एफ.ए.	ई.	एफ.ए.	ई.	एफ.ए.	ई.
2011–12	17.00	10.08	15.20	3.48	4.30	1.73	201.05	111.17	18.05	0.78	48.75	10.90	43.67	22.53
2012–13	15.92	12.08	20.72	4.28	4.07	1.96	334.81	164.03	19.65	0.81	86.44	20.49	49.38	24.74
2013–14	12.53	12.24	22.94	4.75	4.01	2.04	295.01	146.25	24.83	3.27	87.83	18.23	24.64	25.51
2014–15	8.94	11.34	27.69	6.08	4.97	2.69	172.28	29.05	21.56	0.00	96.07	14.46	17.85	14.05
2015–16	5.70	11.92	35.11	7.27	5.63	3.03	174.60	102.61	21.56	0.00	81.91	9.73	3.80	2.48
योग	**60.09**	**57.66**	**121.66**	**25.86**	**22.98**	**11.45**	**1177.75**	**553.11**	**105.65**	**4.86**	**401.00**	**73.81**	**139.34**	**89.31**
व्यय प्रतिशत	**96**		**21**		**50**		**47**		**5**		**18**		**64**	

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)
(एफ.ए.– उपलब्ध राशि जिसमें पिछले वर्षों का अंतशेष सम्मिलित है एवं ई.–जनपद पंचायतों द्वारा किया गया व्यय)

आई.जी.वी.ए.पी.: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन, एस.एस.पी. 1: सामाजिक सुरक्षा पेंशन, एस.एस.पी. 2: सुखद सहारा पेंशन, मनरेगा: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, सी.जी.जी.एन.वाई.: छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना, आई.ए.वाई.: इंदिरा आवास योजना, बी.आर.जी.एफ.: पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सभी सात चयनित योजनाओं में नमूने हेतु चयनित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उपलब्ध राशि का व्यय नहीं किया जा सका। इन सात योजनाओं पर 2011–16 के दौरान व्यय पांच (सी.जी.जी.एन.वाई.) एवं 96 (आई.जी.वी.ए.पी.) प्रतिशत के मध्य था। व्यय किए जाने की कम दक्षता का कारण नमूने हेतु चयनित पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों में नहीं थी। आगे, इन योजनाओं के अभिलेखों के अपर्याप्त संधारण के कारण मनरेगा एवं सी.जी.जी.एन.वाई. में अंतिम शेष आगामी वर्षों के प्रारंभिक शेष से मेल नहीं खाती थी **(परिशिष्ट 2.1.1)**। तथापि, पी.आर.डी. ने पंचायती राज संस्थाओं को इन योजनाओं के निधियों के उचित लेखांकन सुनिश्चित करने हेतु प्रारम्भिक एवं अंतिम शेषों के पुनर्मिलान के लिए कभी निर्देशित नहीं किया था।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने कहा कि अभिलेखों के उचित संधारण एवं कारण प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत को निर्देशित किया जायेगा।

2.1.2.1 बजट एवं निधियों का लेखांकन

बजट अनुमान का तैयार करना एवं प्रस्तुत करना

छत्तीसगढ़ जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 के अनुसार जिला पंचायतों को वार्षिक कार्ययोजना एवं निधियों की आवश्यकता के अनुसार बजट अनुमानों को तैयार करना होता है। जिला पंचायत, सामान्य प्रशासन समिति से अनुमोदन के पश्चात् बजट अनुमान पी.आर.डी. को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक प्रस्तुत करेगा।

जिला पंचायत सरगुजा एवं नमूना जांच किए गए जनपद पंचायतों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 2011–16 के दौरान जनपद पंचायतों द्वारा जिला पंचायतों को बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में विलंब 10 से 202 दिवस के मध्य एवं जिला पंचायत

से पी.आर.डी. को प्रस्तुतीकरण में विलंब 41 से 255 दिवस के मध्य था (**परिशिष्ट 2.1.2**)। आगे तीन वर्षों[3] में जिला पंचायत ने बजट अनुमान का अनुमोदन जनपद पंचायतों के बजट अनुमानों को प्राप्त करने के पहले कर दिया जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिला पंचायत द्वारा बजट अनुमान वास्तविक अनुमानों के आधार पर नहीं बनाया गया था **(परिशिष्ट 2.1.3)**।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने कहा कि नियत समय पर बजट प्रस्तुत करने हेतु यथोचित निर्देश जारी किया जायेगा।

बजट आवंटन ₹ 3.82 करोड़ का व्यपगत होना

पूर्व अपेक्षित अनुमति के अभाव में ₹ 3.82 करोड़ का बजट आवंटन व्यपगत हो गया

जिला पंचायत सरगुजा को पंचायत कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के लिए फरवरी–मार्च 2016 के दौरान ₹ 3.82 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ था।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत सरगुजा ने देयकों को कोषालय में प्रस्तुत किया (मार्च 2016), फिर भी वित्त विभाग से अनुमति के अभाव में देयक पारित नहीं हो सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.82 करोड़ का बजट आवंटन व्यपगत हो गया जबकि कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने कहा कि कोषालय को वित्त विभाग द्वारा अनुमति नहीं दिया गया।

आवश्यक अनुमति के बिना कोषालय में देयक प्रस्तुत किए जाने के कारण बजट व्यपगत हो गया।

बकाया देय एवं अग्रिम

अग्रिम राशि ₹ 3.11 करोड़ असमायोजित थी

छत्तीसगढ़ जिला पंचायत (लेखा) नियम 1999 के नियम 51 एवं 52 के अनुसार पंचायत के सदस्यों एवं कर्मचारियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के अनुमोदन पश्चात अग्रिम तभी दिया जा सकता है, यदि उसी प्रकृति का पूर्व में दिया गया अग्रिम पूर्णतः समायोजित या वसूल कर लिया गया हो। यदि कर्मचारी अग्रिम के विरूद्ध व्यय का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे उनके अगले वेतन या अन्य देय से वसूल कर लिया जायेगा। आगे, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 89(1) में प्रावधानित है कि प्रत्येक पंच, सदस्य या कोई पद धारण करने वाला कार्मिक, पंचायत का अधिकारी या कर्मचारी, कर्तव्यों के प्रति की गयी लापरवाही के कारण कोई हानि, गबन या दुर्विनियोजन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। बकाया राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूलनीय होगा।

जिला पंचायत सरगुजा एवं पांच नमूना जांच किए गए जनपद पंचायतों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 39 कर्मचारियों को 2006–16 के दौरान दी गयी राशि ₹ 3.99 लाख (**परिशिष्ट 2.1.4**) फरवरी 2017 तक असमायोजित था। आगे, यह भी देखा गया कि 17 प्रकरणों में पूर्व के अग्रिम को समायोजित किए बिना अग्रिम स्वीकृत किए गए थे।

इसी प्रकार जिला पंचायत सरगुजा द्वारा अग्रिम के रूप में 344 सरपंचों को ₹ 4.96 करोड़ की राशि 2010–13 के दौरान विभिन्न प्रकार के सिविल कार्यों हेतु दी गयी थी। इसमें से फरवरी 2017 तक केवल ₹ 1.89 करोड़ समायोजित की गयी थी जबकि ₹ 3.07 करोड़ फरवरी 2017 तक बकाया थी (**परिशिष्ट 2.1.5**)।

[3] 2011–12, 2013–14 एवं 2015–16

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि समायोजन/वसूली सुनिश्चित किए जाने हेतु जिला पंचायत को निर्देशित किया जायेगा।

आन्तरिक नियंत्रण के अभाव के कारण ₹ 37.05 लाख का कपटपूर्ण आहरण

एन.जी.ओ. द्वारा ₹ 37.05 लाख का कपटपूर्ण आहरण

जनपद पंचायत मैनपाट के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रत्येक ₹ 50,000 मूल्य के दो चेक एक एन.जी.ओ. को जारी किया गया (20 अक्टूबर 2014)। जनपद पंचायत के बैंक विवरण से पता चला कि इन दो चेकों के विरूद्ध एन.जी.ओ. द्वारा चेक की राशि में जालसाजी करके ₹ 3,50,000 (21 अक्टूबर 2014) एंव ₹ 4,50,000 (31 अक्टूबर 2014) आहरित किया गया। तथापि जनपद पंचायत मैनपाट द्वारा एक वर्ष व्यतीत होने पश्चात एक एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया (अक्टूबर 2015)। इसी प्रकार, जनपद पंचायत सीतापुर में ₹ 40,000 हेतु जारी चेक (नवम्बर 2014) की राशि में उसी एन.जी.ओ. द्वारा जालसाजी किया गया एवं ₹ 3,40,000 आहरित किया गया। जनपद पंचायत सीतापुर ने आठ माह व्यतीत होन के बाद एफ.आई.आर. दर्ज कराया (अगस्त 2015)।

जनपद पंचायत बतौली में चेक रखने वाले कर्मचारी ने देखा (जुलाई 2015) कि जनपद पंचायत के अभिलेखो से तीन चेक गुम थे, बैंक विवरण से ज्ञात हुआ कि उक्त एन.जी.ओ. ने गुम हुए चेकों से जून एवं जुलाई 2015 के बीच ₹ 27.05 लाख[4] आहरित कर लिया था। एन.जी.ओ. के विरूद्ध एक एफ.आई.आर. जुलाई 2015 में दर्ज कराया गया।

इस प्रकार कुल राशि ₹ 37.05 लाख एन.जी.ओ. द्वारा अक्टूबर–नवम्बर 2014 एवं जुलाई 2015 में कपटपूर्ण ढ़ंग से आहरित किया गया एंव गबन किया गया, जो फरवरी 2017 तक वसूली हेतु शेष था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यदि अक्टूबर 2014 में कपटपूर्ण आहरण की पहली घटना ध्यान में आने पर जिला पंचायत द्वारा एन.जी.ओ. के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए कार्यवाही समय पर प्रारंभ किया गया होता तो जून–जुलाई 2015 के दौरान जनपद पंचायत बतौली में कपटपूर्ण आहरण को रोका जा सकता था। तथापि जिला पंचायत द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने में विलंब ने एन.जी.ओ. द्वारा ₹ 27.05 लाख के गबन को आसान कर दिया।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि कपटपूर्ण आहरण की पूर्ण राशि की वसूली सुनिश्चित करने हेतु जिला पंचायत को निर्देशित किया जायेगा।

तथ्य यथावत है कि यदि एन.जी.ओ. के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही किया गया होता तो जनपद पंचायत बतौली के कपटपूर्ण आहरण को रोका जा सकता था। जिला पंचायत ने राशि वसूली हेतु एफ.आई.आर. दर्ज करने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया।

2.1.3 राजस्व संग्रहण

जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतें अपने आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए जलाशय, दुकान, मीटिंग हॉल एवं सामुदायिक भवनों पर कर आरोपित करते हैं जबकि ग्राम पंचायतें अपने राजस्व के स्रोत को अनिवार्य एवं एच्छिक करों एवं शुल्कों के संग्रहण से व्युत्पन करती है जैसा कि सी.जी.पी.आर.ए. में प्रावधानित है। जिला पंचायत स्तर एवं पांच में से दो जनपद पंचायतों के राजस्व संग्रहण का विवरण नीचे **तालिका 2.1.3** में दिया गया है :

4 चेक 1 – ₹ 8.75 लाख, चेक 2 – ₹ 9.80 लाख, चेक 3 – ₹ 8.50 लाख

तालिका 2.1.3: स्वंय के राजस्व का संग्रहण

(राशि ₹ में)

वर्ष	जिला पंचायत सरगुजा		जनपद पंचायत बतौली		जनपद पंचायत उदयपुर	
	अनुमानित आय	वास्तविक आय	अनुमानित आय	वास्तविक आय	अनुमानित आय	वास्तविक आय
2011–12	120000	118100	13633	13633	3000	2400
2012–13	120000	120000	13633	8345	5000	3600
2013–14	180000	180000	14395	9180	3000	2400
2014–15	180000	180000	14395	9180	5000	0
2015–16	216000	108000	16375	10002	150000	137283
कुल	**816000**	**706100**	**72431**	**50340**	**166000**	**145683**

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

उपरोक्त से देखा जा सकता है, जिला पंचायत ने वर्ष 2011–16 के दौरान अनुमानित राजस्व ₹ 8.16 लाख के विरूद्ध केवल ₹ 7.06 लाख (86 प्रतिशत) संग्रहित किया तथा जनपद पंचायत बतौली एवं उदयपुर ने अनुमानित राजस्व ₹ 2.38 लाख के विरूद्ध ₹ 1.96 लाख (82 प्रतिशत) संग्रहित किया। अन्य तीन जनपद पंचायतों एवं नमूना जांच किये गये ग्राम पंचायतों के प्रकरणों में राजस्व का अनुमान एवं संग्रहण लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। राजस्व का अनुमान एवं संग्रहण यथार्थवादी नहीं था क्योंकि जिला पंचायत जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों ने सम्पत्ति कर, प्रकाश कर, जलाशयों को पट्टे पर देने, किराया वसूली इत्यादि का उचित अधिरोपण नहीं किया, जैसा कि अनुगामी पैराग्राफ में चर्चा किया गया है।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने कहा कि उचित अभिलेख संधारण हेतु निर्देश जारी किया जायेगा।

2.1.3.1 सम्पत्ति कर

छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अनिवार्य कर एवं फीस (शर्त एवं अपवाद) नियम 1996, के नियम 5 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत विहित प्रक्रिया का पालन करके भूमि, भवन या दोनों पर कर आरोपित करेगी। कर का दर ग्राम पंचायत द्वारा भवन के पूँजीगत मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा।

नमूना जांच किए गए 10 ग्राम पंचायतों में से तीन ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पत्ति कर नहीं लगाया गया

नमूना जांच किये गये 10 ग्राम पंचयातों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि तीन[5] ग्राम पंचायतों ने सम्पत्ति कर अधिरोपित नहीं किया जबकि चार[6] ग्राम पंचायतों ने ग्राम पंचायतों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर 2015–16 के दौरान ₹ 20 एवं ₹ 50 प्रति मकान प्रति वर्ष की समान दर पर सम्पत्ति कर अधिरोपित किया। अन्य तीन ग्राम पंचायतों ने सम्पत्ति कर के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराया।

लेखापरीक्षा में मांग एवं संग्रहण पंजी में आगे देखा गया कि ग्राम पंचायतों ने मकानों के पूँजीगत मूल्य को रिकार्ड नहीं किया जिसके आधार पर सम्पत्ति कर की मांग एवं वसूली किया जाना था। इस प्रकार अधिरोपण योग्य वास्तविक कर का सत्यापन नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि नियम अनुसार सम्पत्ति कर के अधिरोपण एवं संग्रहण तथा आवश्यक अभिलेख संधारण हेतु जिला पंचायतों को निर्देशित किया जायेगा।

5 अमदला, चोड़िया एवं करौंदी

6 बतौली, सरमना, शिवनाथपुर एवं सोनतराई

2.1.3.2 प्रकाश कर

नमूना जांच किए गए 10 ग्राम पंचायतों में से चार के द्वारा प्रकाश कर अधिरोपित नहीं किया गया

छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अनिवार्य कर (शर्त एवं अपवाद) नियम 1996 के नियम 10 के अनुसार, एक ग्राम पंचायत जिसने प्रकाश व्यवस्था किया हो, प्रक्रिया का पालन करके भवनों के पूँजीगत मूल्य के संदर्भ में, ग्राम पंचायत क्षेत्र में उसके द्वारा जैसा निर्णय लिया जाए सभी भवनों पर प्रकाश कर अधिरोपित करेगी। प्रकाश कर भवन के वास्तविक अधिवासी द्वारा देय होगी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नमूना जांच किये गये 10 ग्राम पंचायतों में से चार[7] ने प्रकाश व्यवस्था किया था किन्तु प्रकाश कर का अधिरोपण एवं संग्रहण नहीं किया जबकि अन्य छः ग्राम पंचायतों ने प्रकाश व्यवस्था नहीं किया था।

निर्गम बैठक के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुए आयुक्त सह संचालक ने कहा कि जिला पंचायत को नियमानुसार प्रकाश कर के अधिरोपण एवं संग्रहण करने और आवश्यक अभिलेखों के संधारण हेतु निर्देशित किया जायेगा।

2.1.3.3 जलाशय पट्टे का बकाया शुल्क

राज्य शासन ने अप्रैल 2003 में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों को क्रमशः 100 से 200 एवं 10 से 100 हेक्टेयर औसत आकार के जलाशय (वाटर बॉडी) को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर आवंटित करने के लिए अधिकृत किया।

जिला पंचायत सरगुजा एवं पांच नमूना जांच किये गये जनपद पंचायतों के अभिलेखों की जांच के दौरान देखा गया कि मत्स्य पालन हेतु जलाशयों को पट्टे पर दिया गया था। यद्यपि, फरवरी 2017 की स्थिति में, अवधि जून 2012 से जून 2015 के लिए पट्टाधारकों से वसूली योग्य राशि ₹ 0.79 लाख लंबित थी, जिसका विवरण नीचे **तालिका 2.1.4** में दिया गया है:

तालिका 2.1.4: वसूली योग्य जलाशय पट्टे का विवरण

(₹ लाख में)

जनपद पंचायत/ जलाशय का नाम	पट्टे की अवधि	पट्टा राशि जमा करने की देय तिथि	वसूली हेतु बकाया
बतौली/गहीला	01/07/2012 से 30/06/2013	01/04/2012 से 30/06/2012	0.05
	01/07/2013 से 30/06/2014	01/04/2013 से 30/06/2013	0.06
	01/07/2014 से 30/06/2015	01/04/2014 से 30/06/2014	0.06
	01/07/2015 से 30/06/2016	01/04/2015 से 30/06/2015	0.06
उदयपुर/खोडरी	01/07/2014 से 30/06/2015	01/04/2014 से 30/06/2014	0.14
	01/07/2015 से 30/06/2016	01/04/2015 से 30/06/2015	0.14
लखनपुर/नरकालो	01/07/2014 से 30/06/2015	01/04/2014 से 30/06/2014	0.14
	01/07/2015 से 30/06/2016	01/04/2015 से 30/06/2015	0.14
योग			**0.79**

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

अनुबंध के उपवाक्य के अनुसार प्रथम वर्ष के पट्टे की राशि जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के खातों में अनुबंध के पूर्व जमा कराया जाना था तथा अनुगामी वर्षो की राशि 1 अप्रैल से 30 जून के मध्य जमा कराया जाना था। पट्टा राशि जमा कराने में असफल रहने पर 2.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से दंड ब्याज अधिकतम तीन माह के लिए वसूली करना था इसके पश्चात् 30 दिवस का नोटिस देकर पट्टा निरस्त किया जा सकता था।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत सरगुजा एवं तीन[8] जनपद पंचायतों

7 बतौली, प्रतापगढ़, सरमना एंव शिवनाथपुर

8 बतौली, लखनपुर एंव उदयपुर

में पट्टा राशि तीन से 43 माह के विलंब से जमा कराया गया किंतु पट्टा धारकों से ब्याज राशि ₹ 2.38 लाख वसूली नहीं किया गया **(परिशिष्ट 2.1.6)**। आगे, जिला सरगुजा ने दो जलाशयों को 2014–15 के दौरान पट्टे पर देने हेतु कार्रवाई नहीं किया, जबकि जनपद पंचायत सीतापुर ने तीन जलाशयों को पट्टे पर जून 2011 से मार्च 2016 के दौरान नहीं दिया। परिणामस्वरूप जिला पंचायत सरगुजा एवं संबंधित जनपद पंचायत निरूपयोगी जलाशयों से राजस्व उगाही नहीं कर सके।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि शेष पट्टे एवं ब्याज की राशि वसूली हेतु जिला पंचायत को निर्देशित किया जायेगा। तथ्य यथावत है कि जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों ने राजस्व हानि बचाने के लिए सामयिक कार्रवाई नहीं किया।

2.1.3.4 मीटिंग हाल का बकाया किराया

जिला पंचायत सरगुजा के आदेशानुसार मीटिंग हॉल का किराया आवंटितों से ₹ 3200 प्रतिदिन की दर से वसूलनीय हैं।

जिला पंचायत सरगुजा के अभिलखों की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत के अंतर्गत मीटिंग हाल को 2011–12 से 2015–16 के दौरान विभिन्न विभागों को आवंटित किया गया किंतु किराया वसूल नहीं किया जा सका यद्यपि संबंधित विभागों से किराये का मांग की गयी थी। इसके फलस्वरूप ₹ 0.64 लाख का राजस्व हानि हुआ **(परिशिष्ट 2.1.7)**।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि मीटिंग हाल का शेष किराया राशि वसूली हेतु जिला पंचायत निर्देशित किया जायेगा।

2.1.4 योजनाओं का क्रियान्वयन

2.1.4.1 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष

योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय असामानता को दूर करना, कार्य विशेष के क्रियान्वयन में गुणवत्ता में सुधार लाना, स्थानीय निकायों को नियोजन, क्रियान्वयन और योजनाओं के निगरानी में पेशेवर सहायता उपलब्ध कराना इत्यादि है। योजना निधि राज्य शासन (संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) से जिला पंचायतों के बैंक खातों में स्थानान्तरित किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन पंचवर्षीय और वार्षिक कार्य योजना के आधार पर किया जाना था। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है :

पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के दिशानिर्देश (कंडिका 1.3) के अनुसार आवश्यक है कि क्षेत्रीय असमानताओं को ध्यान रखते हुये जिला विकास पंचवर्षीय येाजना बनाया जाए। बी.आर.जी.एफ. दिशानिर्देश की अध्याय–2, कंडिका 2.1 के अनुसार जिला योजना समिति द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गये वार्षिक योजना को जिला योजना में समेकित किया जायेगा।

जिला पंचायत सरगुजा के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि सरगुजा जिले में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत 2011–16 हेतु पंचवर्षीय योजना नहीं बनाये गये थे। तथापि 2011–15 के दौरान जिला द्वारा वार्षिक कार्ययोजना बनाये गये थे। वर्ष 2014–15 के वार्षिक कार्ययोजना में कुल 573 कार्य अनुमोदित किये गये थे, जिसमें से केवल 30 कार्य ही वर्ष 2014–15 में स्वीकृत किये गये। वार्षिक कार्ययोजना में

अनुमोदित शेष 543 कार्यों को नहीं किया गया, जो अवास्तविक वार्षिक कार्ययोजना तैयार किए जाने को इंगित करता है।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने कहा कि वर्ष 2014–15 में योजना के बंद होने के कारण अनुमोदित कार्यों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। फिर भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाये जाने एवं वार्षिक कार्ययोजना को संशोधित नहीं किए जाने के कारण प्रस्तुत नहीं किये गये।

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के दिशानिर्देशों की कंडिका 4.5 (घ) के अनुसार, राशि प्रदाय के एक वर्ष के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया जाना था।

₹ 2.07 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित था

जिला पंचायत सरगुजा के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि 2011–15 के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹ 21.72 करोड़ जारी किये गये थे जिसमें से क्रियान्वयन एजेंसी जैसे ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें, आदिमजाति कल्याण विभाग और नगर निगम इत्यादि द्वारा फरवरी 2017 तक ₹ 2.07 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना लंबित था।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि जिला पंचायत को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

कार्य पूर्णता में विलंब होना एवं राशि का अवरूद्ध रहना

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार कार्य स्वीकृति पश्चात् उसी वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें कार्य स्वीकृत किए गए है, कार्य पूर्ण करा लिया जाना चाहिए।

नमूना में लिए गए जनपद पंचायतों के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि नमूना जांच किए गए 50 कार्यों में से 30 कार्य तीन से 50 माह के विलम्ब से पूर्ण हुये (**परिशिष्ट 2.1.8**)। जनपद पंचायतों के अभिलेखों में विलम्ब का कारण उपलब्ध नहीं था। आगे, तीन[9] जनपद पंचायतों में राशि ₹ 29.52 लाख के चार कार्य (**परिशिष्ट 2.1.9**), 32 से 56 माह व्ययतीत होने पर भी फरवरी 2017 तक पूर्ण नहीं हुये थे। इन अधूरे कार्यों में ₹ 15.34 लाख का व्यय किया गया जो अवरूद्ध है।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये कहा कि, ग्राम पंचायतों द्वारा रूचि नहीं लेने, वर्षा ऋतु, स्थल विवाद एवं निर्वाचन इत्यादि के कारण कार्य को पूर्ण करने में विलंब हुआ है। वास्तविकता यह है कि कार्य के विलंब से पूर्ण होने पर ग्राम पंचायतों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि अन्य कारण जैसे कि वर्षा, निर्वाचन इत्यादि कार्यों के पूर्णता कार्यक्रम मे पहले से ही सम्मिलित किये गये थे और इस प्रकार विलंब के लिए दिया गया औचित्य मान्य नहीं है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष की राशि ₹ 24.99 लाख का व्यपवर्तन

छ.ग. जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम 1997 के नियम 11 (छ) के अनुसार जारी किये गये राशि का उपयोग केवल विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु किया जाना चाहिए।

बी.आर.जी.एफ. से राशि ₹ 24.99 लाख व्यपवर्तित किया गया

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि माह अगस्त 2013 में फुलवारी योजना हेतु राशि ₹ 24.99 लाख को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष से व्यपवर्तित किया गया जिसका समायोजन फुलवारी योजना में आवंटन के अभाव में माह फरवरी 2017 तक नहीं किया गया।

---

[9] बतौली, लखनपुर एंव उदयपुर

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये कहा कि जिला पंचायत को व्यपवर्तित राशि के समायोजन हेतु निर्देशित किया जायेगा।

उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य का अनियमित कार्यान्वयन

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा ने प्रशासकीय स्वीकृति दिया (सितम्बर 2013)। जनपद पंचायत उदयपुर के अंतर्गत पण्डरीडांड़ एवं पण्ड्राखी में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम का निर्माण इस शर्त पर किया जाना था कि क्रियान्वयन एजेंसी कार्य शुरू करने से पूर्व, यह निश्चित करेगी कि उसी प्रकार का कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ है। समान प्रकार के कार्य की स्वीकृति अन्य योजना से होने की स्थिति में स्वीकृति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उदयपुर के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि वर्ष 2011–12 में गौण खनिज राजस्व से उचित मूल्य दुकान का निर्माण पण्डरीडांड़ एवं पण्डराखी ग्रामों में किया जा चुका था। फिर भी जनपद पंचायत उदयपुर ने वर्ष 2013–14 में प्रशासकीय स्वीकृति में दिये निर्देशों का अतिक्रमण करके राशि 18.04 लाख[10] का व्यय कर पुनः उचित मूल्य दुकान सह गोदाम का निर्माण किया।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि प्रकरण की जाँच किया जायेगा एवं लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

2.1.4.2 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक अधिनियम है जो हर परिवार के लिए, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मानवीय श्रम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हैं, कम से कम 100 दिन की गारण्टीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण इलाकों में घर की आजीविका की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रदान किया जाता है। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षो की चर्चा नीचे की गई है:

वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित कार्यों के अलावा अन्य कार्यो का निष्पादन

मनरेगा दिशानिर्देश 2013 की कंडिका 6.5.2 के अनुसार क्रियान्वयन एजेन्सियां ग्राम पंचायतों को कार्यों की सूची प्रस्तुत करेंगे जो कि गाम पंचायतों के वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जायेगा।

सरगुजा जिले के 10 नमूना जांच किए ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011–16 के दौरान वार्षिक योजना में 588 कार्यों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 73 कार्य निष्पादित नहीं किये गये थे। जबकि 108 कार्य जो कि वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित नही थे, स्वीकृत एवं क्रियान्वित किये गये **(परिशिष्ट 2.1.10)**। इस प्रकार योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ।

निर्गम बैठक के दौरान तथ्य को स्वीकार करते हुए आयुक्त सह संचालक ने कहा कि वस्तुस्थिति की जांच करके लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

मजदूरी के भुगतान में विलंब

मनरेगा के दिशानिर्देश 2013 के उपवाक्य 2.11 (IX) के अनुसार श्रमिको के मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या श्रमिक द्वारा कार्य करने के 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

---

10 पण्डरीडांड ₹ 9.93 लाख एंव पण्डराखी ₹ 8.11 लाख

पाँच जनपद पंचायतो में 50 चयनित कार्यों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मजदूरी का भुगतान एक से 306 दिनों की विलंब से मनरेगा के दिशानिर्देशों के प्रावधान का उल्लंघन करके किया गया **(परिशिष्ट 2.1.11)**।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि मामले की जांच की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

मनरेगा के अतंर्गत वाटर बाउण्ड मेकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.) सड़कों की अनियमित स्वीकृति

पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.) ने ग्रामीण सड़को में मिटटी कार्य के निष्पादन में कठिनाई को देखते हुए वाटर बाउण्ड के कार्य को निषिद्ध किया था (फरवरी 2008)।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि 2011–16 के दौरान राशि ₹ 21.86 करोड़ के 228 डब्ल्यू.बी.एम. सड़क कार्य पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग के आदेशों का उल्लंघन करके किया गया।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने कहा कि लोकहित में ग्रामीणों की माँग पर डब्ल्यु.बी.एम. सड़क कार्य स्वीकृत किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डब्ल्यु.बी.एम. सड़क निर्माण से पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशों का अतिक्रमण हुआ।

प्रशासनिक मद पर अधिक व्यय

प्रशासनिक मद से ₹ 9.11 करोड़ अधिक व्यय हुआ

राज्य शासन के निर्देश (25 फरवरी 2008) के अनुसार प्रशासनिक मद में अनुमत्य व्यय का प्रतिशत जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष के दौरान किए गए व्यय का क्रमशः 1.5 प्रतिशत, दो प्रतिशत एवं 0.5 प्रतिशत थी जो सितम्बर 2014 में एक प्रतिशत, दो प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत संशोधित किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा एवं पाँच जनपद पंचायतों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जनपद पंचायतों द्वारा राशि ₹ 5.44 करोड़ एवं जिला पंचायत द्वारा राशि ₹ 3.67 करोड़ निर्धारित सीमा से अधिक प्रशासनिक व्यय किया गया था **(परिशिष्ट 2.1.12)।**

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि अधिक व्यय मनरेगा के कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान और कम्प्युटर खरीदी के अनिवार्य दायित्व के कारण हुआ था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि प्रशासनिक मद के अंतर्गत व्यय निर्धारित सीमा के अनुसार सीमित होना चाहिए।

2.1.4.3 इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के आवासहीन परिवारों को शौचालय सहित पक्का मकान निर्माण के लिए केन्द्र एवं राज्य अंश से 75:25 के अनुपात में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। प्रत्येक पात्र परिवार को ₹ 75000 का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षो की चर्चा नीचे की गयी है :

पंचवर्षीय प्राथमिकता सूची नहीं बनाया गया

आई.ए.वाई. दिशानिर्देशों की पैरा 7.1 (2) के अनुसार, प्रत्येक ग्राम सभा पंचवर्षीय प्राथमिकता सूची एवं हितग्राहियों के वार्षिक चयन सूची को अंतिम रूप देगी। यह सूची योजना के हितग्राहियों के चयन के लिए आधार निर्मित करता है।

सरगुजा जिले के 10 ग्राम पंचायतों के नमूना जांच में यह देखा गया कि तीन ग्राम पंचायतों[11] में पंचवर्षीय प्राथमिकता सूची नहीं बनाया गया जबकि सात ग्राम पंचायतों ने इसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार प्राथमिकता सूची के अभाव में हितग्राहियों का चयन हेरफेर के लिए मुक्त था।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने कहा कि पुरानी प्राथमिकता सूची समाप्त होने के बाद शासन से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार हितग्राहियों के चयन के लिए ग्राम सभा द्वारा स्वीकृति दिया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन के आदेशानुसार प्राथमिकता सूची समाप्त होने के बाद हितग्राहियों के चयन के लिए अतिरिक्त प्राथमिकता सूची बनाया जाना था। अतः उत्तर कोई नियम से समर्थित नहीं है।

भारत सरकार द्वारा राशि ₹ 78.56 लाख कटौती किया जाना

भारत सरकार द्वारा आई.ए.वाई. निधि की राशि ₹ 78.56 लाख कटौती किया गया

भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग, (एम.ओ.आर.डी.) द्वारा जारी दिशा निर्देश (मार्च 2013) के अनुसार जिले में राशि का प्रारंभिक शेष जैसे कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.)/जिला पंचायत एंव पंचायतों के पास उपलब्ध राशि का प्रारंभिक शेष 2 अप्रैल 2013 को उपलब्ध राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक शेष के सीमा से अधिक होने की स्थिति में केन्द्रांश के आधिक्य की राशि आगामी वर्ष में द्वितीय किश्त जारी करते समय काट लिया जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि भारत सरकार ने जिला पंचायत द्वारा 31 मार्च 2013 तक आवंटित राशि व्यय करने में विफल रहने से 2 अप्रैल 2013 को निधि के अधिक अग्रेषित किये जाने के कारण 2012–13 के द्वितीय किस्त की राशि से राशि ₹ 78.56 लाख काट लिया।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने कहा कि प्रारंभिक शेष में आधिक्य, ब्याज राशि के कारण था जो राज्य शासन के 2015–16 के निर्देशानुसार नोडल खाते में वापस कर दिया गया है। उत्तर विश्वासनीय नहीं है क्योकि ब्याज राशि के योजना निधि का भाग होने के कारण भारत सरकार द्वारा कटौती को बचाने के लिए योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2013 तक उपयोग किया जाना था।

शौचालयों के निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों को जारी राशि का अवरूद्ध रहना

इंदिरा आवास योजना दिशानिर्देशों की पैरा 6.8(i) के अनुसार इंदिरा आवास योजना के समस्त मकानों में निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण करना अनिवार्य होगा।

ग्राम पंचायतों में ₹ 54.19 लाख की राशि अवरूद्ध थी

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीतापुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 4600 प्रति शौचालय की दर से 784 शौचालय स्वीकृत किए गए (दिसम्बर 2013) एंव इन शौचालयों के निर्माण के लिए ₹ 36.06 लाख 42 ग्राम पंचायतों को विमुक्त किए गए। यह देखा गया कि ₹ 17.66 लाख के व्यय करके 384 शौचालय निर्मित किए गए जबकि 400 शौचालय मनरेगा के अंतर्गत प्रदान की गयी राशि से निर्मित किए गए। तथापि, ₹ 18.40 लाख (₹ 36.06 लाख–₹ 17.66 लाख) की राशि ग्राम पंचायतों से वसूली के लिए लंबित थे (फरवरी 2017)।

इसी प्रकार जनपद पंचायत मैनपाट में इंदिरा आवास योजना के आवासों में 2011–13 के दौरान ₹ 35.79 लाख के लागत से 778 शौचालय स्वीकृत किए गए थे। राशि अप्रैल 2014 में ग्राम पंचायतों को दिए गए किंतु कोई भी ग्राम पंचायत ने जुलाई 2016 तक कार्य प्रारंभ नहीं किया। समस्त शौचालय मनरेगा निधि से निर्मित किया गया (फरवरी 2017) किंतु ₹ 35.79 लाख ग्राम पंचायतों से वसूल नहीं किये गए थे।

11 ग्राम पंचायत अमदला, चोड़िया एवं करौदी

इस प्रकार ₹ 54.19 लाख ग्राम पंचायतों के पास अवरूद्ध थे।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि अद्यतन स्थिति मांगा जायेगा। तथापि संबंधित ग्राम पंचायतों से राशि वसूल नहीं किए जाने का कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.1.4.4 छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना

राज्य शासन ने राज्य के 15 जिलो[12] में जहां पर बी.आर.जी.एफ. योजना लागू थी, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट रोड, निर्मला घाट, सावर्जनिक वितरण प्रणाली दुकान, आंगनवाडी भवन आदि निमार्ण के लिए में छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना (सी.जी.जी.एन.वाई.) प्रारंभ किया (2006–07)। योजना के दिशानिर्देशों में जनप्रतिनिधियों[13] द्वारा अनुशंसित किए कार्यों को महत्व और निधियों की उपलब्धता के आधार पर लेने के लिए परिकल्पना की गई थी। यह योजना 2014–15 में बन्द हो गई थी एवं छत्तीसगढ़ समग्र ग्रामीण विकास योजना में विलय कर दिया गया। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

राशि ₹ 5.50 करोड़ अवरूद्ध रहना

योजना बंद होने के कारण ₹ 5.50 करोड़ की राशि अवरूद्ध थी

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियम 185 (2) के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान केवल उसी अनुदान को प्रदान किया जाना चाहिए, जो कि उस वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए अपेक्षित है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा एवं पांच नमूना परीक्षित जनपद पचांयतों के अभिलेखों की जांच में पाया गया, कि विभिन्न बैंक खातों में ₹ 5.50 करोड़[14] फरवरी 2017 तक पड़ी थी। चूंकि यह योजना 2014–15 में बंद हो चुकी थी, राशि बैंक खातों में अवरूद्ध पड़ी थी।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने कहा कि जिला पंचायत सरगुजा से शेष राशि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जायेगा एवं उचित निर्देश जारी किए जाएगें।

परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किए बिना क्रियान्वयन ऐजेंसी को ₹ 74.76 लाख का अनियमित भुगतान

अपेक्षित टेस्ट रिपोर्ट के बिना ₹ 74.76 लाख का भुगतान

छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (सी.जी.आर.आर.डी.ए.) द्वारा जारी किए गए निर्देशो के अनुसार, कंक्रीट क्यूब के पहले टेस्ट के संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कार्य के लागत का 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाना है और अंतिम भुगतान दूसरी टेस्ट के बाद किया जाना है।

नमूना जाँच किये गये पांच जनपद पंचायतों में 50 सीमेंट कंक्रीट रोड कार्यों के अभिलेखों की जांच में पता चला कि 32 कार्यों **(परिशिष्ट 2.1.13)** में, कार्यों की गुणवता परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं था, किंतु ₹ 74.76 लाख का पूर्ण भुगतान किया गया जो कि अनियमित था।

---

12 बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाडा, धमतरी, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, नारायणपुर, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा

13 मुख्यमंत्री, विधान सभा सदस्य (एम.एल.ए.)/लोकसभा सदस्य (एम.पी.) और जिला/जनपद के प्रतिनिधि

14 जिला पंचायत सरगुजा ₹ 5.42 करोड़, जनपद पंचायत सीतापुर ₹ 3.66 लाख, जनपद पंचायत मैनपाट ₹ 1.33 लाख, जनपद पंचायत बतौली ₹ 0.40 लाख, जनपद पंचायत लखनपुर ₹ 2.12 लाख

आयुक्त सह संचालक ने निर्गम बैठक के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि जिला पंचायत को आवश्यक टेस्ट के बाद भुगतान करने के लिए निर्देश दिया जायेगा। फिर भी परीक्षण रिर्पोट प्राप्त किये बिना भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2.1.4.5 पेंशन योजनायें

भारत सरकार एंव राज्य शासन द्वारा सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायतों में पेंशन योजनाएं जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (आई.जी.वी.ए.पी.), सामाजिक सुरक्षा पेंशन (एस.एस.पी. 1) इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन एवं सुखद सहारा पेंशन (एस.एस.पी. 2) संचालित की जाती है। आई.जी.वी.ए.पी. में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंश होता है। पांच पेंशन योजनाओं में से तीन[15] योजनाओं का नमूना जांच किया गया। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षो की चर्चा नीचे की गयी है :

पृथक लेखा एवं अभिलेख संधारित नहीं किया गया

छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देश (अप्रैल 2014) के पैरा 6.3 के अनुसार संबंधित जनपद पंचायतों द्वारा प्रत्येक पेंशन योजना के लिए पृथक अभिलेख एवं लेखे संधारित किए जायेंगे।

नमूना जांच किए गए पांच में से तीन जनपद पंचायतों[16] में यह देखा गया कि नमूना जांच किए गए पेंशन योजनाओं के लिए पृथक रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेख संधारित करने के बजाय मिश्रित रोकड़ बही संधारित किये गए थे।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने कहा कि तथ्य के सत्यापन के लिए निर्देश जारी किया जाएगा।

पेंशन का कम भुगतान

छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देश (अप्रैल 2014) के पैरा 4.4 के अनुसार पात्र पेंशनर को पेंशन का भुगतान आवेदन पत्र के पंजीयन के माह से किया जाएगा।

नमूना जांच किए गए पांच जनपद पंचायतों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चार जनपद पंचायतों (उदयपुर को छोड़कर) में हितग्राहियों को पेंशन पंजीयन तिथि से स्वीकृत करने के स्थान पर अनुमोदन के माह से स्वीकृत किये गये थे। पंजीयन तिथि का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि जनपद पंचायतों (जनपद पंचायत लखनपुर को छोड़कर) ने आवश्यक अभिलेख संधारित नहीं किया था। इस प्रकार हितग्राही पंजीयन एवं अनुमोदन के बीच की अवधि के पेंशन से वंचित रहे और यह अवधि जनपद पंचायत द्वारा अभिलेखों में अंकित नहीं किया गया था।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने कहा कि तथ्य के सत्यापन हेतु निर्देश जारी किया जायेगा। तथ्य यथावत है कि हितग्राही उपर्युक्त अवधि के लिए पेंशन के उनके अधिकार से वंचित रहे।

पूर्व संशोधित दर पर पेंशन का भुगतान

पेंशनर ₹ 44.65 लाख के पेंशन लाभ से वंचित रहे

संचालक, समाज कल्याण विभाग के आदेशानुसार सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेंशनरों के लिए पेंशन राशि में अक्टूबर 2015 से ₹ 50 प्रतिमाह की वृद्धि किया गया था।

---

15 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा एवं सुखद सहारा पेंशन

16 बतौली, मैनपाट एवं उदयपुर

नमूना जांच किए गए पांच जनपद पंचायतों के अभिलेखों में पाया गया कि हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान दो से आठ माह तक पूर्व संशोधित दर पर किया गया। फलस्वरूप 25,387 पेंशनर ₹ 50 प्रति माह की दर से पेंशन की राशि ₹ 44.65 लाख से वंचित रहे **(परिशिष्ट 2.1.14)**।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने कहा कि तथ्य के सत्यापन हेतु निर्देश जारी किया जायेगा।

पेंशन प्रकरणों के निर्णय में विलंब

छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी निर्देशों (अप्रैल 2014) के पैरा 3.2 एवं 4.3 के अनुसार, पेंशन आवेदन पत्र ग्राम पंचायतों को प्रस्तुत किए जायेंगे जो सात दिवस के भीतर जनपद पंचायतों को पहुँचना चाहिए। जनपद पंचायत 60 दिवस के भीतर निर्णय लेकर आवेदक को सूचित करेंगे। दो जनपद पंचायतों, बतौली एवं लखनपुर में 314 हितग्राहियों के संबंध में निर्णय 72 से 121 दिनों के विलंब से लिए गए थे **(परिशिष्ट 2.1.15)।**

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने कहा कि तथ्य के सत्यापन हेतु निर्देश जारी किया जायेगा। फिर भी इससे हितग्राहियों को योजनान्तर्गत पेंशनरी लाभ मिलने में विलंब हुआ।

2.1.5 निगरानी एवं आन्तरिक नियंत्रण

2.1.5.1 मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा द्वारा जारी किए गये प्रशासकीय अनुमोदन के अनुसार, कार्य की प्रगति को प्रत्येक माह नियमित रूप से जिला पंचायत को सूचित किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की जांच में पता चला कि क्रियान्वयन एजेंसियो द्वारा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया, जिससे कार्यों की निगरानी और जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्यवाही करने में बाधा उत्पन्न हुआ।

निर्गम बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक ने कहा कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए जायेंगे।

2.1.5.2 कर्मचारियों से आवास का बकाया लायसेंस शुल्क

मुख्य कार्यपालन अधिकारी और लेखापाल यह सुनिश्चित करने और सत्यापित करने के लिए उत्तरदायी है कि वेतन से कटौती योग्य राशि वसूल की जा रही है।

जिला पंचायत सरगुजा के अभिलेखों की जांच में पता चला कि कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित किया गया था, लेकिन सितम्बर 2013 से मार्च 2016 तक अवधि के दौरान कर्मचारियों से लाइसेंस शुल्क ₹ 1.68 लाख वसूली नहीं की गई थी।

निर्गम बैठक में आयुक्त सह संचालक ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि इस संबंध में निर्देश जारी किए जायेंगे।

2.1.6 निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्तीय प्रबंधन दोषपूर्ण था, क्योंकि तीन ग्राम पंचायतों ने सम्पति कर नहीं लगाया था, चार ग्राम पंचायतों ने प्रकाश कर नहीं लगाया था, तीन जनपद पंचायतो ने लीज की राशि वसूल नहीं किया जबकि जिला पंचायत सरगुजा द्वारा किराये की राशि वसूल नहीं किया गया। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओ ने

उपलब्ध संसाधनों का कम उपयोग किया क्योंकि चयनित सात योजनाओं पर व्यय सीमा पाँच से 96 प्रतिशत था।

नमूना परीक्षित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चयनित योजनाओं का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं था क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत् राशि ₹ 9.11 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत् राशि ₹ 24.99 लाख का व्यपवर्तन एवं क्रियान्वयन एजेंसी से राशि ₹ 2.07 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना मे राशि ₹ 5.50 करोड़ अवरूद्ध होने के अतिरिक्त ₹ 74.76 लाख का अनियमित भुगतान, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राशि ₹ 78.56 लाख कटौती किया गया और राशि ₹ 54.19 लाख अवरूद्ध रहा।

नमूना परीक्षित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चयनित योजनाओं के उचित निगरानी में कमी के कारण पंचायती राज संस्थाओं के सरपंचों/कर्मचारियों से ₹ 3.11 करोड़ के बकाया अग्रिम को वसूल करने एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा ₹ 37.05 लाख के कपटपूर्ण आहरण को रोकने में विफल रहा।

2.1.7 अनुशंसा

पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व संघटन को सशक्त बनाने हेतु करों के अधिरोपण एवं संग्रहण के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।

योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध निधि को खर्च करने हेतु ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। जो निधियों के दुरूपयोग में शामिल और योजनाओं के मंद क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हो उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

लाभार्थियों को योजना के लाभ का विस्तारण, बकाया राशि की समय पर वसूली और सरकारी निधियों के धोखाधड़ी पूर्ण आहरण से बचने के लिए उचित निगरानी और अभिलेखों के रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

भाग – ब

अध्याय III

नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन

भाग – ब

अध्याय III

नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन

छत्तीसगढ़ में नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यपद्धति पर विहंगावलोकन

3.1 प्रस्तावना

74वाँ संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई एवं एकरूप संरचना, सावधिक निर्वाचन तथा वित्त आयोग एवं राज्य शासन के माध्यम से निधियों के नियमित प्रवाह आदि हेतु एक प्रणाली स्थापित हुई। इसके परिपालन में राज्यों का यह दायित्व है कि वह इन निकायों को ऐसी शक्तियां, कार्य एवं दायित्वों को सौंपे, जो इन्हें स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक हो।

संविधान के अनुच्छेद 243 (क्यू) में यह प्रावधानित है कि प्रत्येक राज्य द्वारा बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिये नगरपालिक निगम, छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिये नगरपालिक परिषद, एवं ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र वाले परिवर्तनशील क्षेत्रों के लिये नगर पंचायत का गठन किया जायेगा। आगे, अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) में यह प्रावधानित है कि राज्य शासन विधि द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक हों और ऐसी विधियों में नगरीय स्थानीय निकायों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण हेतु प्रावधान होने चाहिये।

3.1.1 राज्य की रूपरेखा

मध्यप्रदेश से 16 जिलों के विभाजन के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य, अपनी राजधानी रायपुर के साथ, 1 नवंबर 2000 के आस्तित्व में आया। वर्तमान में राज्य में 27 जिले हैं।

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ नगरपालिक अधिनियम, 1961 तत्कालीन अविभाजित मध्यप्रदेश द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसे नगरपालिकाओं संबंधित नियम समेकित तथा संशोधित करने एवं नगरपालिकाओं के संगठन तथा प्रशासन के लिये बेहतर प्रावधान बनाने के उद्देश्य के साथ, छत्तीसगढ़ में अंगीकार (अगस्त 2001) किया गया था।

नगरपालिक निगम, नगरपालिक परिषद और नगर पंचायत, छत्तीसगढ़ के त्रि-स्तरीय नगरीय स्थानीय निकाय है। वर्तमान में राज्य में 13 नगरपालिक निगम, 44 नगरपालिक परिषद एवं 111 नगर पंचायत हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सामान्य जानकारी **तालिका 3.1** में दी गयी है:

तालिका 3.1: राज्य के संबंध में सामान्य जानकारी

विवरण	इकाई	राज्य के आंकड़े	सम्पूर्ण देश के आंकड़े
जनसंख्या	करोड़	2.55	121.08
देश की जनसंख्या में हिस्सा	प्रतिशत	2.11	100
शहरी जनसंख्या	करोड़	0.59	37.71
शहरी जनसंख्या का हिस्सा	प्रतिशत	23.14	31.14
साक्षरता दर	प्रतिशत	70.3	73
शहरी साक्षरता दर	प्रतिशत	84	84.1
लिंगानुपात (स्त्री प्रति हजार पुरूष)	अनुपात	991/1000	943/1000
शहरी लिंगानुपात (स्त्री प्रति हजार पुरूष)	अनुपात	956/1000	929/1000
नगरपालिक निगम	संख्या	13	139
नगरपालिक परिषद	संख्या	44	1595
नगर पंचायत	संख्या	111	2108

(स्रोतः जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े, 13वें वित्त आयोग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

नगरीय स्थानीय निकायों के लिये अंतिम निर्वाचन दिसंबर 2014 में कराया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार, राज्य की 168 नगरीय स्थानीय निकायों की कुल शहरी जनसंख्या 59 लाख थी, जो कि राज्य के कुल जनसंख्या का 23.14 प्रतिशत था। जनसंख्यावार नगरीय स्थानीय निकायों का वर्गीकरण निम्नलिखित **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2: जनसंख्यावार नगरीय स्थानीय निकायों का वर्गीकरण

स.क्र.	जनसंख्या	नगरपालिक निगम की संख्या	नगरपालिक परिषद की संख्या	नगर पंचायत की संख्या
1	5,000 से कम	निरंक	01	10
2	5,001 से 10,000	निरंक	निरंक	65
3	10,001 से 20,000	निरंक	10	36
4	20,001 से 50,000	निरंक	31	निरंक
5	50,001 से 1,00,000	04	02	निरंक
6	1,00,000 से अधिक	09	निरंक	निरंक
योग		**13**	**44**	**111**

(स्रोतः जनगणना 2011 अनुसार यू.ए.डी.डी., रायपुर द्वारा प्रदत्त एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

3.1.2 नगरीय स्थानीय निकायों के उन्नयन के मापदंड

म.प्र./छ.ग. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 तथा म.प्र./छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 के अनुसार ऐसी विशिष्टियाँ, जिसे राज्यपाल उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य आधार को, जिसे उचित समझे, ध्यान में रखते हुए नगरपालिक निगम/नगरपालिक परिषद/नगर पंचायत का गठन करेंगें।

राज्य शासन के अधिसूचना (फरवरी 2003) के अनुसार, नगरपालिक निगम के लिए एक लाख या उससे अधिक, नगरपालिक परिषद के लिए 20,000 से एक लाख एवं नगर पंचायत के लिए 5,000 से 20,000 जनसंख्या होनी चाहिए।

जनसंख्या मापदंड का कड़ाई से पालन नहीं किये जाने के कारण 11 नगरीय स्थानीय निकायों **(तालिका 3.2)** में अधिसूचना के तहत् आवश्यक जनसंख्या 5,000 से कम है।

इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा कोई जवाब प्रदाय नहीं किया गया।

3.2 नगरीय स्थानीय निकायों का संगठनात्मक संरचना

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (यू.ए.डी.डी.) राज्य के विभिन्न नगरपालिक निगमों, नगरपालिक परिषदों एवं नगर पंचायतों का प्रशासनिक विभाग है। यू.ए.डी.डी. अंतर्गत संचालनालय स्थापित किया गया है, जिसके क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर और दुर्ग में स्थित है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिये यू.ए.डी.डी. अंतर्गत गठित (जून 2001) राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) उत्तरदायी है। नगरीय प्रशासन के प्रबंधन एवं दायित्वों के निर्वहन के लिये प्रत्येक यू.ए.डी.डी. हेतु चुनी गयी नगरपालिक निगम/नगरपालिक परिषद/नगर पंचायत की व्यवस्था है। यू.ए.डी.डी. का प्रशासकीय संरचना नीचे दिया गया है:

नगरीय स्थानीय निकायों का संगठनात्मक संरचना

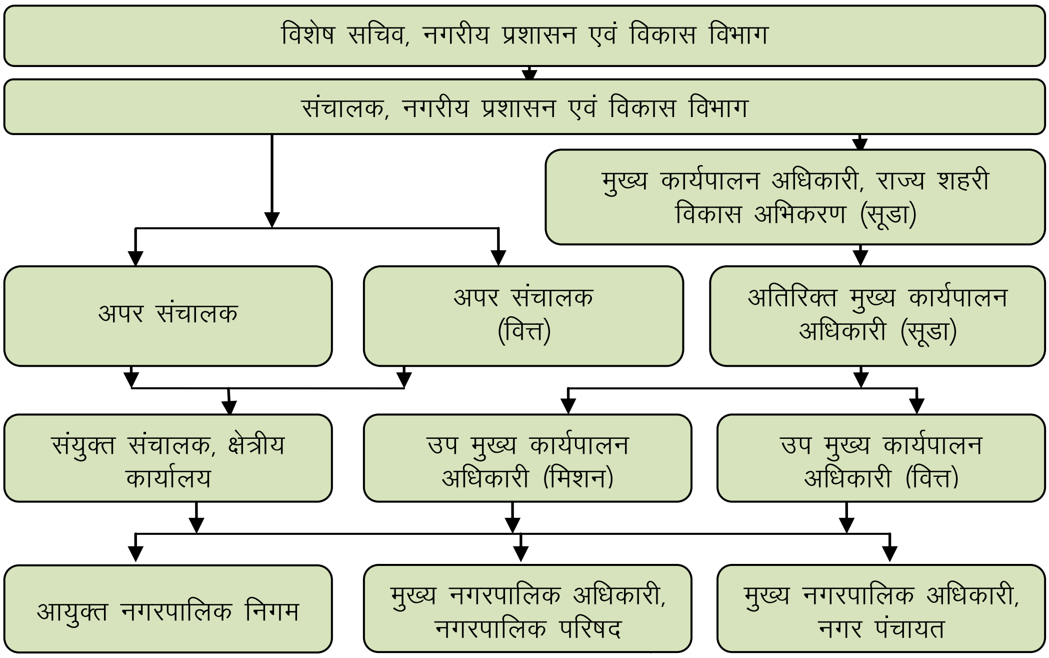

3.3 नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (एक्स) में प्रावधानित है कि राज्य विधानमंडल राजस्व वसूली हेतु विभिन्न करों के अधिरोपण का अधिकार विधि द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों में निहित कर सकता है। इस संवैधानिक प्रावधान को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के उपधारा 132 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 के उपधारा 127 में शामिल किया गया है। नगरीय स्थानीय निकायों को शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान तथा यात्रीकर विशेष अनुदान अंतर्गत भुगतान मासिक तौर पर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त नगरीय निकाय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कर अधिरोपित किये जाते है, जिसमें कि संपत्ति कर, समेकित कर, जलकर, बाजार शुल्क, निर्यात कर आदि सम्मिलित है। नगरीय क्षेत्रों में शासन द्वारा संपत्ति कर के निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया में कठिनाईओं को कम करने के लिये संपत्ति कर के स्व–निर्धारण की प्रक्रिया लागू की गयी है।

3.3.1 नगरपालिक निगम

छ.ग. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 9 के अनुसार, एक महापौर एवं नगरपालिक निगम क्षेत्र से सीधे निर्वाचित पार्षदों से मिलकर एक नगरपालिक निगम बनेगा। उक्त अधिनियम की धारा 37 के तहत् प्रत्येक नगरपालिक निगम के लिए एक

मेयर–इन–कॉंसिल होगी, जो निर्वाचित पार्षदों में से महापौर द्वारा मेयर–इन–कॉंसिल के कृत्यों और उसके क्रियाकलापों के संचालन के लिए गठित की जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए।

छ.ग. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 25 के अनुसार महापौर अपने कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन वर्णित किए गए हैं।

राज्य शासन निगम के आयुक्त की नियुक्ति करेगा जो निगम का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होता है तथा उसे निगम के या उसकी किसी समिति के सम्मेलन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का स्वत्व प्राप्त होगा, किन्तु वह मत देने का या कोई प्रस्ताव रखने का पात्र नहीं होगा। आयुक्त के कार्यालय में कृत्यों एवं दायित्वों के लिए विहित नियमों के अंतर्गत प्रशासकीय कर्मचारी होंगें।

आयुक्त ऐसे समस्त आरोपित कर्त्तव्यों का संपादन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा उसको प्रदत्त किया जाए तथा समस्त नगरपालिक अधिकारियों के कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण भी रखेगा।

3.3.2 नगरपालिक परिषद एवं नगर पंचायत

छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 के अनुसार छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिक परिषद, शहरी क्षेत्रों की ओर बदलाव होते हुए क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत होगा, जिसमें एक प्रेसिडेंट एवं संबंधित क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए पार्षद होंगें। अधिनियम की धारा 70 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिक परिषद/नगर पंचायत के लिए एक प्रेसिडेंट–इन–कॉंसिल (पी.आई.सी.) होगी, जो निर्वाचित पार्षदों में से प्रेसिडेंट द्वारा पी.आई.सी. के कृत्यों और उसके क्रियाकलापों के संचालन के लिए गठित की जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए।

नगरपालिक परिषद/नगर पंचायत का प्रेसिडेंट, जो पी.आई.सी. का अध्यक्ष होता है, सभी बैठकों की अध्यक्षता, वित्तीय एवं कार्यकारी प्रशासन पर निगरानी तथा ऐसे कार्यकारी कृत्यों का पालन करेगा जैसा कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत विहित किया जाए।

अधिनियम की धारा 87 के अनुसार, परिषद के मुख्य नगरपालिक अधिकारी की नियुक्ति शासन करेगा जो नगरपालिक परिषद/नगर पंचायत का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होगा और अपने कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन वर्णित किए गए हैं।

अधिनियम की धारा 92 के अनुसार नगरपालिक परिषद/नगर पंचायत का मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रेसिडेंट के सामान्य नियंत्रण के अधीन होगा, परिषद के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन पर निगरानी रखेगा और समस्त कर्त्तव्यों एवं विशेष रूप से आरोपित शक्तियों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त किया जाए या उसे प्रत्यायोजित किया जाए।

यू.ए.डी.डी. का अन्य दायित्वों में नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तंग बस्तियों में विकास योजनाओं का पर्यवेक्षण, शहरी गरीबों के उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाओं का विकास करना तथा उनका पर्यवेक्षण, शहरी गरीबों के लिए आवास व्यवस्था का प्रावधान, चुंगी क्षतिपूर्ति कर निधि का प्रशासन आदि का देखरेख करना है।

3.4 विभिन्न समितियों का गठन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (य घ) के अनुपालन में राज्य शासन को जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति (डी.पी.सी.) गठित करने का अधिकार है। तत्पश्चात्, राज्य शासन ने इस संबंध में डी.पी.सी. के लिए जिले में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करने एवं पूरे जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लक्ष्य के साथ छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 बनाया (मई 1995)। जिला कलेक्टर डी.पी.सी. का एक सदस्य होता है।

नगरपालिकाओं एवं निगमों द्वारा अपने कार्य का निर्वहन संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 46 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 के धारा 71 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों के प्रत्येक विभाग के लिए सलाहकार समिति, संबंधित विभाग के कार्यकलाप में सलाह देने के लिए गठित करेगा। छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 48–क एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 के धारा 72–क के अनुसार, संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन किया जायेगा। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 48–ख एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 के धारा 72–ख के अनुसार प्रत्येक नगरपालिक क्षेत्र में, जिसे राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया गया है, अधिसूचना दिनांक से तीन माह के अन्दर मोहल्ला समितियों का गठन किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा वार्ड समितियों एवं मोहल्ला समितियों के कृत्य तथा शक्तियाँ और उनके कार्य का संचालन के लिए प्रक्रिया विहित करेगी।

3.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

3.5.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (डी.एल.एफ.ए.) स्थानीय निकायों के लेखाओं का प्राथमिक लेखापरीक्षक (सांविधिक लेखापरीक्षक) होता है। राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबंधन अथवा नियंत्रण के तहत् स्थानीय निधियों का लेखापरीक्षा विनियमित करने एवं प्रावधान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ स्थानीय संपरीक्षा अधिनियम 1973 अधिनियमित किया गया था।

मार्च 2016 की स्थिति में नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित डी.एल.एफ.ए. का 64110 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ लंबित थी। लंबित आपत्तियों का विवरण निम्न **तालिका 3.3** में दिया गया है:

तालिका 3.3: डी.एल.एफ.ए. के लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की कुल संख्या	संबंधित वर्ष में ली गयी आपत्तियां	निराकृत आपत्तियों की संख्या	लंबित रहे आपत्तियों की संख्या
1	2011–12	93	50890	3037	295	53632
2	2012–13	88	53632	2497	128	56001
3	2013–14	77	56001	2731	541	58191
4	2014–15	86	58191	4112	1928	60375
5	2015–16	79	60375	4289	554	64110

(स्रोतः निदेशालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

डी.एल.एफ.ए. के लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में इंगित किए जाने पर उप–संचालक, यू.ए.डी.डी. ने बताया (नवम्बर 2016) कि सभी नगरीय स्थानीय निकाय एवं क्षेत्रीय संयुक्त संचालक यू.ए.डी.डी. को समय समय पर डी.एल.एफ.ए. के आपत्तियों के निराकरण हेतु निर्देश जारी किया गया है।

3.5.2 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा किया था कि पंचायतों के सभी स्तरों की लेखापरीक्षा एवं लेखाओं के उचित रखरखाव पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करने का दायित्व भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) को सौंपें जाने चाहिए। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लेखों की लेखापरीक्षा संबंधित सी.ए.जी. का प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के एक समिति, जो उसी तर्ज पर गठित हो जैसा कि लोक लेखा समिति है, के समक्ष रखी जानी चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग ने भी अनुशंसा किया था कि समस्त स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) का दायित्व सी.ए.जी. को सौंपी जानी चाहिए तथा उसके वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ–साथ डी.एल.एफ.ए. का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष अवश्य रखी जानी चाहिए। चौदहवें वित्त आयोग ने भी अनुशंसा किया था कि सी.ए.जी. द्वारा स्थानीय निकायों के लेखाओं के रखरखाव में सुधार एवं उनके लेखापरीक्षा तथा टी.जी.एस. व्यवस्था के संबंध में पिछले वित्त आयोगों द्वारा की गयी पहल को जारी रखा जाए।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सी.ए.जी. (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत सी.ए.जी. को स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा का दायित्व सौंपा (अक्टुबर 2011) गया था। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के विनियम 152 के साथ सौंपे गये दायित्व के अधीन स्थानीय निकायों में सुदृढ़ वित्तीय लोक प्रबंधन तथा जवाबदेही के प्रयोजन हेतु स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखापरीक्षक नामतः डी.एल.एफ.ए. को उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण उपलब्ध कराता है।

डी.एल.एफ.ए. वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा, संविधियों के अनुसार लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया का पालन करेगा, निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) की प्रतियाँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित करेगा तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के विनियम 152 में निर्धारित अन्य शर्तों का पालन करेगा।

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा टी.जी.एस. के प्रभावकारिता पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के संचालन के लिए, लेखापरीक्षा योजना बनाने एवं लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली पर डी.एल.एफ.ए. के कर्मचारी वर्ग के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। डी.एल.एफ.ए. ने जून 2014 से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) की प्रतियाँ अग्रेषित करना आरम्भ किया था। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा मार्च 2016 तक 1174 आई.आर. प्राप्त किये गये। आगे, टी.जी.एस. अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए डी.एल.एफ.ए. एवं महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के मध्य एक संयुक्त बैठक (जून 2016) हुआ था।

अवधि 2011–13 तक के लिए डी.एल.एफ.ए. का एवं मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सी.ए.जी. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल में क्रमशः दिसंम्बर 2015 एवं मार्च 2016 को रखी गयी। छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल के सचिव ने बताया कि स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के चर्चा हेतु समिति का गठन प्रक्रियाधीन है।

3.6 लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया

टी.जी.एस. व्यवस्था के अनुसार महालेखाकार के लेखापरीक्षा आपत्तियों का निराकरण डी.एल.एफ.ए. द्वारा उसी प्रकार किया जायेगा, जैसा कि वह अपने स्वयं के प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा आपत्तियों के लिये करते हैं।

चूंकि अक्टूबर 2011 में ही लेखापरीक्षा सौंपा गया था, 2012–13 से महालेखाकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के 66 इकाईयों का लेखापरीक्षा किया गया था। महालेखाकार के आई.आर. में मार्च 2016 की स्थिति में वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 की अवधि से

संबंधित 781 आपत्तियाँ लंबित थी। महालेखाकार के आई.आर. के लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण नीचे **तालिका 3.4** में दिया गया है :

तालिका 3.4: महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

स.क्र	वित्तीय वर्ष	वर्ष के दैरान लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	वर्ष के दौरान लिए गये आपत्तियाँ	निराकृत आपत्तियों की संख्या	लंबित रहे आपत्तियों की संख्या
1	2012–13	06	50	00	50
2	2013–14	22	285	04	281
3	2014–15	02	30	00	30
4	2015–16	36	420	00	420
योग		**66**	**785**	**04**	**781**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग ने महालेखाकार द्वारा लिए गये लेखापरीक्षा आपत्तियों के निराकरण के लिए कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाया था। पिछले चार वर्षों (2012–16) के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षण में कुल 785 आपत्तियाँ उजागर हुई। विभाग द्वारा केवल चार कंडिकाओं का निराकरण किया गया था एवं शेष कंडिकायें मार्च 2016 की स्थिति में लंबित थी, जो कि विभाग द्वारा लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों के निराकरण में खराब निगरानी एवं पर्यवेक्षण के कमी को इंगित करता है।

जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामले

जवाबदेही क्रियाविधि

3.7 लोकपाल

तेरहवें वित्त आयोग के कंडिका 10.66 में संबंधित राज्य, पंचायत एवं नगरपालिका अधिनियम के संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों के लिए एक अलग लोकपाल के गठन का प्रावधान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने मंत्रियों, संसदीय सचिवों, लोक सेवकों आदि एवं उनसे संबंधित मामलों के विरूद्ध आरोपों के जाँच हेतु कुछ प्राधिकारियों के नियुक्ति एवं कृत्यों के लिए प्रावधान करते हुए एक अध्यादेश 'छत्तीसगढ़ लोक आयोग अध्यादेश 2002' प्रस्थापित किया था। इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना नवम्बर 2002 में प्रकाशित हुआ था।

विभाग ने सूचित (फरवरी 2017) किया कि नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान लोक आयुक्त अंतर्गत 54 मामले दर्ज किये गये एवं मार्च 2016 की स्थिति में कुल आठ मामले लंबित थे। लोक आयुक्त अंतर्गत लंबित मामलों का विस्तृत विवरण नीचे **तालिका 3.5** में दिया गया है :

तालिका 3.5: लोक आयुक्त के अंतर्गत लंबित मामले

स.क्र	वित्तीय वर्ष	पूर्व के लंबित मामले	वर्ष के दैरान दर्ज किये गये मामले	वर्ष के दैरान निराकृत मामले	लंबित मामलों का संख्या
1	2011–12	08	11	13	06
2	2012–13	06	08	10	04
3	2013–14	04	03	04	03
4	2014–15	03	17	16	04
5	2015–16	04	15	11	08
योग			**54**	**54**	..

(स्रोतः यू.ए.डी.डी., रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

3.8 सामाजिक अंकेक्षण

छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई (एस.ए.यू.) का गठन (सितम्बर 2013) एक स्वतंत्र संस्था के रूप में किया गया था।

छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यक्रमों/योजनाओं को सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु नहीं लिया गया है।

3.9 संपत्ति कर बोर्ड

तेरहवें वित्त आयोग ने निर्धारित किया था कि राज्य शासन सभी नगरपालिकाओं और नगरपालिक निगमों की संपत्ति कर का निर्धारण करने के लिए एक स्वतंत्र एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने में मदद करने हेतु संपत्ति कर बोर्ड को अवश्य स्थापित करना चाहिए। आगे, द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किया गया कि नगरपालिकों के वित्त हेतु छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व विनियामक आयोग (सी.एम.आर.आर.सी.) का गठन किया जाना चाहिए।

द्वितीय एस.एफ.सी. के अनुशंसा के अनुपालन में सभी करों, दंड, शुल्क, उपयोगकर्ता प्रभार, कर्त्तव्यों, टोल आदि तथा नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नगरपालिक राजस्व संग्रहण एवं इसके साथ जुड़े मुद्दे या प्रासंगिक मुद्दों को तर्कसंगत एवं नियमित करने हेतु राज्य शासन ने विनियामक आयोग की स्थापना, जिसे सी.एम.आर.आर.सी. से जाना जाएगा, के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम, 2011 को अधिनियमित (मई 2011) किया।

संपत्ति कर बोर्ड की आपत्ति इस प्रतिवेदन अंतर्गत ''राजस्व संग्रहण सहित नगरीय निकायों द्वारा स्व–राजस्व का प्रबंधन'' के लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है (अध्याय IV, कंडिका क्र. 4.1.9.1)।

3.10 सेवा–स्तर के मानक

तेरहवें वित्त आयोग ने निर्धारित किया था कि राज्य शासन को चार प्रमुख सेवा क्षेत्रों–जलापूर्ति, मल–जल व्यवस्था, वर्षा जल की निकासी और ठोस अपशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन के संबंध में वित्तीय वर्ष के अंत (31 मार्च) तक सेवा मानक अधिसूचित करने चाहिए अथवा सभी नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिकाओं द्वारा अधिसूचित करवाने चाहिए जो अगले वित्त के अंत तक उनके द्वारा प्राप्त किये जायें।

2010–15 के दौरान, सेवा मानकों के संबंध में राज्य शासन ने 168 नगरीय स्थानीय निकायों में से 43 के लिए प्रत्येक वर्ष अधिसूचना जारी किया। जबकि सभी 168 नगरीय स्थानीय निकायों के सेवा–स्तर मानकों के लिए केवल 30 मई 2016 को अधिसूचित किया गया।

इंगित किए जाने पर संचालक, यू.ए.डी.डी. द्वारा कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया गया।

3.11 अग्नि संकट से निपटने की व्यवस्था

तेरहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों में यह परिकल्पना किया गया कि 10 लाख (2001 जनगणना) से अधिक की जनसंख्या वाले सभी नगरपालिक निगम अपने अधिकार क्षेत्र में अग्नि संकट से निपटने की व्यवस्था कायम करेंगे और उपशमन योजना बनायेंगे। संबंधित राज्य शासन के राजपत्र में इन योजनाओं का प्रकाशन इस शर्त के अनुपालन को प्रदर्शित करेगा।

2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कोई भी नगरपालिक निगम की जनसंख्या 10 लाख नहीं थी। 2011 की जनगणना के अनुसार रायपुर नगरपालिक

निगम का जनसंख्या निर्धारित मानदंड को पार कर गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगरपालिक निगम द्वारा फरवरी 2017 की स्थिति में अग्नि संकट से निपटने की व्यवस्था एवं उपशमन योजना हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

विभाग ने सूचित (फरवरी 2017) किया कि अग्नि संकट से निपटने की व्यवस्था हेतु 2001 की जनगणना के आधार पर कार्यवाही किया गया।

अतः यह स्पष्ट है कि अग्नि संकट से निपटने की व्यवस्था के लिए जनसंख्या वृद्धि पर विचार नहीं किया गया।

3.12 उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रस्तुतीकरण

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता खंड–। के नियम 182 के अनुसार वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदान के मामलों में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायक अनुदान आहरित किया जाता है, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष की 30 सितंबर या उससे पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत करेंगे।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी (जनवरी 2017) में विदित हुआ कि मुख्य शीर्ष 2217[1] (शहरी विकास) अंतर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान भुगतान राशि ₹ 1,925.88 करोड़ अनुदान के 415 यू.सी. बकाया थे, जिसमें से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को केवल अवधि 2012–13 से संबंधित 12 यू.सी. राशि ₹ 118.61 करोड़ के प्रेषित किये गये थे एवं दिसम्बर 2016 की स्थिति में शेष 403 यू.सी. राशि ₹ 1,807.27 करोड़ प्रेषित नहीं किये गये थे। प्रस्तुत/लंबित यू.सी का विवरण नीचे **तालिका 3.6** में दिया गया है :

तालिका 3.6: उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्राप्त अनुदान		प्रेषित		लंबित	
	यू.सी. की संख्या	राशि	यू.सी. की संख्या	राशि	यू.सी. की संख्या	राशि
2011–12	111	387.12	निरंक	निरंक	111	387.12
2012–13	149	692.54	12	118.61	137	573.93
2013–14	138	785.98	निरंक	निरंक	138	785.98
2014–15	15	59.13	निरंक	निरंक	15	59.13
2015–16	02	1.11	निरंक	निरंक	02	1.11
कुल	**415**	**1925.88**	**12**	**118.61**	**403**	**1807.27**

(स्रोतः व्ही.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

विभाग द्वारा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

3.13 नगरीय स्थानीय निकायों का आंतरिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण

नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 तथा नगरपालिका अधिनियम 1961 की क्रमशः धारा 417 क एवं धारा 322 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में नगरपालिकाओं के दिन–प्रतिदिन के लेखों का आंतरिक लेखापरीक्षा राज्य शासन या नगरपालिकाओं द्वारा प्रदाय किया जा सकता है।

यू.ए.डी.डी. ने सूचित (जनवरी 2017) किया कि नवम्बर 2015 में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली शुरू किया गया है तथा राज्य के सभी नगरीय स्थानीय निकायों में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। चार्टर्ड एकाउंटेंट लेखापरीक्षा कार्य का निष्पादन करते हैं तथा

[1] अनुदान क्र. 21 को छोड़कर (आवास एवं पर्यावरण विभाग संबंधी व्यय)

अपना प्रतिवेदन यू.ए.डी.डी. को प्रस्तुत करते हैं। यह भी उल्लेख किया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के परीक्षण एवं अनुपालन हेतु एक सेल का गठन किया गया है।

3.14 वित्तीय प्रतिवेदित मामले

3.14.1 राजस्व के स्रोत

स्थानीय निकायों के राजस्व प्राप्ति के मुख्यतः दो स्रोत, शासकीय अनुदान और स्वयं का राजस्व है। शासकीय अनुदानों में राज्य शासन और भारत सरकार द्वारा क्रमशः राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत जारी राशियाँ एवं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त निधि सम्मिलित है। नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व स्रोतों में स्वयं के कर राजस्व और गैर–कर राजस्व सम्मिलित है। नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विभिन्न प्रकार के करों, किरायों, शुल्क, लाइसेंस जारी करने आदि अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व अर्जित करते हैं। शहरी विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये नगरीय स्थानीय निकाय ऋण भी प्राप्त करते हैं। नगरीय स्थानीय निकायों के विगत पाँच वर्षों के राजस्व स्रोत का विवरण निम्नलिखित **तालिका 3.7** में दिया गया है:

तालिका 3.7: नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोत

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	वर्ष	अनुदान		स्वयं के राजस्व प्राप्तियां (कुल राजस्व का प्रतिशत)	योग
		आयोजना	आयोजनेत्तर		
1	2011–12	668.09	780.55	320.16 (18)	1768.80
2	2012–13	1201.38	989.84	334.46 (13)	2525.68
3	2013–14	1434.26	1139.21	379.60 (13)	2953.07
4	2014–15	1171.90	1212.13	466.00 (16)	2850.03
5	2015–16	1251.69	1234.10	445.25 (15)	2931.04
योग		**5727.32**	**5355.83**	**1945.47 (15)**	**13028.62**

(स्रोतः यू.ए.डी.डी., रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

तालिका 3.7 से देखा जा सकता है कि 2011–12 से 2015–16 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों को कुल राजस्व में से स्वयं के राजस्व का हिस्सा 13 से 18 प्रतिशत के मध्य रहता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के राजस्व के आंकड़ों का संधारण उचित प्रकार से नहीं किया गया। नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व प्राप्ति की जानकारियाँ निदेशालय को प्रेषित किया जाता है, जहां पर इनका संकलन होता है। जबकि, सभी नगरीय स्थानीय निकायों के मामले में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये स्वयं के राजस्व के आंकड़ों से यह देखा गया कि पिछले वर्ष के बकाया राजस्व का अंतिम शेष आगामी वर्ष के प्रारंभिक शेष से मेल नहीं हो रहे थे। अतः अभिलेखों के अनुपयुक्त रखरखाव तथा खराब प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) के कारण यू.ए.डी.डी. नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व का आंकलन एवं संग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। इसके अतिरिक्त, चूंकि किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय में प्रोद्भवन लेखाप्रणाली सॉफ्टवेयर परिचालन में नहीं है, इसलिए यू.ए.डी.डी. योजना उद्देश्यों के लिए संकलित राजस्व आंकड़ों को आनॅलाइन नहीं रख पा रहा है।

इंगित किये जाने पर उपसंचालक यू.ए.डी.डी. ने बताया (दिसम्बर 2016) कि नगरीय स्थानीय निकायों से सही आंकड़े प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया गया है तथा संकलन पश्चात् आंकड़े प्रदान किये जायेंगे।

लेखापरीक्षा विगत दो वर्षों से नगरीय स्थानीय निकायों के इस कमी को इंगित कर रहा है हालांकि स्वयं के राजस्व के आंकड़ों के संग्रहण में कोई सुधार अंकित नहीं किया जा

सका।

3.14.2 बजट आवंटन एवं व्यय

राज्य शासन द्वारा बजट के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों के लिये आवंटित निधियों (राज्य के कर राजस्व का हिस्सा, योजना निधि और अनुदान आदि), जिसमें केन्द्रीय योजनाओं के लिये राज्यांश और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसानुरूप अनुदान शामिल है, का विवरण निम्न **तालिका 3.8** में दिया गया है:

तालिका 3.8: निधियों के आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	वर्ष	बजटीय आवंटन			व्यय			बचत	बचत का प्रतिशत
		आयोजना	आयोजनेत्तर	योग	आयोजना	आयोजनेत्तर	योग		
1	2011–12	668.09	780.55	1448.64	392.77	744.41	1137.18	311.46	22
2	2012–13	1201.38	989.84	2191.22	924.43	925.65	1850.08	341.14	16
3	2013–14	1434.26	1139.21	2573.47	672.83	1087.82	1760.65	812.82	32
4	2014–15	1171.90	1212.13	2384.03	589.28	1015.05	1604.33	779.70	33
5	2015–16	1251.69	1234.10	2485.79	382.65	1050.46	1433.11	1052.68	42
योग		**5727.32**	**5355.83**	**11083.15**	**2961.96**	**4823.39**	**7785.35**	**3297.80**	

(स्रोत: यू.ए.डी.डी., रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्र में वर्ष 2011–12 के मुकाबले वर्ष 2015–16 के बजट प्रावधान में 72 प्रतिशत[2] की वृद्धि की गयी। जबकि, नगरीय स्थानीय निकाय समूचे आवंटित बजट को खर्च नहीं कर सका और मुख्यतः आयोजना शीर्ष में पर्याप्त अव्ययीत राशि अवशेष होने के कारण वर्ष 2011–16 की अवधि के दौरान बचत 16 से 42 प्रतिशत तक रहा था।

इंगित किये जाने पर उप संचालक, यू.ए.डी.डी. ने बताया (नवम्बर 2016) कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में निधि जारी करने के अभाव में योजना शीर्ष में बचत हुआ।

3.14.3 छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निधि (सी.आई.डी.एफ.)

राज्य में नगरीय स्थानीय निकायों अंतर्गत योजनाबद्ध विकास के लिये छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम 2003 बनाया गया। इस निधि के अंतर्गत दो तरह के खातों, नामतः न्यागमन खाता एवं अधोसंरचना खाता का संधारण किया जाता है। न्यागमन खाता अंतर्गत नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति, यात्रीकर, मुद्रांक शुल्क, बार लाइसेंस शुल्क एवं अन्य क्षतिपूर्ति अनुदान शामिल है, जिसे नगरीय स्थानीय निकाय अपने स्वविवेक से उपयोग करती है। अधोसंरचना खाता अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा अनुरूप प्राप्त निधि एवं सड़क मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिये प्राप्त निधि शामिल है। इस निधि का उपयोग सड़क मरम्मत कार्य, पेयजल संबंधी योजनाओं, अग्निशमन सेवा सुधार, राज्य शासन की कोई विशेष योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और मुलभूत सुविधाओं के विकास जैसे कार्यों के लिये किया जाता है। छत्तीसगढ़ अधोसंरचना निधि अंतर्गत 2011–12 से 2015–16 के दौरान निधियों के आवंटन एवं व्यय नीचे **तालिका 3.9** में दिया गया है:

---

[2] वर्ष 2011–12 के मुकाबले 2015–16 के बजट प्रावधान में प्रतिशत वृद्धि = (2485.79–1448.69)*100 / 1448.69 = 71.59 प्रतिशत

तालिका 3.9: निधियों के आवंटन/व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र	वित्तीय वर्ष	आवंटन		योग	व्यय *		योग
		न्यायगमन खाता	अधोसंरचना खाता		न्यायगमन खाता	अधोसंरचना खाता	
1	2011–12	222.77	595.96	818.73	222.77	595.96	818.73
2	2012–13	255.03	1315.44	1570.47	255.03	1315.44	1570.47
3	2013–14	280.04	1102.65	1382.69	280.04	1102.65	1382.69
4	2014–15	295.59	1050.20	1345.79	295.59	1050.20	1345.79
5	2015–16	306.50	1254.19	1560.69	302.94	825.70	1128.64
महायोग		**1359.93**	**5318.44**	**6678.37**	**1356.37**	**4889.95**	**6246.32**

*(स्रोतः यू.ए.डी.डी. द्वारा प्रदत्त आंकड़े) (*सम्पूर्ण आवंटन राशि को व्यय के रूप में अपनाया गया)*

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कुल आवंटित राशि ₹ 6,678 करोड़ के विरूद्ध सी.आई.डी.एफ. अंतर्गत राशि ₹ 6,246 करोड़ का व्यय किया गया। 2015–16 के दौरान विभाग द्वारा राज्य में अधोसंरचना विकास के लिए आवंटित निधि में से राशि ₹ 432 करोड़ (28 प्रतिशत) व्यय नहीं किया गया।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि आवंटित निधि नगरीय स्थानीय निकायों को जारी करने के पश्चात् व्यय के रूप में ले लिया जाता है। हालांकि, विभाग ने बताया (दिसम्बर 2016) कि वर्ष 2015–16 के दौरान वित्त विभाग से अनुमोदन एवं यांत्रिकी शाखा से प्रस्ताव के अभाव में कुल अनुदान निकाला एवं जारी नहीं किया जा सका। जबकि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सी.आई.डी.एफ. अंतर्गत किये गये वास्तविक व्यय की जानकारी विभाग द्वारा प्रदाय नहीं किया गया।

3.14.4 राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) के अनुशंसा

संविधान के अनुच्छेद 243–I के साथ पठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 के अनुसार, अवधि 2012–17 के लिए राज्य के स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की जांच करने हेतु राज्य शासन ने द्वितीय एस.एफ.सी. का गठन (जुलाई 2011) किया। तदनुसार, द्वितीय एस.एफ.सी. ने कुल 133 सिफारिशों के साथ अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत (मार्च 2013) किया। जिसमें से वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 100 सिफारिशों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार किये थे, चार अंतरविभागीय परामर्श हेतु लंबित थे तथा शेष 29 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था। स्वीकृत सिफारिशों में से 41 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा लागू किया जाना था, 34 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किया जाना था तथा शेष 25 अन्य विभागों द्वारा लागू किया जाना था। इस संदर्भ में यू.ए.डी.डी. द्वारा प्रदत्त जानकारी से विदित हुआ कि मई 2016 की स्थिति में 22 सिफारिशों के लिए कार्यवाही पूर्ण हो चुका है तथा शेष 19 प्रगति पर है।

आगे, अवधि 2017–22 के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए तीसरे एस.एफ.सी. का गठन (जनवरी 2016) किया गया।

3.14.5 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान

तेरहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) के अनुशंसा पर भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा 2010–11 से 2014–15 के दौरान ₹ 355.37 करोड़ जारी किये गये, जिसमें से मार्च 2016 तक ₹ 258.72 करोड़ (73 प्रतिशत) खर्च किया गया था। टी.एफ.सी. अनुदान के पिछले पाँच वर्षों के आवंटन एवं व्यय का विवरण नीचे **तालिका 3.10** में दिया गया है:

तालिका 3.10: टी.एफ.सी. अनुदान के आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	वर्ष	आवंटन			व्यय
		मूल अनुदान	निष्पादन अनुदान	योग	
1	2010–11	42.57	00	42.57	1.95
2	2011–12	49.14	24.44	73.58	18.12
3	2012–13	55.29	51.59	106.88	30.52
4	2013–14	63.78	9.37	73.15	89.13
5	2014–15	38.51	20.68	59.19	69.35
6	2015–16	–	–	–	49.65
योग		**249.29**	**106.08**	**355.37**	**258.72**

(स्रोतः यू.ए.डी.डी., रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि टी.एफ.सी. के लिए निर्धारित अवधि से एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सम्पूर्ण निधि को खर्च नहीं किया जा सका। मार्च 2016 की स्थिति में राशि ₹ 96.65 करोड़ अव्ययित रहा।

आगे, यू.ए.डी.डी. के बजट आवंटन एवं व्यय के आंकड़ों से विदित हुआ कि 2014–15 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) अनुदान से राशि ₹ 68.56 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया एवं टी.एफ.सी. में व्यय के रूप में दर्शाया गया।

इंगित किए जाने पर उप संचालक, यू.ए.डी.डी. ने बताया (दिसम्बर 2016) कि टी.एफ.सी. अंतर्गत जी.ओ.आई. द्वारा राशि ₹ 68.56 करोड़ जारी (मार्च 2015) किया गया था, जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में स्वीकृत होने के कारण आहरित नहीं किया जा सका और अतः राज्य शासन के अनुमोदन से समान राशि एफ.एफ.सी. निधि के आबंटन से पुनर्विनियोजित किया गया।

चौदहवें वित्त आयोग अनुदान

एफ.एफ.सी. ने ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए दो प्रकार के अनुदान नामतः मूल अनुदान एवं निष्पादन अनुदान का अनुशंसा किया गया। मूल अनुदान का उद्देश्य ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को बिना किसी शर्त के सहयोग प्रदान करना है, जिससे कि वे संबंधित कानून के अंतर्गत उन्हें सौंपे गये मूलभूत कार्य जैसे जल आपूर्ति, जल निकास, नाला, सामुदायिक सम्पत्तियों का मरम्मत, फुटपाथ तथा स्ट्रीट लाइट, कब्रिस्तान एवं शमसान इत्यादि का रखरखाव कर सकें। निष्पादन अनुदान के संबंध में, नगरीय स्थानीय निकायों को कार्य निष्पादन अनुदान के संवितरण के लिए एक विस्तृत कार्यविधि संबंधित राज्य शासन द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा करते हुए बनाया जाए।

एफ.एफ.सी. के अनुशंसा अनुसार जी.ओ.आई. ने वर्ष 2015–16 के दौरान मूल अनुदान के रूप में राशि ₹ 152.39 करोड़ जारी किया, जिनमें से राशि ₹ 68.56 करोड़ (45 प्रतिशत) टी.एफ.सी. में पुनर्विनियोजन किया गया था। यद्यपि, मार्च 2016 की स्थिति में शेष निधि से ₹ 38.77 करोड़ (46 प्रतिशत) व्यय किया गया था।

3.14.6 बजट अंगीकरण एवं लेखा प्रारूप

भारत सरकार ने सी.ए.जी. के परामर्श से वित्त पर नियंत्रण एवं पारदर्शिता हेतु द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली के साथ राष्ट्रीय नगरपालिक लेखा पुस्तिका (एन.एम.ए.एम.) तैयार (दिसम्बर 2004) किया गया। आगे, अधिनियम की धारा 125 ख में प्रदाय किया गया कि राज्य शासन एक पुस्तिका तैयार करेगी तथा संधारित करेगी जो छत्तीसगढ़ नगरपालिक लेखा पुस्तिका (सी.जी.एम.ए.एम.) कहलाएगी, जिसमें नगरपालिक निगम के संबंध में उससे संबद्ध सभी वित्तीय विषयों और प्रक्रियाओं का विवरण अंतर्विष्ट होगा।

राज्य शहरी विकास अभिकरण ने सूचित (जनवरी 2017) किया कि एन.एम.ए.एम. के अनुसार सभी नगरीय स्थानीय निकायों में बकाया प्रोद्भवन आधारित द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली में प्रविष्टि प्रगति पर है। यह भी बताया गया कि अप्रैल/मई 2017 तक सभी नगरीय स्थानीय निकायों के वर्ष 2017–18 के लिए बजट को अंगीकार करने के साथ प्रोद्भवन आधारित द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली को वास्तविक समय में लाया जायेगा। एन.एम.ए.एम. के तर्ज पर छत्तीसगढ़ नगरपालिक लेखा पुस्तिका (सी.जी.एम.ए.एम.) बनाया गया है।

बजट अंगीकरण एवं लेखा प्रारूप के लिए द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली की आपत्ति इस प्रतिवेदन अंतर्गत ''राजस्व संग्रहण सहित नगरीय निकायों द्वारा स्व–राजस्व का प्रबंधन'' के लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है (अध्याय IV, कंडिका क्र. 4.1.11.4)।

3.14.7 ए.सी./डी.सी. देयकों संबंधी मुद्दे

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता (सी.जी.टी.सी.) के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को प्रत्येक आकस्मिक देयक में चालू माह के प्रथम देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि उनके द्वारा वर्तमान माह के एक तारीख से पूर्व आहरित सभी संक्षिप्त देयकों (ए.सी.) के लिए विस्तृत देयकों (डी.सी.) को संबंधित नियंत्रण अधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर कर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिया है। सी.जी.टी.सी. के पूरक नियम 327 के अनुसार डी.डी.ओ. को आगामी माह के पाँचवी तारीख के अंदर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ मासिक डी.सी. देयकों को नियंत्रण अधिकारी के पास जमा करना चाहिए। नियंत्रण अधिकारी को महालेखाकार के पास पारित विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करना चाहिए ताकि यह महालेखाकार कार्यालय में उसी महीने के 25 तारीख के अंदर प्राप्त हो जाए।

अवधि 2011–12 से 2015–16 का ए.सी./डी.सी. बिलों की जानकारी कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ से प्राप्त (जनवरी 2017) होने से विदित हुआ कि दिसंबर 2016 की स्थिति में कोई डी.सी. बिल लंबित नहीं था।

3.14.8 लंबित ऋणों का स्थिति

राज्य शासन नगरीय स्थानीय निकायों को विभिन्न निर्माण कार्य हेतु ऋण प्रदान करती है। यू.ए.डी.डी. निदेशालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2015 की स्थिति में विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के विरूद्ध ₹ 421.75 करोड़ का ऋण लंबित था। वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 43.22 करोड़ मूल तथा ₹ 21.78 करोड़ ब्याज की अदायगी की गयी थी। यद्यपि, नगरीय स्थानीय निकायों को वर्ष 2015–16 में कोई ऋण प्रदान नहीं किया गया था। अतः, 31 मार्च 2016 की स्थिति में कुल लंबित ऋण ₹ 356.75 करोड़ हो गयी थी, जिसका विवरण निम्न **तालिका 3.11** में दर्शाया गया है :

तालिका 3.11: लंबित ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	01 अप्रैल 2015 को शेष (मूल+ब्याज)	2015–16 के दौरान ब्याज सहित नया ऋण	2015–16 के दौरान अदायगी		31 मार्च 2016 की स्थिति में लंबित राशि
				मूल	ब्याज	
1	नगरपालिक निगम रायपुर	18.52	–	4.71	1.23	12.58
2	नगरपालिक निगम जगदलपुर	0.90	–	0.19	0.06	0.65
3	नगरपालिक निगम बिलासपुर	112.75[3]	–	0.12	1.51	111.12
4	नगरपालिक निगम दुर्ग	0.14	–	0.13	0.01	–
5	नगरपालिक निगम राजनांदगांव	0.11	–	0.11	–	–
6	नगरपालिक निगम भिलाई–चरौदा	2.90	–	0.97	0.19	1.74
7	अन्य नगरीय स्थानीय निकाय	286.43	–	36.99	18.78	230.66
	योग	**421.75**	–	**43.22**	**21.78**	**356.75**

(स्रोतः यू.ए.डी.डी. द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

ऋणों पर ब्याज की अधिकता के परिणामस्वरूप नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

[3] ₹ 112.75 करोड़ = ₹ 189.18 करोड़ (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014–15 के अनुसार 31 मार्च 2015 को लंबित राशि) – ₹ 76.43 करोड़ (₹ 54.43 करोड़ ऋण अदायगी + ₹ 22 करोड़ ब्याज, 2014–15 में चुकाया गया किन्तु लेखापरीक्षा को 2015–16 में सूचित किया गया)

अध्याय IV

निष्पादन लेखापरीक्षा

4.1 राजस्व संग्रहण सहित नगरीय निकायों द्वारा स्व–राजस्व का प्रबंधन

अध्याय IV

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

4.1 राजस्व संग्रहण सहित नगरीय निकायों द्वारा स्व–राजस्व का प्रबंधन

कार्यकारी सारांश

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961, के अनुसार नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायत (नगरीय स्थानीय निकाय) संपत्ति कर, समेकित कर, जलकर, बजारों, शॉपिंग काम्पलेक्सों से किराया और प्रीमियम, विज्ञापन कर, उपभोक्ता प्रभार आदि वसूल करने का अधिकार देते है। इन संसाधनों से संग्रहित राजस्व, नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह राजस्व प्रशासनिक, विकास और रखरखाव के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

राजस्व संग्रहण सहित नगरीय निकायों द्वारा स्व–राजस्व का प्रबंधन के अवधि 2011–16 के निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए 20 नगरीय स्थानीय निकायों में मार्च 2016 से सितम्बर 2016 के मध्य नमूना जांच संपादित किया गया। मुख्य लेखापरीक्षा आपत्तियां है :

हालांकि नगरीय स्थानीय निकाय अपने कामकाज के लिये स्वंय के संसाधनों से संग्रहित राजस्व तथा शासन द्वारा प्रदायित राजस्व पर निर्भर हैं, चयनित 20 में से 17 नगरीय स्थानीय निकायें स्व–राजस्व से अपने खर्च को पूरा नहीं कर सके। इनमें से 13 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अपने वेतन एवं मजदूरी व्यय भी पूरा नहीं कर सके क्योंकि इन नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व की प्राप्ति की लागत आरक्षणीय है (₹ 1.56 की लागत से ₹ एक प्राप्त हुआ)। परिणामस्वरूप इन नगरीय स्थानीय निकायों को अपने खर्चों और उनके द्वारा दिये जाने वाली अनिवार्य सेवाओं को पूरा करने के लिये राज्य शासन द्वारा प्रदायित राजस्व तथा अनुदानों पर निर्भर होना पड़ा। नगरीय स्थानीय निकाय चूँकि लगभग पूरी तरह से (80 प्रतिशत की सीमा तक) संसाधनों के लिए सरकार पर निर्भर थे जिसके कारण नगरीय स्थानीय निकायें स्वयंशासी संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य को पूर्ण करने में विफल रहे।

(कंडिका 4.1.9.7)

व्यय के साथ राजस्व का तारतम्य नहीं होने के बावजूद, 15 नगरीय स्थानीय निकायों के द्वारा 88,553 (23.30 प्रतिशत) भवनों को संपत्ति कर की परिधि में शामिल नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2011–16 के दौरान ₹ 13.30 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ। इसके अलावा चयनित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ₹ 79.84 करोड़ के संपत्ति कर, समेकित कर, जलकर, विज्ञापन कर, प्रीमियम और दुकानों का किराया एवं एकीकृत आवास एवं विकास परियोजना के अंतर्गत लाभान्वितों के अंशदान की वसूली नहीं की गई। इस प्रकार संग्रहण प्रणाली का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया गया।

(कंडिका 4.1.9.1, 4.1.9.2, 4.1.9.3, 4.1.9.5 तथा 4.1.9.6)

चूंकि राजस्व असंग्रहित रहा, जांच किये गये नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ₹ 125.49 करोड़ के ऋण (ब्याज सहित) की अदायगी नहीं किया गया, जबकि बिजली बिल, भविष्य निधि, कर्मकार उपकर, रोयाल्टी एवं जल प्रभार के ₹ 29.34 करोड़ की देनदारियों की अदायगी 15 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नहीं की गई। इसके अलावा, आठ नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा संचित निधि में ₹ 27.84 करोड़ जमा नहीं किए गये जो कि नियमतः अनिवार्य है।

(कंडिका 4.1.10.1, 4.1.10.2 तथा 4.1.10.4)

जांच किये गये नगरीय स्थानीय निकायों में निधि के उपयोग में ₹ 1.36 करोड़ का अधिक भुगतान, ₹ 2.78 करोड़ का परिहार्य भुगतान तथा ₹ 3.59 करोड़ का असमायोजित अस्थाई अग्रिम जैसे प्रकरण है।

(कंडिका 4.1.10.3)

4.1.1 प्रस्तावना

राज्य के नगरीय स्थानीय निकाय छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (सी.एम.सी.ए.) और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (सी.एम.ए.) द्वारा शासित है जो कि मध्य प्रदेश राज्य से अपनाया गया है। मार्च 2016 तक राज्य में 168 नगरीय स्थानीय निकाय थे, जिन्हे जनसंख्या के आधार पर 13 नगरपालिक निगमों, 44 नगरपालिका परिषदों और 111 नगर पंचायतों में बांटा गया। इन नगरीय स्थानीय निकायों के लिए शहरी आबादी को नागरिक सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य है।

सी.एम.सी.ए. एवं सी.एम.ए. नगरीय स्थानीय निकायों को राजस्व प्राप्ति से एक म्युनिसपल फण्ड का गठन करने का अधिकार देते है, जिसे 'स्वयं के राजस्व' के रूप में जाना जाता है। इसमें अनिवार्य कर जैसे कि संपत्ति कर, समेकित कर, और जल कर के अलावा विवेकाधीन कर तथा अन्य स्रोत से प्राप्त राजस्व जैसे कि विज्ञापन कर, बाजार/शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से किराया और प्रीमियम, उपभोक्ता प्रभार आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त नगरीय स्थानीय निकायों राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार से 'सहायता अनुदान' भी प्राप्त करते है।

नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व का उपयोग वरीयता के निम्नलिखित क्रम में किया जाता है, प्रथमतः निकायों द्वारा देय सभी ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए, द्वितियतः निकायों की सभी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए और तृतीय अन्य आवश्यक[1] नगरपालिका सेवाओं के लिए किया जाता है।

4.1.2 नगरीय स्थानीय निकायों का संरचना

नगरीय स्थानीय निकाय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीनस्थ कार्य करते है। आयुक्त, नगरपालिक निगमों का प्रमुख है, जिन्हें सहायता करने हेतु अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त होते हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत का प्रमुख है। नगरपालिक निगम में अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व) और नगरपालिका परिषद तथा नगर पंचायत में आनिवार्य तथा विवेकाधीन करों का संग्रहण करने हेतु राजस्व अधिकारी जिम्मेदार है।

4.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों

निष्पादन लेखपरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि :

- उचित एवं कुशल बजटीय एवं लेखा प्रणाली थी;
- नगरीय निकायों में स्व–निधि का सही निर्धारण, संग्रह और लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल एवं पर्याप्त व्यवस्था मौजूद थी;
- म्युनिसिपल फण्ड से किये गये व्यय अधिनियमों और नियमों में प्रावधानों और मानदंडों के अनुसार था; एवं
- अभिलेखों का रखरखाव उचित था तथा अनुश्रवण तंत्र उपयुक्त व प्रभावकारी थी।

[1] सार्वजनिक सड़कों, स्थानों एवं भवनों की सफाई एवं प्रकाश मान रखना तथा कूड़ा एवं गंदगी का निपटान

4.1.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा सिम्पल रेण्डम सेम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट प्रणाली द्वारा चयनित 13 में से चार नगरपालिक निगम, 44 में से 11 नगरपालिका परिषद तथा 111 में से पांच नगर पंचायत एवं कार्यालय संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अभिलेखों की वर्ष 2011–16 की अवधि का नमूना जांच कर मार्च 2016 से सितम्बर 2016 तक संपादित की गई।

आगम बैठक दिनांक 6 अक्टुबर 2016 को विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ लेखापरीक्षा का उद्देश्यों, कार्यप्रणाली तथा मानदण्डों की चर्चा करने हेतु आयोजित किया गया था। दिनांक 18 जनवरी 2017 को विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा करने हेतु निर्गम बैठक आयोजित किया गया था। शासन का उत्तर प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

4.1.5 लेखापरीक्षा का मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न स्रोतो से प्राप्त किये गये :

- छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 और इसके तहत बनाए गये नियम
- छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 और इसके तहत बनाए गये नियम
- राज्य सरकार तथा संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के द्वारा जारी निर्देश और परिपत्र एवं
- नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व संसाधनों के संबंध में केंद्रीय वित्त आयोग (सी.एफ.सी.) तथा राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) की सिफारिश।

4.1.6 नगरीय स्थानीय निकायों के संसाधनों का रूझान तथा संरचना

नगरीय स्थानीय निकायों की वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक का संसाधनों का रूझान निम्न **तालिका 4.1.1** में दर्शाया गया हैं:

तालिका 4.1.1: नगरीय स्थानीय निकाय संसाधनों का समय श्रृखंला जानकारी

(₹ करोड़ मे)

स्रोत	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
1	2	3	4	5	6
स्व–राजस्व	320.16	334.46	379.60	466.00	445.25
केन्द्रीय वित्तीय आयोग अनुदानों	53.66	67.28	113.15	31.20	144.76
केन्द्रीय प्रयोजित योजनायों के लिये भारत सरकार का अनुदान (सी.एस.एस.[2])	16.75	20.20	60.85	84.67	137.49
राज्य वित्तीय आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्राप्त अनुदान	एन.ए.[3]	एन.ए.	एन.ए.	351.59	228.23
राज्य से प्राप्त अनुदान	1258.11	1967.74	1832.29	1460.88	1285.45
कुल	**1648.68**	**2389.68**	**2385.89**	**2394.34**	**2241.18**
राज्य के कुल राजस्व के प्रतिशत रूप में स्व–राजस्व	19.42	14.00	15.91	19.46	19.87

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ से प्राप्त व्ही.एल.सी. डाटा तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ से प्राप्त स्व–राजस्व के आंकड़े)

---

2 केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

3 एन.ए.=उपलब्ध नहीं

चार्ट 4.1.1 : 2011–16 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों के संसाधनों का प्रवृत्ति

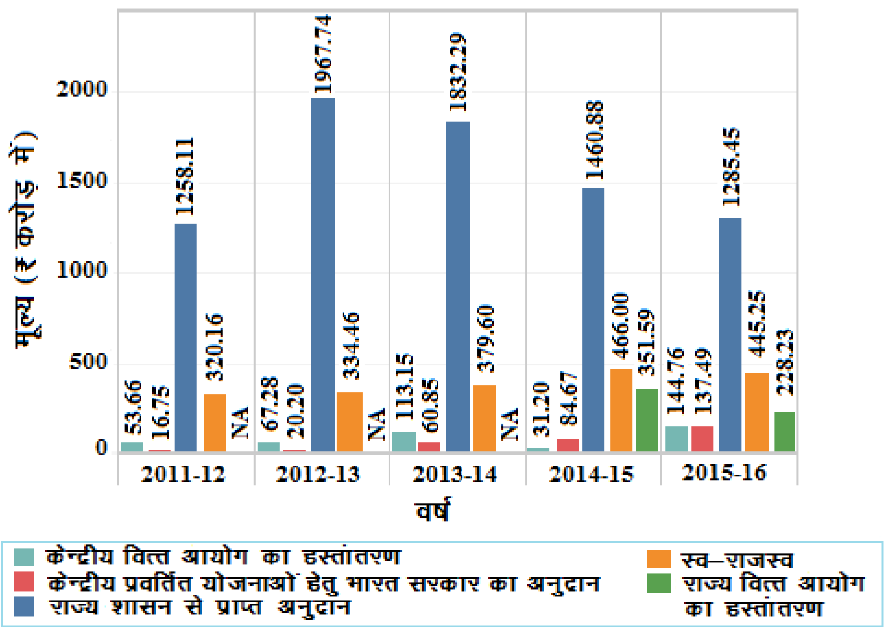

यह देखा जा सकता है कि नगरीय स्थानीय निकायों की कुल प्राप्तियों में स्व–राजस्व की हिस्सेदारी वर्ष 2011–12 में 19.42 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 19.87 प्रतिशत हुई है। हालांकि, वर्ष 2012–13 से 2015–16 में मुख्यत: राज्य शासन के अनुदान में कमी के कारण समस्त स्रोतों से नगरीय स्थानीय निकायों को उपलब्ध कुल संसाधनों में 6.21 प्रतिशत की कमी हुई।

4.1.7 स्वयं के स्रोतों से राजस्व

संपत्ति कर, समेकित कर तथा जल कर, नगरीय स्थानीय निकायों के स्व–राजस्व के मुख्य घटक है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदाय किये गये आंकड़ें के अनुसार वर्ष 2011–16 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोतों से राजस्व की स्थिति नीचे **तालिका 4.1.2** मे दी गई है:

तालिका 4.1.2: नगरीय स्थानीय निकायों के स्व–राजस्व की मांग एवं वसूली

(₹करोड़ में)

नगरीय स्थानीय निकाय	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
नगरपालिक निगम	मांग	267.86	273.83	321.53	441.29	466.27
	वसूली	234.41	243.69	291.86	363.81	343.12
	वसूली का प्रतिशत	**87.51**	**88.99**	**90.77**	**82.44**	**73.59**
नगरपालिका परिषद	मांग	58.76	63.23	67.46	75.21	89.80
	वसूली	45.26	45.97	50.73	61.70	57.79
	वसूली का प्रतिशत	**77.02**	**72.71**	**75.20**	**82.04**	**64.36**
नगर पंचायत	मांग	56.32	62.26	55.22	62.13	70.52
	वसूली	40.49	44.79	37.01	40.50	44.34
	वसूली का प्रतिशत	**71.89**	**71.95**	**67.02**	**65.18**	**62.88**
कुल नगरीय स्थानीय निकाय	**मांग**	**382.95**	**399.32**	**444.21**	**578.63**	**626.58**
	वसूली	**320.16**	**334.46**	**379.60**	**466.00**	**445.25**
	वसूली का प्रतिशत	**83.61**	**83.76**	**85.45**	**80.54**	**71.06**

(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त आंकड़े)

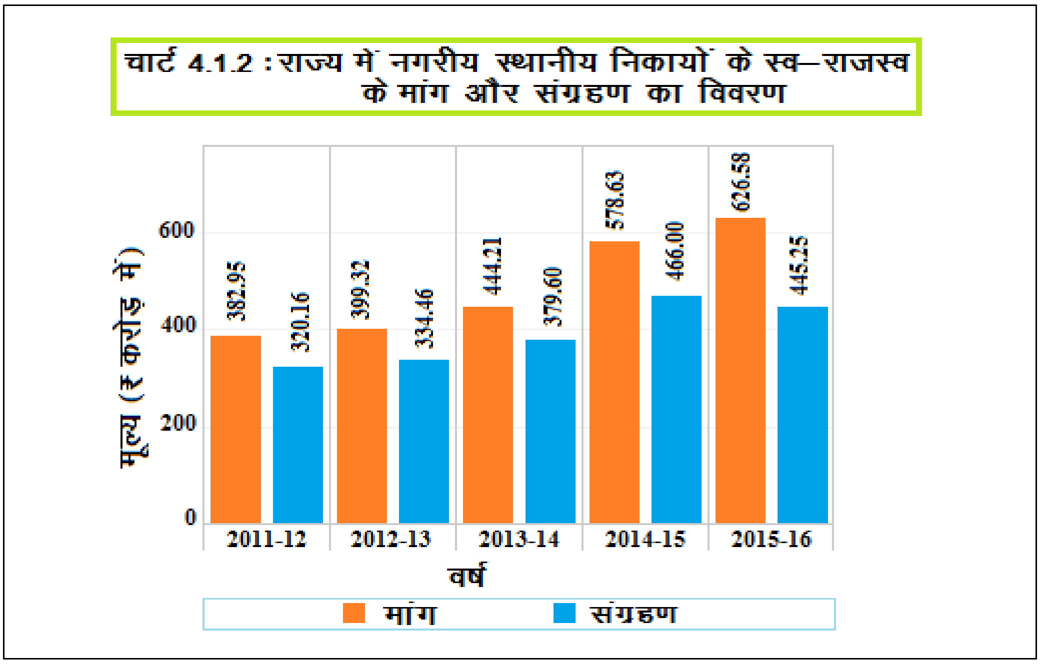

उपरोक्त तालिका और चार्ट से देखा जा सकता है कि, राजस्व की शुद्ध वसुली 2011–12 में ₹ 320.16 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 445.25 करोड़ हो गई। हालांकि, इसी अवधि में नगरीय स्थानीय निकायों की वसूली क्षमता 83.61 प्रतिशत से घटकर 71.06 प्रतिशत रह गई। यद्यपि नगरपालिक निगमों की वसूली की क्षमता स्थानीय निकायों के अन्य दो स्तरों की तुलना में बेहतर थी, वह 2011–12 में 87.51 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 73.59 प्रतिशत हो गई। स्व–राजस्व की वसूली में कमी के मुख्य कारण, उचित सर्वेक्षण की कमी, जनगणना/राशन कार्ड की तैयारी तथा मतदाता सूचियों आदि अन्य कार्यों में कर्मचारियों का कार्यरत होना एवं राजस्व उत्पन्न करने वाले परिसंपत्तियों जैसे विज्ञापन कर आदि प्रभावी रूप से उपयोग नहीं होना है जिसकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

लेखापरीक्षा अपत्तियां

4.1.8 बजटीय एवं लेखांकन प्रणाली

4.1.8.1 बजट की तैयारी एवं अनुमोदन में विलम्ब

नगरपालिक निगम अधिनियम की धारा 97 तथा नगर पालिका अधिनियम की धारा 116 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के लिये संभावित आय एवं व्यय के आधार पर बजट तैयार किया जाता है, जो कि यथासम्भव व्यावहारिक एवं अचूक हो। आगे, नगरपालिका अधिनियम की धारा 98 के अनुसार आगामी वर्ष के लिये अंतिम बजट 31 मार्च से पूर्व पारित होना चाहिए।

11 जाँच किये गये नगरीय निकायों में बजट तैयार करने और अनुमोदन में 176 दिवस तक का विलंब

नमूना जांचित 20 में से 11[4] नगर निकायों के अभिलेखों की जाँच मे यह पाया गया है कि बजट के अनुमोदन में नियत दिनांक (प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक) से छः दिनों से 176 दिनों तक का विलम्ब हुआ है। जिससे संबंधित वर्षों के बजट अनुमोदन होने में सिंतम्बर तक का विलंब **(परिशिष्ट 4.1.1)** हुआ। हांलाकि उक्त अवधि में लगातार व्यय किया गया जो कि अनियमित था।

निर्गम बैठक (जनवरी 2017) में, शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुये बताया कि शीघ्र ही आवश्यक निर्देश जारी किया जायेगा।

[4] दो नगरपालिक निगम, सात नगरपालिका परिषद एवं दो नगर पंचायत

4.1.8.2 अवास्तविक बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना

नमूना चयनित शहरी स्थानीय निकायों के बजट अभिलेखों की जांच में वर्ष 2011–12 से 2014–15 के वार्षिक बजट में आय एवं व्यय आंकड़ों का प्राक्कलन लगातार आधिक्य होना पाया गया। यह देखा गया है कि आय मद में 85 एवं व्यय मद में 87 प्रतिशत (**परिशिष्ट 4.1.2**) क्रमशः बजटीय आकड़ों से वास्तविक आंकड़े कम पाये गये। वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान 36 बार आय मद[5] के अंतर्गत आनुमानित आय से वास्तविक आय की कमी 50 प्रतिशत से अधिक था। इसी प्रकार 44 बार व्यय मद के अंतर्गत उक्त अवधि में अनुमानित आय से वास्तविक आय की कमी 50 प्रतिशत से अधिक कम पाया गया।

अनुमानित तथा वास्तविक आंकड़े के मध्य की भिन्नता नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अधोसंरचना तथा संसाधनों का सुनियोजित तरीके से उपयोग करने में विफलता दर्शाता है। यह बजट अनुमानों का पूरी तरह से अवास्तविक होना भी दर्शाता है।

निर्गम बैठक में (जनवरी 2017), शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुये बताया कि बजट ऐसे तैयार किया जाता है कि नकारात्मक शेष नहीं दिखे। यह उत्तर अनुमानित तथा वास्तविक आंकड़ों के मध्य 85 से 87 प्रतिशत की भिन्नता को स्पष्ट नहीं करता।

4.1.8.3 नियमों में विरोधाभासी प्रावधान

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (बजट अनुमान) नियम 1962 के नियम 5 के अनुसार बिना बजट प्रावधानों के कोई व्यय नहीं किया जाना है। हालांकि नियम 6 के अनुसार बजट प्रावधान के अभाव में न तो परिषद द्वारा किसी भी रकम का भुगतान रोकता है और न ही वह उचित शीर्ष खातों के अतंर्गत वास्तविक भुगतान को रोकता है। इस प्रकार नियम 5 और 6 एक दुसरे के विरोधाभासी प्रतीत होते है।

निर्गम बैठक में (जनवरी 2017), शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुये बताया कि इस विषय के समाधान के लिये कानून विभाग से परामर्श कर, जल्द उपयुक्त कदम उठाए जायेगें।

4.1.8.4 बजट प्रावधानों के बिना राशि ₹ 23.92 करोड़ का व्यय

दो नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बजट तैयार किये बिना ₹ 23.92 करोड़ का व्यय

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (बजट अनुमान) नियम 1962 के नियम 5 के अनुसार बिना बजट प्रावधानों के कोई व्यय नहीं किया जाना है। लेखापरीक्षा में देखा गया है कि बजट अनुमान को तैयार किये बिना वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान नगरपालिका परिषद दीपका द्वारा ₹ 14.40 करोड़ और वर्ष 2011–12 और 2015–16 के मध्य नगर पंचायत टुण्डरा द्वारा ₹ 9.52 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार इन दोनों स्थानीय निकायों ने ₹ 23.92 करोड़ का अनाधिकृत व्यय किया है। निर्गम बैठक (जनवरी 2017) में, शासन द्वारा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुये बताया गया कि प्रकरण की जाँच की जायेगी और सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4.1.8.5 नगरपालिक निधि में ₹ 35.25 लाख अवरूद्ध रहना एवं ₹ 13.29 लाख ब्याज हानि

नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 86 के अनुसार एक नगरपालिका निधि होगी और इसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निगम द्वारा एक ट्रस्ट में आयोजित किया जायेगा जो कि अधिनियम की निहित प्रावधानों के अधीन होगी।

[5] प्राप्ति मद में स्व–राजस्व, प्रदायित राजस्व, केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रदान किया गया अनुदान सम्मिलित है जबकि व्यय में राजस्व और पूंजीगत व्यय सम्मिलित है

अभिलेखों की जांच से पाया गया कि नगरपालिक निगम दुर्ग ने विभिन्न बैंकों में 57 बैंक खाते खोलकर निकाय निधि को जमा किया गया। इन 45 खातों में से 12 का उपयोग पिछले पांच वर्षों में एक बार भी नहीं किया गया और राशि ₹ 35.25 लाख केवल साधारण ब्याज अर्जित करते हुए निष्क्रिय पड़ी रही। चूंकि वितरण की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी इसलिये यह राशि सावधि जमा (एफ.डी.[6]) के अंतर्गत रखी जा सकती थी जिससे ₹ 13.29 लाख **(परिशिष्ट 4.1.3)** का अतिरिक्त ब्याज अर्जित किया जा सकता था।

यह इंगित किये जाने पर शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा कि (जनवरी 2017) सभी राशि एक खाते में हस्तांत्रित कर दी गयी है एवं लेखापरीक्षा के कथन के अनुसार इसे एफ.डी. के अंतर्गत रखा गया है।

4.1.9 राजस्व का आँकलन, संग्रह एवं लेखा जोखा

नगरीय स्थानीय निकाय संपत्ति कर, समेकित कर एवं जल कर जैसे अनिवार्य करों को आरोपित एवं संग्रहित कर राजस्व संघटित किया जाता है। इसके अतिरिक्त नगरीय स्थानीय निकायों को विवेकाधीन कर एवं राजस्व के अन्य स्रोत जैसे कि विज्ञापन कर, उपभोक्ता प्रभार इत्यादि अधिरोपित करने का अधिकार प्राप्त है। इनकी चर्चा नीचे की गयी है।

स्वयं के राजस्व की संरचना, **तालिका 4.1.3** में दर्शित किया गया है:

तालिका 4.1.3: स्वंय के स्रोत से राजस्व

अनिवार्य कर का नाम	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
संपत्ति कर	माँग	100.57	121.10	143.54	160.34	202.20
	वसूली	81.24	91.47	108.81	114.99	134.72
	कुल स्वयं के राजस्व का प्रतिशत	25.37	27.35	28.66	24.68	30.26
समेकित कर	माँग	63.32	67.70	76.77	86.04	92.16
	वसूली	39.24	38.24	39.73	46.93	46.32
	कुल स्वयं के राजस्व का प्रतिशत	12.26	11.43	10.47	10.07	10.40
जल कर	माँग	56.04	64.88	75.99	90.46	104.64
	वसूली	41.51	47.20	49.38	61.23	62.93
	कुल स्वयं के राजस्व का प्रतिशत	12.97	14.11	13.01	13.14	14.13
विवेकाधिन करों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व	माँग	163.02	145.64	147.92	241.79	227.58
	वसूली	158.17	157.55	181.68	242.85	201.28
	कुल स्वयं के राजस्व का प्रतिशत	49.40	47.11	47.86	52.11	45.21
कुल स्व–राजस्व	**माँग**	**382.95**	**399.32**	**444.22**	**578.63**	**626.58**
	वसूली	**320.16**	**334.46**	**379.60**	**466.00**	**445.25**

[6] कार्यालय आदेश संख्या 09/सूडा/2014/1513 दिनांक 01/09/2014 के अनुसार अनुपयोगी निधि को ऑटोस्वीप खातों में रखना है जिससे अधिक ब्याज अर्जित किया जा सके

चार्ट 4.1.3: स्व–राजस्व की संरचना

(₹ करोड़ में)

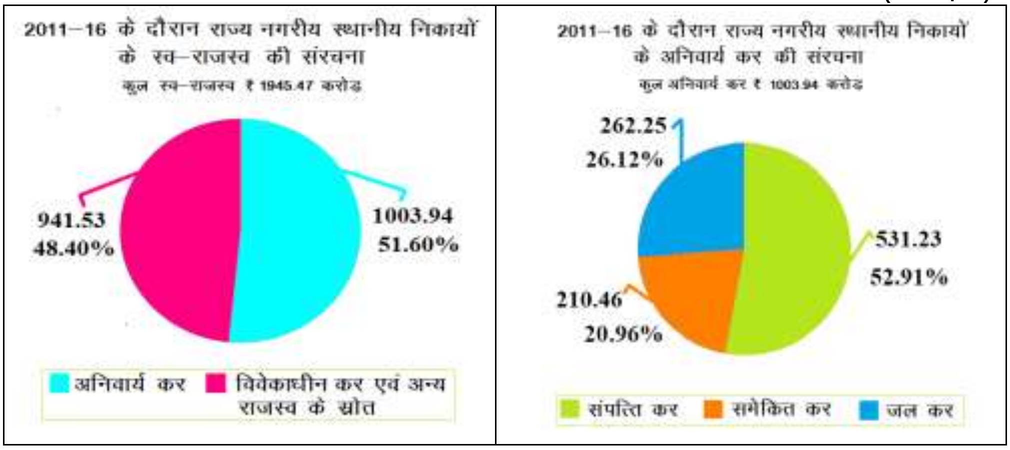

जैसे की उपरोक्त चार्टों में दर्शित है 2011–16 की अवधि मे अनिवार्य कर का स्वयं के राजस्व में 52 प्रतिशत योगदान था जबकि विवेकाधीन करों एवं राजस्व के अन्य स्रोतों का योगदान 48 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त अनिवार्य कर में संपत्ति कर का योगदान 53 प्रतिशत है जबकि समेकित कर एवं जल कर का अनिवार्य कर में योगदान क्रमशः 21 और 26 प्रतिशत है।

अनिवार्य कर

4.1.9.1 संपत्ति कर

सी.एम.सी.ए. की धारा 132 (1) (ए) में भवनों या भूमि के सकल वार्षिक भाड़े मूल्य के आधार पर शहर की सीमाओं के भीतर स्थित इमारतों या भूमि जैसे संपत्तियों पर स्वामियों द्वारा करों के भुगतान के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संपत्ति कर संग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 1997 मे स्व–मूल्यांकन योजना (एस.ए.एस.) को लागू किया गया। एस.ए.एस. के अंतर्गत करदाता स्वयं के करों का आंकलन करने के लिए स्वतंत्र है। संपत्ति कर निर्मित क्षेत्र, कुल क्षेत्रफल, स्थान, उद्देश्य, निर्माण का प्रकार जैसे मानदंडो के आधार पर अधिरोपित किया जाता है।

संपत्ति कर स्वयं के कर राजस्व का मुख्य योगदानकर्त्ता है जिसका नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व में 2011–16 की अवधि में योगदान 25 से 30 प्रतिशत रहा। आगे जाँच में पता चला कि:

- 1998–99 से 2014–15 के मध्य संपत्ति कर में बढ़ोत्तरी नहीं की गयी थी। हालाँकि राज्य शासन द्वारा 2015–16 में संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की वृद्धि की।

- नगरपालिक निगम बिलासपुर एवं नगरपालिका परिषद खरोरा को छोड़ कर किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा खुली भूमि पर संपत्ति कर अधिरोपित नहीं किया गया।

- निर्धारित प्रारूप मे उचित प्रविष्टियों के साथ माँग पंजियों को किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय में संधारित नहीं किया गया है।

- नौ[7] नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बकायेदारों की कोई सूची तैयार नहीं की गयी जबकि तीन[8] नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा इसे बनाया गया। शेष आठ नगरीय स्थानीय निकायों ने कोई उत्तर नहीं दिया गया।

निर्गम बैठक (जनवरी 2017) में शासन ने अवलोकन स्वीकार करते हुए कहा कि संपत्ति कर 2015–16 में बढ़ाया गया है एवं अन्य टिप्पणियों को संबोधित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे। हाँलाकि शासन ने दूसरे वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्ष में संपत्ति कर को बढ़ाने के लिए कोई आदेश नहीं दिया।

संपत्ति कर का आंकलन

तेरहवें वित्त आयोग (2010–15) यह नियत करता कि राज्य शासन को संपत्ति कर बोर्ड का गठन करना चाहिए ताकि संपत्ति करों का मूल्यांकन करने के लिए सभी नगरीय निकायों को स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया मे शामिल किया जा सके।

लेखापरीक्षा में देखा (जनवरी 2017) गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में संपत्ति कर बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।

राज्य शासन ने इसके अतिरिक्त सभी करों, दंड, उपभोक्ता प्रभार, शुल्क, टोल, अन्य नगरपालिका राजस्व संग्रहण आदि को तर्कसंगत एवं नियमित करने के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका राजस्व विनियामक आयोग (सी.एम.आर.आर.सी.) की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम 2011 को लागू (मई 2011) किया। इसके अतिरिक्त दूसरे राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) ने शासन से सी.एम.आर.आर.सी. के शीघ्र गठन की अनुशंसा की जिससे कि नगरीय स्थानीय निकायों के स्व–राजस्व के संसाधनों में वृद्धि की जा सके :–

- संपत्तियों का सर्वेक्षण करना और गैर मूल्यांकित एवं वास्तविकता से कम आंकलित संपत्तियों को संपत्ति कर दायरे में लाना
- संपत्ति कर बकाया वसूल करने के लिए उपाय करना
- हर पाँच साल मे संपत्ति कर में संशोधन को सुनिश्चित करना
- सभी संपत्तियों के मानचित्रण की शुरूआत करना
- नगरीय स्थानीय निकायों की सहायता के लिए नगरपालिक विज्ञापन कर तैयार करना
- किराए के निर्धारण, सावधिक संशोधन के साथ ही दुकानों के किराए, बाजार परिसरों आदि के लिए दिशानिर्देश तैयार करना
- नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर संचालन एवं रखरखाव शुल्क एकत्र करने में सक्षम करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

हालांकि छह वर्ष उपरांत भी राजस्व विनियामक आयोग स्थापित नहीं किया गया है (जनवरी 2017)। परिणामस्वरूप नगरीय स्थानीय निकाय जैसा की बाद की कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है, राजस्व प्रभावी रूप से उत्पन्न नहीं कर सके।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि इस विषय पर कार्यवाही चल रही है और शीघ्र ही इसे लागू किया जायेगा।

---

7 एक नगरपालिक निगम– बिलासपुर, चार नगरपालिका परिषद– बालोद, दीपका, अहिवारा, बागबहरा और चार नगर पंचायत– खरोरा, टुण्डरा, सारागाँव और बस्तर

8 जगदलपुर नगरपालिक निगम, डोंगरगढ़ और सरायपाली नगर पालिका परिषद

नगरीय स्थानीय निकायों में संपत्तियों का सर्वेक्षण

सी.एम.सी.ए. की धारा 143 और सी.एम.ए. की धारा 146 के प्रावधान के अनुसार पाँच और चार वर्षो में क्रमशः आयुक्त और नगरीय निकाय परिषद शहर के प्रत्येक भाग में स्थित भूमि और भवनों के मूल्यांकन के उद्देश्य से सर्वेक्षण की व्यवस्था करेगें।

इसके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन में यू.ए.डी.डी. ने (जुलाई 2011) भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) के विकास और कार्यान्वयन के लिए एक एजेंसी के साथ समझौता किया जिससे (i) जी.आई.एस. सक्षम संपत्ति कर प्रणाली का विकास (ii) संपत्ति सर्वेक्षण, आंकड़े संग्रह, डिजटलीकरण, आंकड़ों की प्रविष्टि और पुराने आंकड़ों को नए व्यवस्था में स्थानांतरित करना।

अभिलेखों की जाँच में पता चला कि राज्य के 13 नगरपालिक निगमों में से 10 में जी.आई.एस. सर्वेक्षण किया गया था। इन 10 नगरपालिक निगमों के 76 वार्डों में दर्ज वास्तविक आंकडों के साथ सर्वेक्षित आंकड़ों की तुलना में पता चला कि इन नगरपालिक निगमों की माँग में वृद्धि के रूप में 74,175 संपत्तियों में से 21,505 **(परिशिष्ट 4.1.4)** संपत्ति पर, संपत्ति कर अधिरोपित नहीं किया गया और इन नगरपालिक निगमों में संपत्ति कर की माँग 1999 मे किये गये अंतिम भौतिक सर्वेक्षण के आधार पर की गयी (जगदलपुर नगरपालिक निगम को छोड़कर जहाँ सर्वेक्षण 2015–16 में किया गया था)। छूटी हुई संपत्तियों का प्रतिशत सर्वेक्षण आंकड़ों के 81 प्रतिशत तक सीमित है।

इसके अतिरिक्त 11 नगर परिषदों में से आठ[9] और सभी पाँच[10] नगर पंचायतों में 2011–16 की अवधि मे कोई भौतिक सर्वेक्षण नहीं किया गया। इन नगरीय स्थानीय निकायों में संपत्ति कर व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत स्व–मूल्यांकन योजना के आधार पर एकत्रित किया गया।

निर्गम बैठक (जनवरी 2017) में, शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा कि अन्य नगरीय स्थानीय निकायों मे सर्वेक्षण पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जनगणना आंकड़े तथा संपत्ति कर :

जांच किये गये 20 में से 15[11] नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों में देखा गया है कि 2011 के जनगणना आंकड़े[12] के अनुसार इन नगरीय स्थानीय निकायों का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कुल 3,80,043 **(परिशिष्ट 4.1.5)** मकान थे। यद्यपि, संपत्ति कर केवल 2,91,490 मकानों पर लगाया गया जबकि 88,553 (23.30 प्रतिशत) मकानो करों के घेरे (टेक्स नेटवर्क) मे नहीं रखा गया था। संपत्ति कर लगाने में असफलता का प्रतिशत 19.22 (खरोरा नगर पंचायत) से 42.38 (तखतपुर नगर पालिका परिषद) तक रहा। इन 88,553 मकानों पर कम से कम ₹ 300 प्रति मकान के हिसाब से लगने वाले समेकित कर अधिरोपित[13] नहीं किये जाने के कारण नगरीय स्थानीय निकायों को 2011–16 की अवधि में ₹ 13.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

---

9 नगरपालिका परिषद अहिवारा, बालौद, बागबहरा, दीपका, खैरागढ़, कुम्हारी, रतनपुर और तखतपुर

10 बस्तर, खरोरा, पलारी, सारागांव, एवं टुण्डरा नगर पंचायत

11 एक नगर पंचायत, दो नगर पालिकाएं परिषद अहिवारा एवं खैरागढ़ और नगरपालिक निगम बिलासपुर के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। नगरपालिक निगम जगदलपुर में जनगणना आंकड़ों से अधिक पर संपत्ति कर अधिरोपित किया गया

12 तालिका एच–5: जनगणना मकान जिन्हें रिहायशी एवं रिहायशी सह अन्य उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है

13 यू.ए.डी.डी. अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी 2010

इस प्रकार विभाग द्वारा न तो जनगणना के आंकड़ों का उपयोग वर्तमान में स्थित मकानों की गणना के लिये किया गया न ही संपत्ति कर के मूल्यांकन के लिये स्वयं से सर्वेक्षण किया। इसके परिणामस्वरूप नगरीय स्थानीय निकायों को लगातार हानि हुई।

निर्गम बैठक (जनवरी 2017) में, शासन द्वारा बताया गया कि जनगणना आंकड़ों से संबंधित टिप्पणी का विश्लेषण कर कार्यवाही की जायेगी।

संपत्ति कर में ₹ 8.37 करोड़ की कम वसूली

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों में ₹ 8.37 करोड़ की संपत्ति कर की कम वसूली

जाँच किये गये नमूनाकृत नगरीय स्थानीय निकाय में देखा गया कि मार्च 2016 तक कुल मांग राशि ₹ 66.47 करोड़ में से संपत्ति कर की राशि ₹ 8.37 करोड़ **(परिशिष्ट 4.1.6)** बकाया था। यद्यपि नगरपालिक निगम द्वारा वर्षवार बकाया राशियों का उचित रूप से संधारण नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 165 के अनुसार किसी बकायेदार से वसूली के लिए संबंधित चल संपत्तियों की नीलामी एवं अधिहरण तथा विक्रय किये जाने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय में मजिस्ट्रेट के पास जाकर आदेश माँगने का अधिकार है परंतु ऐसा किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा किया जाना नहीं पाया गया। परिणामस्वरूप, नगरीय स्थानीय निकायों को वित्तीय तकलीफों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से जब अपने स्रोतों से स्वयं का खर्च पूरा करना संभव नहीं था।

निर्गम बैठक में शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए (जनवरी 2017) कहा कि सभी नगरीय स्थनीय निकायों को बकाया कर की वसूली हेतु निर्देशित किया जायेगा।

4.1.9.2 समेकित कर

समेकित कर एक अन्य अनिवार्य कर है, जो स्वच्छता कर, प्रकाशकर तथा अग्निकर को मिलाकर बना है। समेकित कर 2011–16 में नगरीय स्थानीय निकायों के स्व–राजस्व का 10 से 12 प्रतिशत रहा।

समेकित कर में ₹ 10.53 करोड़ की कम वसूली

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों में ₹ 10.53 करोड़ की समेकित कर की कम वसूली

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम की धारा 132(9) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम की धारा 127(9) के अनुसार राज्य सरकार समेकित कर की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय करती है, एवं वास्तविक समेकित कर की राशि को संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय पर तय करने के लिए छोड़ देती है। समेकित कर के अधिरोपण एवं वसूली में सम्मिलित हैं– (1) संपत्ति करदाताओं पर लगने वाले ₹ 50 प्रति माह की दर से कर (2) संपत्ति करमुक्त संपत्तियों पर ₹ 25 प्रति माह की दर से कर। 20 चयनित नगरीय स्थानीय निकाय के दस्तावेजों का जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि समेकित कर की कुल माँग ₹ 30.30 करोड़ की राशि में से केवल ₹ 19.77 करोड़ की राशि ही वसूल की जा सकी, जबकि ₹ 10.53 करोड़ **(परिशिष्ट 4.1.7)** की राशि मार्च 2016 तक वसूली हेतु शेष थी जिसका मुख्य कारण राजस्व अधिकारी/सहायक राजस्व अधिकारी का जनगणना, राशन कार्ड बनाना और मतदाता सूची इत्यादि अन्य कार्यों में कार्यरत होना था।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों को बकाया कर की वसूली हेतु निर्देशित किया जायेगा।

4.1.9.3 जल कर

जल कर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा एकत्रित किये जाने वाले तीन अनिवार्य करों में से एक है। 2011–16 की अवधि में नगरीय स्थानीय निकायों की स्व–राजस्व का 13 से 14 प्रतिशत योगदान जल कर से प्राप्त हुआ।

जल आपूर्ति कनेक्शनों में कमी

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में प्रावधान के अनुसार समस्त नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिकाओं को वित्तीय वर्ष (31 मार्च) के अंत में उनके द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित जल आपूर्ति सेवा मानकों को अधिसूचित करना होगा। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रत्येक मकान के स्तर पर 100 प्रतिशत मीटर द्वारा पानी आपूर्ति को सर्विस लेवल बेंचमार्क (एस.एल.बी.) स्थापित किया है। नगरीय स्थानीय निकाय प्रत्येक वर्ष बेंचमार्क के आधार पर एस.एल.बी. तय करते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जाँचे गये 20 नगरीय स्थानीय निकायों में से 15 में **(परिशिष्ट 4.1.8)** 3.34 लाख घरों में से केवल 1.21 लाख घरों (36 प्रतिशत) को जल कनेक्शन प्रदान किया गया। इस प्रकार नगरीय स्थानीय निकाय मीटर द्वारा 100 प्रतिशत जल आपूर्ति कनेक्शन के एस.एल.बी. को प्राप्त नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त नगरपालिक निगम दुर्ग को छोड़ कर प्रदाय किये गये जल कनेक्शन में मीटर स्थापना नहीं की गयी। इसलिए जलकर की माँग, शासन द्वारा निर्धारित दर के आधार पर की जाती है।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि नगरपालिक निगम भिलाई और जगदलपुर में मीटर स्थापना की प्रक्रिया पूरी कर ली गई तथा नगरपालिक निगम दुर्ग में कार्य प्रगति पर है। हालांकि शासन ने नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों द्वारा मीटर स्थापना नहीं किये जाने का कोई कारण नहीं बताया।

जल कर ₹ 17.03 करोड़ की कम वसूली

चयनित किये गये 20 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जल कर की कुल माँग ₹ 52.35 करोड़ में से ₹ 35.32 करोड़ की वसूली की गयी एवं ₹ 17.03 करोड़ **(परिशिष्ट 4.1.9)** बकाया था (मार्च 2016) जिसका मुख्य कारण राजस्व निरीक्षकों एवं उपनिरीक्षकों को नियमित रूप से दूसरे कार्यों जैसे जनगणना, राशन कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि में संलग्न करना था।

चयनित नगरीय निकायों में जल कर की ₹ 17.03 करोड़ की कम वसूली

शासन ने उत्तर दिया कि (जनवरी 2017) उपयुक्त कार्यवाही कर बकाया राशि की वसूली की जाएगी।

नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा संपत्ति कर, समेकित कर एवं जल कर जैसे अनिवार्य करों के कम संग्रहण किये जाने से कम राजस्व एकत्र हुआ जिस कारण विद्युत देयक, कर्मचारियों का जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. अंशदान, श्रम कल्याण उपकर/रॉयल्टी जैसी देनदारियों का भुगतान संबंधित खातों में नहीं किया जा सका एवं इनका वहन या तो शासन द्वारा उठाया गया अथवा संचित निधि से इनका भुगतान किया गया। देनदारियों के सृजन एवं निर्वाह का उल्लेख आगे के परिच्छेदों में किया गया है।

विवेकाधीन कर एवं अन्य स्रोतों से राजस्व

4.1.9.4 उपभोक्ता प्रभार

आवासीय/वाणिज्यिक भवनों से ठोस अपशिष्टों को एकत्र कर ठिकाने लगाने हेतु राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन उपविधियां 2010) के नाम से प्रसिद्ध ''आदर्श उपविधियाँ का गठन किया जिसमें नगरपालिक निगमों के लिए सेवाशुल्कों की दरों को सूचित किया गया। उपरोक्त नियम के परिशिष्ट 2 में उपभोक्ता प्रभार की दरों का उल्लेख किया गया है। तदुपरांत नगरपालिक निगमों के लिए अगस्त 2015 से उपभेक्ता प्रभार के संग्रह को अनिवार्य कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी नगरपालिक निगम द्वारा उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप मार्च 2016 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार

नगरपालिक निगम बिलासपुर एवं जगदलपुर, आवासों एवं वाणिज्यिक संस्थानों से ₹ 1.84 करोड़ **(परिशिष्ट 4.1.10)** का अतिरिक्त राजस्व उगाहने से वंचित रहे। नगरपालिक निगम रायपुर और दुर्ग ने ना तो उपभोक्ता प्रभार लगाया ना ही होटलों, रेस्टोरेंट, अस्पताल, क्लीनिक इत्यादि की सूची लेखापरीक्षा को प्रदाय की जिससे हानि का आंकलन किया जा सके।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि उपभोक्ता प्रभार नगरपालिक निगम अंबिकापुर द्वारा एकत्र किया जा रहा है एवं सभी नगरीय स्थानीय निकायों को उपभोक्ता प्रभार की वसूली के लिए दिशानिर्देश जारी किया जा रहा है।

4.1.9.5 विज्ञापन कर

नगरीय निकायों में विज्ञापन व्यवसाय/सेवा को नियमित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उपविधियाँ 2010 के नाम से लोकप्रिय आदर्श उपविधि (उपकानून) का गठन छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 427 के उपखंड (23) के अंतर्गत किया। उपनियम की धारा 5 ओर 6 आयुक्त की शक्ति, कर्तव्यों और कृत्यों को परिभाषित करते हुए एवं इन नियमों को लागू करने और जोनवार निविदा आमंत्रित करने में सहायता करने के लिए अधीक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।

विज्ञापन कर ₹ 3.79 करोड़ का कम संग्रह

रायपुर नगरपालिक निगम में 2011–16 के मध्य विज्ञापन कर में ₹ 3.79 करोड़ का कम संग्रह

नगरपालिक निगम रायपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड में मार्ग विभाजकों पर लगे बोर्ड एवं होर्डिंगों से राजस्व वसूली करने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की गयी थी। इसके लिए 2011–16 में निगम द्वारा 384 ठेकेदारों से अनुबंध किए गये। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों ने ट्यूबलर पोल्स, एल.ई.डी. बोर्ड एवं होर्डिंग के लिए कुल मांग ₹ 13.99 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 10.20 करोड़ ही जमा किए। परिणामस्वरूप ₹ 3.79 करोड़ का कम राजस्व संग्रहित हुआ **(परिशिष्ट 4.1.11)**। हालांकि अनुबंध में तीन प्रतिशत प्रति माह की दर से ₹ 19.76 लाख के दंड का अनिवार्य प्रावधान था परंतु उसे अधिरोपित नहीं किया गया।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि इस संबंध में कुछ प्रकरण न्यायालय में लंबित है। हालांकि वसूली जल्दी कर ली जायेगी। शासन ने हालांकि ठेकेदारों द्वारा ₹ 3.79 करोड़ जमा करने में असफल रहने पर दंड अधिरोपित न करने के लिए कोई तर्क नहीं दिया।

निविदा आमंत्रण सूचना में आवश्यक शर्त शामिल न किये जाने के कारण ₹ 31.31 लाख की वसूली में विफलता

नगरपालिका लेखा नियम के खंड 144 के अनुसार ठेके पर दिये गये प्रत्येक कार्य के लिए मुद्रांकित कागज पर समस्त नियम एवं शर्तों को उल्लेखित करते हुए अनुबंध कराया जाना है। नगरपालिक निगम जगदलपुर ने तीन साल (अप्रैल 2014 से अप्रैल 2017) की अवधि के लिए जगदलपुर के समस्त चार जोनों में बोर्डों एवं होर्डिंग आवंटन के लिए निविदा आमंत्रित की (जनवरी 2014)। प्रतिक्रिया में मात्र एक निविदा प्राप्त हुई और कार्य के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की गई (2016)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रारंभिक निविदा में कोई भी ऐसी धारा नहीं थी जिसके अंतर्गत नगरपालिक निगम जगदलपुर के साथ नियत समय में ठेकेदार का अनुबंध पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था एवं ऐसा करने में असफल रहने पर निविदा निरस्त हो जाती एवं दूसरी बड़ी बोलीकर्ता को निविदा प्रदाय की जाती।

आगे, जांच में यह देखा गया कि निविदा एक ठेकेदार को प्रति वर्ष ₹ 25.08 लाख के बोली मूल्य पर, प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के अधीन, ठेके पर दिया गया था (मार्च 2014)। ठेकेदार द्वारा वर्ष 2014–15 की पहली किस्त ₹ 12.54 लाख जमा किया गया

था। जबकि ठेकेदार द्वारा न तो कोई अनुबंध किया गया और न ही छः माह के भीतर दूसरी किश्त ₹ 12.54 लाख जमा किया गया। आयुक्त ने धरोहर राशि ₹ 3.60 लाख राजसात किया तथा बकाया ₹ 8.94 लाख वसूली करने हेतु 91 होर्डिंस भी जब्त किए (अप्रैल 2015)। ठेकेदार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिये किस्त जमा नहीं किया गया। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2016 को ठेकेदार पर ₹ 36.53 लाख बकाया था।

आयुक्त द्वारा बताया गया (अगस्त 2016) कि आपसी समझौता के आधार पर ठेकेदार से ₹ 5.22 लाख वसूल की गई थी। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा 2014–16 की अवधि के लिए कुल वसूली योग्य राशि ₹ 52.67 लाख के एवज में मात्र ₹ 21.36 लाख ही जमा किया गया। नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा ₹ 31.31 लाख[14] वसूल करने में विफल रहा।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ठेकेदारों के साथ समझौते के लिए उचित प्रारूप तैयार किया जाएगा और प्रत्येक नगरपालिक निकायों को जारी किया जायेगा। तथ्य यह रहा कि उचित अनुबंध के अभाव में नगरीय निकाय द्वारा विज्ञापन कर की पूर्ण वसूली नहीं की जा सकी।

4.1.9.6 परिसम्पत्तियों को पट्टे पर दिया जाना

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (अचल सम्पत्तियों का हस्तांतरण) नियम 1994 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय राजस्व उत्पन्न करने वाली अचल संपत्तियों जैसे कि दुकानों, बाजारों, साइकिल स्टैंड, मवेशी बाजार इत्यादि को नीलामी के माध्यम से उच्चतम बोली लगाने वाले को हस्तांतरित कर सकते हैं।

दुकानों के प्रीमियम/किराये की राशि ₹ 27.54 करोड़ की कम वसूली किया जाना

चयनित 18 नगरीय स्थानीय निकायों में दुकानों के प्रीमियम/किराये की ₹ 27.54 करोड़ वसूली हेतु बकाया होना

नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा दुकानों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बाजार इत्यादि के उपयोग के लिए प्रीमियम/किराया[15] अधिरोपित व संग्रहित किया जाता है। नमूना हेतु लिए गए 20 नगरीय स्थानीय निकायों[16] की मांग पंजी एवं नीलामी नस्तियों की जाँच में पाया गया कि 18 निकायों में राशि ₹ 3.20 करोड़ किराये के रूप में और ₹ 24.34 करोड़ **(परिशिष्ट 4.1.12)** प्रीमियम के रूप में मार्च 2016 तक वसूले जाने बाकी थे। किरायेदारों से प्रीमियम/किराये की कम वसूली होने से नगरीय स्थानीय निकाय आय अर्जित करने से वंचित हो गये। आगे ये भी देखा गया कि नमूना परीक्षित चार नगरीय स्थानीय निकायों[17] ने 2104 दुकानदारों से अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित नहीं करवाये थे।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि जगदलपुर प्रकरण में पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हेतु प्रीमियम की राशि वसूल नहीं की जा सकी। हालांकि राशि की वसूली करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

तालाबों को पट्टे पर दिये जाने में असफल रहने से ₹ 15.92 लाख के राजस्व की हानि

मत्स्य पालन नीति 2003 के अनुसार नगरीय निकाय सूचना को समाचार पत्र में प्रकाशित कर, निकायों के सूचना पटल पर प्रदर्शित करते हुए मुख्यालय से आठ

---

14 मार्च 2016 तकः ₹ 25.08 + (₹ 25.08 x 1.10) = ₹ 52.67 – (₹12.54 + ₹ 5.22+ ₹ 3.60)= ₹ 31.31 लाख

15 प्रीमियम के अर्थ पट्टे के दिये जाने पर भू–स्वामी को देय राशि, जबकि किराया पट्टे पर देय प्रीमियम है

16 सारागांव तथा टुण्डरा नगर पंचायत में दुकानों से कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ

17 बिलासपुर नगरपालिक निगम– 1587, खैरागढ़ नगरपालिका परिषद– 173, कवर्धा नगरपालिका परिषद– 82 तथा बालोद नगरपालिका परिषद– 222

रतनपुर नगरपालिका परिषद द्वारा 2014–16 के दौरान तालाबों का आवंटन न किये जाने से ₹ 15.92 लाख की राजस्व हानि

किलोमीटर के दायरे में पंजीकृत मछुआरा सहकारी समिति को दस वर्ष की अवधि के लिए तालाबों को पट्टे पर देकर प्रीमियम एकत्र करते हैं। पट्टे की राशि में प्रत्येक तीसरे वर्ष प्रारंभिक पट्टा राशि से दस प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी है।

नगरपालिका परिषद, रतनपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जून 2015 में 145 तालाबों को पट्टे पर देने के लिए निविदा आमंत्रित की गयी। प्राप्त हुए 72 आवेदनों मे से मात्र 45 ही उपयुक्त पाये गये। मत्स्य पालन नियम 2013 के अनुसार नगरपालिका परिषद ने एक समिति का गठन किया (दिसंबर 2015), जिसने तालाबों की सूची तैयार की और अनुमोदन के लिए मत्स्य पालन विभाग को भेजा। हालांकि समिति के सदस्यों के बीच लाभार्थियों की वित्तीय स्थिति, तालाबों से उनकी आवासीय दूरी में अंतर जैसे चयन प्रक्रियाओं में आम सहमति को कमी के कारण सूची को मार्च 2016 तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसके परिणामस्वरूप 2014–15 से 2015–16 की अवधि में कम से कम ₹ 15.92 लाख[18] की राजस्व हानि हुई।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि संबंधित परिषद और मत्स्य पालन विभाग के बीच का संघर्ष शीघ्र ही सुलझाया जायेगा।

ठेकेदारों द्वारा ₹ 2.39 करोड़ कम जमा किया जाना

आठ नगरीय निकायों में 35 ठेकेदारों द्वारा 2011–16 की अवधि में ₹ 2.39 करोड़ कम जमा किया जाना

नगरीय स्थानीय निकाय सायकिल स्टैंड, दुकानों, मवेशी बाजार, दैनिक बाजार, शॉपिंग कम्पलेक्स जैसे संपत्तियों के स्वामी होते हैं और इनको अनुंबध पर देकर नियमित आय प्राप्त करते हैं। अचल संपत्तियों के हस्तांतरण नियम 1994 के खंड 6 (IV) के अनुसार उच्चतम बोलीदाता या उच्चतम पेशकर्ता जैसा कि प्रकरण हो, बोली के अनुमोदन की सूचना के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर, नीलामी/पेशकश के मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करेगा।

तीन[19] नगरपालिक निगम एवं पाँच[20] नगरपालिका परिषदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 35 ठेकेदारों ने 2011–16 की अवधि में सायकिल स्टैंड, मवेशी बाजार, दैनिक बाजार इत्यादि की नीलामी में ₹ 4.60 करोड़ **(परिशिष्ट 4.1.13)** की बोली लगाई। ठेकेदारों ने हालांकि निविदा प्राप्त होने के पश्चात मात्र ₹ 2.21 करोड़ ही जमा किये। इसके परिणामस्वरूप नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 2.39 करोड़ की राजस्व हानि हुई (मार्च 2016)। यद्यपि नमूना परीक्षित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ठेकेदारों को बकाया राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वसूली नहीं किया गया था (जनवरी 2017)।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि ठेकेदारों के साथ समझौते के लिए उचित प्रारूप तैयार किया जायेगा एवं सभी नगरीय स्थानीय निकायों को जारी किया जायेगा। तथ्य यह है कि बकायादार ठेकेदारों से आफर प्राइस की वसूली एक से पांच साल बाद भी नहीं किया जा सका।

अटल आवास योजना अंतर्गत निर्मित मकानों से ₹ 2.55 करोड़ की कम किश्त वसूली

अटल आवास योजना अर्तगत छः नगरीय स्थानीय निकायों में हितग्राहियों से ₹ 2.55 करोड़ की कम वसूली

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन और आवासहीन लोगों को सस्ते, वहन करने योग्य एवं पक्के घर प्रदाय करने के उद्देश्य से 2004 में अटल आवास योजना शुरू की गयी थी। इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति इकाई घर निर्माण की लागत ₹ 0.60 लाख तय की गई थी। इसमें से लाभार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाना था एवं शेष 50 प्रतिशत ऋण के रूप में देना था जिसे लाभार्थियो के द्वारा

---

18 अनुमानित लीज रेंट राशि ₹ 15.92 लाख (98 तालाबों से ₹ 22.20 लाख का 110 प्रतिशत = ₹ 24.41 में से ₹ 8.50 लाख वसूली किया जा चुका)

19 दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर

20 कुम्हारी, कवर्धा, सरायपाली, रतनपुर एवं बालोद

₹ 10 प्रति दिन (₹ 300 प्रति माह) की दर से चुकाया जाना था। राज्य सरकार की गारंटी के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकाय राज्य शासन/हुडको अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करते हैं। अगर नगरीय स्थानीय निकाय ऋण चुकाने में असफल रहते हैं तो राज्य शासन ऋण की वसूली चुँगी क्षतिपूर्ति से करती है।

अटल आवास योजना के अंतर्गत तीन[21] नगरपालिक निगमों और तीन[22] नगरपालिका परिषदों में 1306 मकानों का निर्माण किया गया (2007–16), जिसमें से मात्र 1067 मकानों को आवंटित किया गया था। जबकि ₹ 2.90 करोड़ की कुल बकाया देय राशि में से मात्र ₹ 35.18 लाख वसूली किये गये थे। जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों से ₹ 2.55 करोड़ **(परिशिष्ट 4.1.14)** की कम वसूली हुई।

आगे यह भी देखा गया कि वर्ष 2007 से मार्च 2016 तक विकलांग लाभार्थियों जैसे पात्र लाभार्थियों के न मिलने के कारण 239 मकानों का आवंटन नहीं किया जा सका। नगरपालिका परिषद, कवर्धा में 77 मकानों में गैर कानूनी कब्जे के कारण आवंटन नहीं किया जा सका।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि इस संबंध मे आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों से ₹ 12.58 करोड़ की वसूली में विफलता

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के संशोधित दिशानिर्देश (फरवरी 2009) में चिन्हित शहरी इलाकों के झोपड़पट्टी वासियों को बुनियादि सुविधाएं और पर्याप्त आश्रय उपलब्ध कराने के साथ स्वस्थ और सक्रिय शहरी परिवेश सहित समग्र मलिन बस्ती विकास की परिकल्पना की गई है।

आई.एच.एस.डी.पी. योजना अतंर्गत पाँच नगरीय निकायों में लाभार्थियो से ₹12. 58 करोड़ की कम वसूली

दिशानिर्देश के खंड 4.8 के अनुसार जिन लाभार्थियों को आवास आवंटित किया गया है उनसे कम से कम 12 प्रतिशत, लाभार्थी योगदान लिया जाना चाहिए। हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग जैसे प्रकरणों में लाभार्थी योगदान 10 प्रतिशत ही होगा।

पाँच[23] नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत 7716 मकानों का निर्माण किया गया जिसमें से 2011–16 के मध्य 5566 मकान ही आवंटित किये जा सके जबकि 2150 मकान आवंटन प्रक्रिया में देरी के कारण आवंटित नही किए जा सके। हालांकि लाभार्थियों के योगदान की कुल माँग ₹ 13.91 करोड़ के विरूद्ध नगरपालिक निगम दुर्ग और जगदलपुर ने मात्र ₹ 1.33 करोड़ वसूल किया जबकि शेष तीन नगरीय स्थानीय निकायों ने कोई राशि वसूल नहीं की। इस प्रकार ₹ 12.58 करोड़ का राजस्व वसूल नहीं किया गया **(परिशिष्ट 4.1.15)**।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी और ऋण क्षमा करने का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को भेजा जायेगा।

4.1.9.7 नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय धारणीयता

राजस्व के आंकलन, संग्रह और उपयोग पर उचित ध्यान देने सहित विवेकपूर्ण वित्तीय नियंत्रण प्रथाएँ, नगरीय स्थानीय निकायों को लक्षित सेवाओं को उच्चतम दक्षता प्रदान

---

21 बिलासपुर, दुर्ग एवं जगदलपुर

22 कुम्हारी, डोंगरगढ़ एवं कवर्धा

23 बलोद, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर एवं कवर्धा

करने में मदद करती हैं। सभी नगरीय स्थानीय निकाय उनके कार्य के लिए अपने संसाधनों के राजस्व और राज्य सरकार से प्रदायित राजस्व[24] पर निर्भर रहते हैं।

नमूनाकृत नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय स्वास्थ्य का आंकलन लेखापरीक्षा में यह मूल्यांकन करने के लिए किया गया था कि क्या उनके संसाधन सबसे आवश्यक कार्य और स्थापना खर्च की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। 19 नमूनाकृत नगरीय स्थानीय निकायों[25] में से 17 में यह देखा गया था कि वे अपने स्वयं के राजस्व से अपने खर्चों को पूरा नहीं कर सके क्योंकि ₹ एक वसूल किए जाने में ₹ 1.56 व्यय करना पड़ता है जैसा कि **तालिका 4.1.4** में बताई गई:

तालिका 4.1.4: 2015–16 के दौरान स्व–राजस्व से व्यय का विवरण

(₹ करोड़ मे)

नगरीय स्थानीय निकायों के नाम	स्व–राजस्व	वेतन एवं मजदूरी[26]	अन्य व्यय[27]	कुल व्यय (3+4)	₹ एक की प्राप्ति की लागत
1	2	3	4	5	6
नगरपालिक निगम					
बिलासपुर	33.17	48.79	16.01	64.80	1.95
रायपुर	97.80	89.22	63.91	153.13	1.57
दुर्ग	24.07	28.06	5.65	33.71	1.40
जगदलपुर	17.06	12.07	9.71	21.78	1.28
कुल	**172.10**	**178.14**	**95.28**	**273.42**	**1.59**
नगर पालिका परिषद					
तखतपुर	0.76	1.68	0.91	2.59	3.40
बागबहरा	0.41	1.07	0.01	1.08	2.64
रतनपुर	0.74	1.52	0.21	1.74	2.33
कुम्हारी	1.47	1.95	1.06	3.00	2.04
खैरागढ़	1.35	1.48	0.93	2.42	1.78
अहिवारा	0.93	1.27	0.37	1.64	1.77
डोंगरगढ़	1.74	2.29	0.65	2.92	1.68
सरायपाली	1.26	1.67	0.33	2.00	1.60
बालोद	1.66	2.03	0.44	2.46	1.48
कवर्धा	7.35	3.77	1.44	5.21	0.71
दीपका	2.59	0.87	0.59	1.46	0.56
कुल	**20.27**	**19.58**	**6.94**	**26.52**	**1.31**
नगर पंचायत					
सारागांव	0.09	0.26	0.10	0.36	3.78
टुण्डरा	0.10	0.29	0.03	0.33	3.42
खरोरा	0.70	0.67	0.36	1.03	1.48
बस्तर	0.31	0.22	0.09	0.31	1.02
कुल	**1.19**	**1.44**	**0.59**	**2.03**	**1.70**
सकल योग	**193.56**	**199.16**	**102.80**	**301.97**	**1.56**

(स्रोतः 2015–16 के लिए नमूना परीक्षित नगरीय स्थानीय निकायों से प्राप्त आंकड़े)

---

24 राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित राजस्व में चुंगी क्षतिपूर्ति, स्टाम्प डयूटी, बार लायसेंस तथा आयात अनुदान सम्मिलित है

25 एक नगरपालिक निकाय (पलारी) विवरण प्रस्तुत नहीं किया

26 वेतन एवं मजदूरी में कर्मचारियों का वेतन, पी.पी.एफ./सी.पी.एफ. का अंशदान, यात्रा अग्रिम/चिकित्सा देयकों, अवकाश नगदीकरण, प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन शामिल है

27 अन्य व्यय में नगरपालिक निगमों/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायतों द्वारा आवश्यक कार्यों का संचालन हेतु व्यय तथा स्थापना व्यय शामिल है

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- नमूना परीक्षित नगरपालिक निगमों ने ₹ 1.59 खर्च करके ₹ एक वसूल किया जबकि नगरपालिका परिषदों ने ₹ 1.31 खर्च करके ₹ एक वसूल किया। इसी तरह, नगर पंचायतों ने ₹ 1.70 खर्च करके ₹ एक वसूल किया। इस प्रकार, नमूना परीक्षित नगरीय स्थानीय निकायों ने ₹ 1.56 व्यय कर ₹ एक वसूल किया और इसलिए अपने स्वयं के राजस्व पर आत्मनिर्भर रहने में विफल रहीं। नतीजतन, नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति, स्टाम्प डयूटी, बार लाइसेंस और निर्यात अनुदान में नगरीय स्थानीय निकाय की हिस्सेदारी के रूप में निरूपित राजस्व पर निर्भर होना पड़ता है। यह उनकी अनिवार्य सेवाओं की प्रदायगी के लिए निधि की उपलब्धता पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।
- 19 नगरीय स्थानीय निकायों[28] में से 13 नगरीय स्थानीय निकायों (दो नगरपालिक निगम, नौ परिषद और दो नगर पंचायत) स्वयं के राजस्व से वेतन एवं भत्तों का खर्च भी पूरा नहीं कर सके।
- दो नगरपालिक निगम (रायपुर एवं बिलासपुर), पाँच नगरपालिका परिषद (डोंगरगढ़, कुम्हारी, रतनपुर, सरायपाली एवं तखतपुर) और दो नगर पंचायत (टुण्डरा और सारागाँव) राज्य सरकार से निरूपित राजस्व प्राप्त करने के बावजूद अपने कुल खर्चे की पूर्ति नहीं कर सके **(परिशिष्ट 4.1.16)**। ये नगरीय स्थानीय निकाय राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर अपने घाटे को पूरा करती है।
- नगरपालिका परिषद दीपका और कवर्धा अपने कुल व्यय की पूर्ति स्वयं के राजस्व से नहीं कर सके। नगरपालिका परिषद दीपका की कमाई सालाना कोयला निर्यात कर (2015–16 के दौरान कुल राजस्व का 56 प्रतिशत) से हुई थी, जबकि नगरपालिका परिषद कवर्धा ने पट्टे पर दिए गए दुकानों/बाजार/शॉपिंग कॉम्पलेक्स के एक बार प्रीमियम (वर्ष 2015–16 के दौरान कुल राजस्व का 38 प्रतिशत) से आय अर्जित की थी।

4.1.9.8 मानव संसाधन

कर्मचारियों की कमी

नमूनाकृत नगरीय स्थानीय निकायों में, स्वीकृत संख्या के विरूद्ध रिक्त पदों का प्रतिशत नगरपालिक निगमो में नौ प्रतिशत से 16 प्रतिशत, नगरपालिका परिषदों में सात प्रतिशत से 46 प्रतिशत और नगर पंचायतों में 30 प्रतिशत से 57 प्रतिशत के बीच रहा **(परिशिष्ट 4.1.17)**। कर्मचारियों की कमी राजस्व संग्रहण और उनकी सेवाओं का निर्वहन के शासनादेश पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जिसे कंडिका 4.1.9 में चर्चा किया गया है।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) की संशोधित स्थापना के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।

अतिरिक्त कर्मचारियों को ₹ 94.40 लाख का भुगतान

शासन द्वारा अनुमोदित पदों की स्वीकृत संख्या के भीतर नगरीय स्थानीय निकायों में कर्मचारियों के पदों की पदस्थापना किया जाना चाहिए। नमूनाकृत नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि कुछ पदों में स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त कर्मचारियों की पदस्थापना की गयी थी। नगरीय स्थानीय निकायों ने अतिरिक्त कर्मचारियों पर ₹ 94.40 लाख खर्च किए। विवरण नीचे **तालिका 4.1.5** में दिखाए गए हैं:

[28] नगर पंचायत पलारी के आंकड़े लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध नहीं थे

तालिका 4.1.5 : अतिरिक्त कर्मचारियों पर भुगतान

(₹ लाख में)

नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	पदनाम	शासन द्वारा स्वीकृत पद	वास्तविक कार्यरत	अधिक कार्यरत	अधिक अमला पर किया गया व्यय
नगरपालिका परिषद, रतनपुर	सहायक राजस्व निरीक्षक	6	10	4	51.20
नगरपालिक निगम, बिलासपुर		4	8	4	43.20
कुल					**94.40**

हांलाकि, यह देखा गया कि उपरोक्त दो नगरीय स्थानीय निकायों में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के बावजूद ₹ 11.34 करोड़ की राजस्व बकाया है (मार्च 2016)।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति विशेष परिस्थिति के कारण की गई थी और तर्कसंगत ढ़ंग से पुनर्गठन निश्चित समय में की जाएगी।

4.1.10 नगरपालिका निधि से व्यय

सी.एम.सी.ए. की धारा 88 के अनुसार नगरपालिका निधि में जमा किये गये धन का उपयोग प्रत्येक वर्ष बजट में उचित प्रावधान करते हुए ऋण का पुनर्भुगतान, देनदारियों के निर्वहन तथा नगरपालिका सेवाओं को देने के लिए होने वाले समस्त भुगतान, प्रभार व्यय, आदि पर किया जायेगा।

4.1.10.1 ऋण पुनर्भुगतान

राज्य शासन ने ₹ 156.20 करोड़ का विकास ऋण नमूना जाँच वाले चार[29] नगरीय स्थानीय निकायों को दिया था (2008–13), जो ब्याज समेत इसका पुनर्भुगतान नहीं कर सके। परिणामस्वरूप शासन ने इन नगरीय स्थानीय निकायों के देय ₹ 89.72 करोड़ (मूल ₹ 56.47 करोड़ और ब्याज ₹ 33.25 करोड़) को राज्य शासन द्वारा प्रदायित राजस्व[30] से समायोजित किया जबकि मुख्यतः इन नगरीय स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त धन के अनुपलब्धता के कारण नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा मार्च 2016 तक ₹ 125.49 करोड़ का पुनर्भुगतान नहीं किया गया । यह उनके संसाधनों पर एक बोझ साबित हुआ क्योंकि बकाये ऋण पर ब्याज बढ़ता रहता है।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि मूलधन की राशि को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति से वसूल की जा रही है।

4.1.10.2 देनदारियों का निर्वहन

15 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ₹ 29.34 करोड़ मूल्य की देनदारियों को ना चुकाया जाना

सी.एम.सी.ए. की धारा 97 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को वार्षिक बजट में प्रावधान करके प्रतिवर्ष देनदारियों[31] को चुकाना चाहिए। नमूनाकृत 20 में से 15 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ₹ 29.34 करोड़ **(परिशिष्ट 4.1.18)** की देनदारियां जैसे बिजली बिलों, भविष्य निधि, कल्याण उपकर, रॉयल्टी और जल प्रभार का भुगतान 31 मार्च 2016 को बकाया था जो नीचे दर्शाया गया है:

29 बिलासपुर, जगदलपुर, रायपुर नगरपालिक निगम एवं कवर्धा नगरपालिका परिषद

30 चुंगी क्षतिपूर्ति से (ऑक्ट्राय)

31 नगरीय स्थानीय निकायों के दैनिक कार्यावली से उत्पन्न होने वाले समस्त ऋण एवं दायित्व

चार्ट 4.1.4: जांच किये गये 20 नगरीय स्थानीय निकायों में बकाया देनदारियां (₹ 29.34 करोड़)
(₹ करोड़ में)

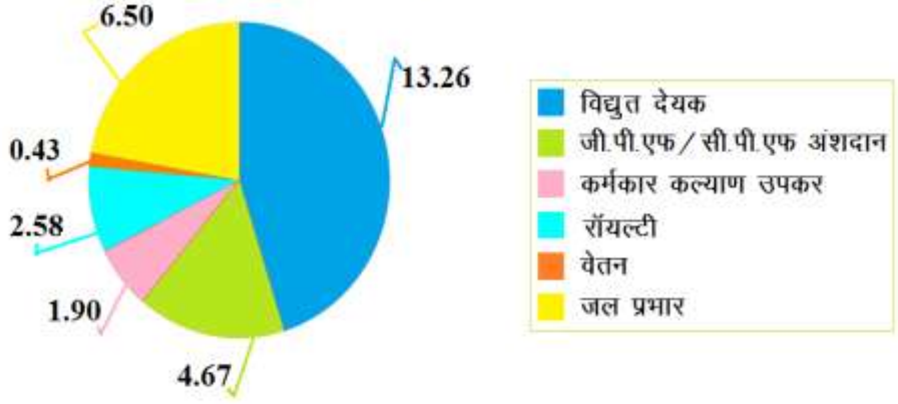

तालिका 4.1.6: बकाया देनदारियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

देनदारियो का प्रकार	सम्मिलित नगरीय स्थानीय निकायों	बकाया राशि	कारण	लेखापरीक्षा टीप
विद्युत देयक	12	13.26	नगरीय स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त धन का अभाव था	छत्तीसगढ़ राज्य आपूर्ति संहिता 2011 के अनुसार अधिभार के रूप में अतिरिक्त देनदारी का सृजन होना।
भविष्य निधि	7	4.67	नगरीय स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त धन का अभाव था	यदि राशि को सवंधित भविष्य निधि खातों मे जमा किया गया होता तो कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होता।
श्रम कल्याण उपकर	7	1.90	संबंधित खाते में ऑनलाइन उपकर जमा करने में समस्या के कारण	श्रम कल्याण उपकर के अंर्तगत शास्ति लगाने से अतिरिक्त देनदारी का सृजन हो सकता है।
रॉयल्टी	1	2.58	स्थानीय नगरीय निकायों के पास पर्याप्त धन का अभाव था	अतिरिक्त देनदारी का सृजन हो सकता है।
वेतन	2	0.43		
जल प्रभार	1	6.50	स्थानीय नगरीय निकायों के पास पर्याप्त धन का अभाव था	जलाशय से घरों की आपूर्ति के लिए मिलने वाले पानी पर रोक से इनकार नहीं किया जा सकता।
योग		29.34		

नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा देनदारियों को कम करने हेतु राजस्व संग्रहण में सुधार करने हेतु मानदंडों के अनुसार संपत्ति करों का अद्यतन करना, ठोस कचरे के संग्रहण और निपटान के लिए उपभोक्ता प्रभार लगाना, समस्त संपत्तियों को संपत्ति कर के दायरे में लाने हेतु उचित सर्वेक्षण किया जाना, ऑनलाईन कर संग्रहण जैसे अच्छी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने जैसे प्रभावी कदम भी नहीं उठाया गया, जबकी देनदारियों का निपटान शेष था। आगे, संबंधित परिषदों द्वारा बजट में पारित राशि देनदारियों को निपटाने हेतु उपयोग की जानी चाहिए जो कि राजस्व की कमी के कारण जांच किये गये नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा पालन नहीं किया गया।

शासन द्वारा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए बताया गया (जनवरी 2017) है कि नगरीय स्थानीय निकायों में पर्याप्त निधि नहीं होने के कारण देनदारियों का निपटारा नहीं किया गया तथा तकनिकी समस्याओं के कारण श्रम कल्याण उपकर जमा नहीं किया जा सका।

सेवा कर देनदारियों का सृजन ₹ 57.02 लाख

आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद रायपुर ने नगरपालिक निगम रायपुर को सेवा कर के भुगतान के लिये राशि ₹ 57.02 लाख (12 प्रतिशत सेवा कर, दो प्रतिशत शिक्षा उपकर एवं एक प्रतिशत उच्च शिक्षा उपकर मिला कर) की मांग नोटिस जारी की, जो नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा वर्ष 2014–15 के लिये ₹ 4.61 करोड़ दुकानों के लीज/किराया से उत्पन्न हुई थी।

यद्यपि नगरपालिक निगम रायपुर द्वारा पट्टेदारों/किरायेदारों से सेवा कर की वसूली नहीं कर सका क्योंकि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पट्टेदारों/किरायेदारों से सेवा कर के भुगतान हेतु ऐसी कोई भी शर्त शामिल नहीं की थी। इस प्रकार सेवा कर के भुगतान की स्थिति में ₹ 57.02 लाख के भुगतान की देनदारी नगरपालिक निगम रायपुर पर होगी।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि उक्त विषय में आवश्यक निर्देश जारी किया जायेगा।

4.1.10.3 नगरपालिका निधि से अनियमित भुगतान

संविदा अंतर्गत रखे गये कर्मचारियों को ₹ 1.36 करोड़ का अधिक भुगतान

कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 6 यह आदेशित करती है कि प्रत्येक ठेकेदार या नियोक्ता प्रत्येक माह कर्मचारी के योगदान के रूप में उसकी आय से 12 प्रतिशत कटौती कर ई.पी.एफ. खाते में जमा करेगा। इसके अलावा, जो नियोक्ता योजना की धारा 14 के अंतर्गत ऐसा करने में विफल रहता है उस पर दण्ड जैसे कारावास, अर्थ दंड या दोनों अधिरोपित किया जायेगा।

तीन नगरपालिक निगमों और चार नगरपालिका परिषदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अप्रैल 2011 और मार्च 2016 के बीच आउटसोर्स/संविदात्मक कर्मचारियों का वेतन के रूप में ₹ 11.30 करोड़ का भुगतान किया गया था। यद्यपि उपरोक्त नियमों की अवहेलना करते हुये 12 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की राशि ₹ 1.36 करोड़ (**परिशिष्ट 4.1.19**) को कटौत्रा कर जमा नहीं कराया गया। इसके परिणामस्वरूप न केवल प्लेसमेंट कर्मचारियों को ₹ 1.36 करोड़ के अधिक भुगतान हुआ, बल्कि कर्मचारियों को निधि के सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से भी वंचित होना पडा ।

शासन ने हालांकि टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए (जनवरी 2017), इसका कोई विशिष्ट कारण उपलब्ध नहीं कराया। यद्यपि यह सूचित किया गया कि सभी नगरीय स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

अधिभार पर ₹ 1.26 करोड़ के परिहार्य भुगतान

नगरीय स्थानीय निकाय जन उपयोगी सेवा जैसे स्ट्रीट लाईट, जल कार्य के लिए पंप घर आदि पर व्यय करती है। विद्युत देयकों का नगरपालिका निधि से भुगतान किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता 2011 के नियम 10.12 के अनुसार सभी उपभोक्ता जो देयक राशि का भुगतान करने में चूक जाते है वे बकाया राशि पर आयोग द्वारा अनुमोदित दर से विलंब भुगतान अधिभार, के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगें।

चयनित सात नगरीय स्थानीय निकाय के वर्ष 2015–16 के अवधि के विद्युत देयकों की जाँच में देखा गया कि नगरीय स्थानीय निकायों में पर्याप्त निधि नहीं होने के कारण विद्युत देयकों का भुगतान में विलंब के लिए अर्थदण्ड के रूप में ₹ 1.26 करोड़ **(परिशिष्ट 4.1.20)** का भुगतान किया गया था।

यह इंगित किये जाने पर शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा कि इसे भविष्य के लिये टीप किया जाता है।

उर्जा विकास उपकर पर ₹ 1.52 करोड़ का परिहार्य भुगतान

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1981 के खंड 3(v) के अनुसार, नगरीय निकायों और नगर पंचायत सहित स्थानीय निकायों को सार्वजनिक स्ट्रीट लाईट या किसी बाजार स्थल पर प्रकाश व्यवस्था या पानी के काम में या निकायों द्वारा संचालित कर रहे किसी सार्वजनिक आश्रय स्थल में बिजली खपत के लिए उर्जा विकास उपकर का निकायों द्वारा भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

जांच में पाया गया कि चयनित 20 में से 16 नगरीय स्थानीय निकायों ने सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कि स्ट्रीट लाईट, पंप हाउस पर 2015–16 तक ₹ 1.52 करोड़ **(परिशिष्ट 4.1.21)** उर्जा विकास उपकर का भुगतान किया।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए (जनवरी 2017) कहा है कि यह प्रकरण विचाराधीन है और भविष्य में विद्युत देयकों का भुगतान उर्जा विकास उपकर कटौती के बाद किया जाएगा। तथ्य यथावत है कि संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा बिजली देय राशि ₹ 1.52 करोड़ का भविष्य के भुगतान में समायोजन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

असमायोजित अस्थायी अग्रिम ₹ 3.59 करोड़

छोटे–मोटे भुगतान करने के लिए कर्मचारियों/अधिकारियों को अस्थायी अग्रिमों का भुगतान किया जाता है। छत्तीसगढ़ नगरपालिका लेखांकन अधिनियम 1971 के अनुच्छेद 112 और छत्तीसगढ़ राज्य वित्तीय संहिता प्रदान करता है कि अस्थाई अग्रिमों को जल्द से जल्द समायोजित या वसूली किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी मामले में अग्रिम भुगतान के तीन महीने या वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् नहीं किया जाना चाहिए।

पिछले एक से 35 वर्ष में ₹ 3.59 करोड़ के अग्रिम वसुली के लिये शेष थे

20 नगरीय स्थानीय निकायों की अग्रिम पंजियों की जाँच से पता चला कि कर्मचारियों को ₹ 3.59 करोड़ **(परिशिष्ट 4.1.22)** की अस्थायी अग्रिम जैसे चिकित्सा उपचार, यात्रा अग्रिम, कोर्ट मुकदमा आदि जैसे कारणों के लिए स्वीकृत किया गया था। यद्यपि, इन अग्रिमों को फरवरी 2017 स्वीकृति के एक से 20 वर्ष से अधिक तक समायोजित नहीं किया गया है जैसा कि नीचे **तालिका 4.1.7** में दर्शाया गया है:

तलिका 4.1.7: बकाया अग्रिमों का वर्षवार विवरण

(₹ लाख में)

अवधि	अग्रिम की राशि	कुल अग्रिमों का प्रतिशत
1 से 5 वर्ष	72.78	20.28
6 से 10 वर्ष	165.79	46.20
11 से 15 वर्ष	90.44	25.20
16 से 20 वर्ष	17.79	4.96
20 वर्षों से अधिक	12.04	3.36
कुल	**358.85**	**100**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अग्रिम राशि का 80 प्रतिशत जिसका मूल्य ₹ 3.59 करोड़ है को छः वर्ष से अधिक तक समायोजित नहीं किया जा सका।

यद्यपि चूककताओं से इन अग्रिमों को वसूल करने हेतु कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया। आगे यह देखा गया है कि ₹ 30.47 लाख उन कर्मचारियों के विरूद्ध बकाया है जो या तो सेवानिवृत हो गये या जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिससे वसूली की संभावना क्षीण प्रतीत होती है।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि सभी प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी और वसूली के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी।

4.1.10.4 संचित निधि का प्रबंधन

संचित निधि नगरीय स्थानीय निकाय के आधिपत्य में एक आरक्षित निधि है जिसका उपयोग आपातकाल के लिए राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाता है।

संचित निधि में ₹ 27.84 करोड़ कम जमा किया जाना

आठ नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ₹ 27.84 करोड़ कम जमा किया जाना

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपनाए गए, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (बजट अनुमान) नियम 1962 मे नियम 3(3) के अनुसार, नगरीय स्थानीय निकाय की वार्षिक आय जो स्वयं की निधियों का पाँच प्रतिशत संचित निधि में जमा किया जाना है।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 12 चयनित नगरीय स्थानीय निकाय ने स्व–राजस्व का पाँच प्रतिशत हिस्सा संचित निधि में जमा किया जबकि आठ चयनित नगरीय स्थानीय निकायों[32] ने आवश्यक ₹ 30.76 करोड़ (पाँच प्रतिशत) के विरूद्ध केवल ₹ 2.92 करोड़ **(परिशिष्ट 4.1.23)** जमा किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27.84 करोड़ कम जमा किये गये। इसमें दो नगरपालिक निगम, बिलासपुर (₹ 5.32 करोड़) और रायपुर (₹ 17.63 करोड़) शामिल हैं, जिन्होंने इस अवधि में कोई भी राशि संचित निधि में जमा नहीं की।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) की पर्याप्त राशि के अभाव में आवश्यक राशि संचित निधि में जमा नहीं की गई।

संचित निधि को बचत बैंक खातों में रखने से ₹ 47.05 लाख के ब्याज की हानि

नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 93 और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 108(3) के अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय, नगरपालिका निधि के किसी भी हिस्से का निवेश राज्य शासन की समय–समय पर पूर्व अनुमति से भारत सरकार की प्रतिभूतियों में या बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट्स सहित ऐसे अन्य प्रतिभूतियों में कर सकते हैं, जो कि राज्य शासन द्वारा अनुमोदित हो। प्रतिभूतियों एवं उसी की बिक्री से प्राप्त आय को नगरपालिका निधि में जमा किया जायेगा।

नगरीय स्थनीय निकायों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया है कि राज्य शासन ने संचित निधि की राशि के निवेश के लिये कोई निवेश रणनीति तैयार नहीं की। ऋण निधि, विकास निधि, सरकारी प्रतिभूतियां, फिक्सड डिपॉजिट्स इत्यादि में निवेश राशि के आवंटन का प्रतिशत भी निर्धारित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप संचित निधि को 2011–16 के दौरान बैंक के बचत खाते में रखा गया था। यदि शासन की अनुमति से राशि को बचत बैंक खाते के बदले एफ.डी./आटोस्वीप खाते में रखा गया होता तो ₹ 47.05 लाख **(परिशिष्ट 4.1.24)** के अतिरिक्त ब्याज की आय हुई होती। इस प्रकार आपात स्थिति के लिए बफर के रूप में संधारण सुनिश्चित करते हुए कोष के विवेकपूर्ण निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु संचित निधि का समुचित प्रबंधन नहीं किया गया।

---

32 नगरपालिक निगम – बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर तथा नगरपालिका परिषद – कुम्हारी, खैरागढ़, रतनपुर एवं सरायपाली

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा कि (जनवरी 2017) निर्देश पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं और प्रकरण संज्ञान में लिया जाएगा।

संचित निधि से ₹ 25.67 लाख का अनियमित व्यय

संचित निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, उसमें से व्यय करने के लिय राज्य शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए संचित निधि से नगर पालिका परिषद, बागबहरा ने सितंबर 2011 से मार्च 2012 तक ₹ 13.99 लाख नगर पंचायत टुण्डरा ने अगस्त 2011 से फरवरी 2013 तक ₹ 11.56 लाख और नगरपालिका परिषद तखतपुर ने ₹ 12000 हजार खर्च किए। इनमें से किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय ने व्यय करने से पूर्व राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं की, जो कि अनियमित है।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि प्रकरण की जाँच की जाएगी और उचित कार्यवाही की जाएगी।

4.1.11 अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण

4.1.11.1 ₹ 3.85 लाख का गबन

नगर पंचायत, पलारी में एक सहायक राजस्व निरीक्षक (ए.आर.आई.) ने रसीद पुस्तिका में हेरफेर करते हुए ₹ 3.25 लाख गबन किया (2012–14) जबकि नगरपालिका परिषद तखतपुर में एक ए.आर.आई. सुरक्षा जमा और निविदा फार्म की बिक्री से प्राप्त राशि ₹ 0.60 लाख (2013–14) नगरपालिका निधि में जमा नहीं किया। हालांकि नगरीय स्थानीय निकायों इन प्रकरणों का पता नहीं लगा सके क्योंकि इस तरह के प्रकरणों को रोकने के लिए समय पर हस्तक्षेप के लिए कोई भी नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। आगे, सहायक राजस्व निरिक्षकों को निलंबित कर दिया गया था तथा नगर पंचायत पलारी के संबंधित सहायक राजस्व निरीक्षक से ₹ 3.25 लाख वसूल किया गया, जबकि नगरपालिका परिषद तखतपुर द्वारा सहायक राजस्व निरीक्षक से ₹ 0.60 लाख की वसूली नहीं की गई (फरवरी 2017)। इस प्रकार शासन द्वारा एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने में विफल होने के कारण शासकीय धन का गबन हुआ।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि मामले की जाँच की जाएगी और स्थिति से शीघ्र अवगत कराया जाएगा।

4.1.11.2 अभिलेखों का अनुचित रखरखाव

अभिलेखों का उचित रख–रखाव, प्रबंधन अंतदृष्टि को सुविधाजनक बनाता है और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण के लिए एक नींव रखता है। हालांकि, आधारभूत अभिलेखों के संधारण की अनुपस्थिति में प्रबंधन अंतदृष्टि और नियंत्रण उपयों में क्षीण थे जैसे की नीचे उल्लेखित है:

माँग और संग्रह पंजी

छत्तीसगढ़ नगरपालिका लेखा नियम 1971 की धारा 41 के अनुसार, माँग और संग्रह पंजी प्रपत्र 29 में तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्ष के अंत में खातों को सावधानीपूर्वक मिलान और बंद किया जाएगा, प्रगतिशील योग को, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर ले जाया जाएगा तथा महायोग का मिलान प्रविष्टि करने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

चयनित नगरीय स्थानीय निकाय की जाँच में देखा गया कि किसी ने भी माँग पंजी का निर्धारित प्रारूप में संधारण नहीं किया। उन में खाली पृष्ठ थे, सफेदा का प्रयोग करते हुए सुधार किया गया था, साल के अंत में प्रविष्टियाँ बंद नहीं की गई थी एवं

अभिलेखों को संधारित करने वाले के अलावा किसी अन्य उच्च अधिकारी/व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं लिए गये।

ऋण पंजी

छत्तीसगढ़ नगरपालिका लेखा नियम 1971 की धारा 125 के अनुसार, किसी भी अनुबंधित ऋण से संबंधित लेनदेन को प्रपत्र संख्या 83 में दर्ज किया जाएगा।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों की जाँच में देखा गया कि किसी ने भी ऋण पंजी संधारित नहीं की थी। इसलिये नगरीय स्थानीय निकाय शासन से प्राप्त ऋणों के विरूद्ध मूलधन और ब्याज की अदायगी का अनुश्रवण करने की स्थिति में नहीं थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित नगरीय स्थानीय निकायों ने ऋण के पुनर्भुगतान (ब्याज सहित) पर ₹ 89.72 करोड़ का व्यय किया जबकि ₹ 125.49 करोड़ के बकाया ऋण का भुगतान किया जाना शेष था जिस पर चर्चा कंडिका 4.1.10.1 में की जा चुकी है। यद्यपि, ऋण अंश पर ब्याज के पुनर्भुगतान की सत्यता सत्यापित नहीं की जा सकती क्योंकि संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों में ऋण के बकाया मूलधन भाग के प्रमाण अनुपलब्ध है।

परिसंपत्ति पंजी

नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 83 के साथ छत्तीसगढ़ नगरपालिका लेखा नियम 1971 के नियम 172 के अनुसार, नगरीय निकायों की अचल संपत्तियों की सूची परिषद द्वारा फार्म 102 और 103 में, एक पंजी में संधारित की जाएगी।

अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उक्त पंजियों को संधारण नहीं किया गया। इससे नगरीय स्थानीय निकायों को अपने परिसंपत्तियों पर नजर रखने और दिए गए वर्ष में अपनी संपत्तियों के पट्टे/किराए से प्राप्त होने वाले कुल राजस्व की सत्यता पता लगाने से रोका। इसके अतिरिक्त, इससे निकाय संपत्तियों की सुरक्षा को जोखिम में डाला।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि इस संबंध में उचित निर्देश दिये जायेगें। शासन ने आगे कहा कि संपत्ति पंजी की तैयारी ई–गवर्नेंस सॉफ्टवेयर में प्रगति पर है।

4.1.11.3 म्यूचुअल फंड में अनियमित निवेश

नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 93 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय नगरपालिका निधि के किसी भी हिस्से का निवेश राज्य शासन की समय–समय पर पूर्व अनुमति से भारत सरकार की प्रतिभूतियों में या बैंकों में फिक्सड डिपॉजिट्स सहित ऐसे अन्य प्रतिभूतियों में कर सकते हैं, जो कि राज्य शासन द्वारा अनुमोदित हो। प्रतिभूतियों एवं उसी की बिक्री से प्राप्त आय को नगरपालिका निधि में जमा किया जायेगा।

जांच में पाया गया कि राज्य शासन से अनुमोदन लिए बिना आयुक्त, नगरपालिक निगम, चिरमिरी ने यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के विविध लाभ योजना (विकास योजना) म्यूचुअल फंड में ₹ दो करोड़ का निवेश (मई 2010) किया। नगरपालिक निगम चिरमिरी ने फंड फरवरी 2012 में से विनिवेश (दो करोड़) किया तथा निवेश पर प्रतिफल (पूंजी सहित) ₹ 2.14 करोड़ नगरपालिका खाते में जमा किया।

लेखापरीक्षा ने पाया की ₹ दो करोड़ की राशि ने समान अवधि में अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट करने पर ₹ 20 लाख का प्रतिफल उत्पन्न किया होता। इसके परिणामस्वरूप नगरीय स्थानीय निकाय को अधिशेष निधि के निवेश के लिए एक स्थापित निति के अभाव में ₹ 6.14 लाख की ब्याज हानि हुई।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि भविष्य में ऐसे प्रकरणों को हतोत्साहित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे।

4.1.11.4 लेखा व्यवस्था

छत्तीसगढ़ नगरपालिका लेखा पुस्तिका (सी.जी.एम.ए.एम.) नगरपालिक निगमों के लिए सभी वित्तीय प्रकरणों और प्रक्रियाओं के रखरखाव के लिए अधिदेश देता है। इसके अतिरिक्त, ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के परामर्श से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिक पारदर्शिता और वित्त पर नियंत्रण के लिए नगरीय स्थानीय निकायों में द्वि–प्रविष्टी प्रणाली के साथ राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा पुस्तिका (एन.एम.ए.एम.) बनाई।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों की जाँच में पाया गया कि किसी भी नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों ने अपने खातों को द्वि–प्रविष्टी लेखा प्रणाली (डी.ई.ए.एस.) में नहीं बनाया जबकि सभी चार चयनित नगरपालिक निगमों ने अपने खाते को टैली सॉफ्टवेयर में तैयार किया। जबकि नगरपालिक निगम बिलासपुर ने अपने बैंलेंस शीट, आय और व्यय का पत्रक 2011–12 तक ही तैयार किये, नगरपालिक निगम दुर्ग ने 2011–16 के दौरान अपनी बैलेंस शीट तैयार नहीं की। नगरपालिक निगम रायपुर और जगदलपुर ने 2011–16 की अवधि के लिए अपनी बैलेंस शीट, आय और व्यय पत्रक के विवरण उपलब्ध नहीं कराये।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2017) कि इस प्रकरण पर पहले से ही कार्यवाही चल रही है और मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

4.1.12 निष्कर्ष

नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निधियों का प्रबंधन कुशल नहीं था क्योंकि चयनित 20 में से 17 नगरीय स्थानीय निकाय अपने व्ययों को स्व–राजस्व से पूरा नहीं कर सके। इनमें से 13 नगरीय स्थानीय निकाय अपने वेतन और मजदूरी को भी पूरा नहीं कर सके क्योंकि इन नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व प्राप्त करने की लागत धारणीय नहीं है (₹ 1.56 की लागत से ₹ एक प्राप्त हुआ)। परिणामस्वरूप, इन नगरीय स्थानीय निकायों को अपने व्यय और अनिवार्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए राज्य शासन से प्रदायित किए गए राजस्व एवं अनुदान पर निर्भर रहना पड़ा।

15 नगरीय स्थानीय निकायों ने संपत्ति कर के अंर्तगत नगरीय स्थानीय निकायों में स्थित 23 प्रतिशत संपत्तियों को शामिल नहीं किया जिससे 2011–16 के दौरान उन्हें ₹ 13.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, चयनित नगरीय स्थानीय निकाय, जल कर, संपत्ति कर, समेकित कर, विज्ञापन कर, दुकानों का प्रीमियम और किराया और एकीकृत आवास एवं विकास परियोजना के हितग्राहियों योगदान के रूप में ₹ 79.84 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं कर सके। इस प्रकार संग्रहण व्यवस्था का प्रबंधन दोषपूर्ण था।

चार नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ₹ 125.49 करोड़ के ऋण (ब्याज सहित) नहीं चुकाए गए थे, जबकि 15 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बिजली बिल, भविष्य निधि, श्रम कल्याण उपकर, रॉयल्टी और जल प्रभारों के कारण ₹ 29.34 करोड़ के दायित्वों को चुकता नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, आठ नगरीय स्थानीय निकायों ने अनिवार्य होने के पश्चात् भी ₹ 27.84 करोड़ की राशि संचित निधि में जमा नहीं की।

चयनित नगरीय स्थानीय निकाय अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए निधियों का उपयोग प्रभावी ढ़ंग से नहीं कर सके क्योंकि ₹ 1.36 करोड़ के अधिक भुगतान, ₹ 2.78 करोड़ के परिहार्य भुगतान, और ₹ 3.59 करोड़ के असमायोजित अस्थायी अग्रिम जैसे प्रकरण पाये गये ।

4.1.13 अनुशंसाएं

विभाग को शासन की सहायता पर निर्भरता को कम करने के लिए द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, नगरीय स्थानीय निकाय के अपने राजस्व संसाधनों में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व विनियामक आयोग स्थापना की जानी चाहिए।

नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग द्वारा किया गया भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) सर्वेक्षण एवं जी.आई.एस. द्वारा समर्थित संपत्ति कर व्यवस्था का प्रयोग सभी घरों को संपत्ति कर के दायरे में शामिल करते हुए संपत्ति कर की मांग बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। जब तक इस तरह की व्यवस्था की स्थापना नहीं हो जाती, समेकित कर को संपत्ति कर के दायरे से बाहर के घरों से ₹ 300 की न्यूनतम दर से एकत्रित किया जाना चाहिए जैसे कि नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग द्वारा अधिसुचित किया गया है ।

मानव संसाधनों पर अत्याधिक निर्भरता को कम करने हेतु बकाया राशि के संग्रहण के लिए बेहतर उपायों जैसे कि ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी बकाया राशि एकत्र करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा शासन को पट्टेदार/किरायेदार से अनुबंध में अनिवार्य कर देनदारियों के भुगतान के लिये उपयुक्त उपबन्ध शामिल किया जाना चाहिए।

कोष संबंधी प्रावधानों का पालन करते हुए निधियों का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं निधियों के दुरूपयोग में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

अपर्याप्त संसाधनों वाले नगरीय स्थानीय निकायों पर ब्याज का भार कम करने के लिए, दायित्वों और ऋणों का पुनर्भुगतान के लिए रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए।

अध्याय V

अनुपालन लेखापरीक्षा

(नगरीय स्थानीय निकायों)

अध्याय V

अनुपालन लेखापरीक्षा

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

5.1 नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी से बचाता है, बल्कि अच्छे वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में मदद भी करता है। नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किये जाने के लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं।

5.1.1 निष्फल व्यय

दुकानों के निर्माण कार्य पूर्ण करने में 11 वर्षों से अधिक समय में विफल होने के परिणामस्वरूप निरूपयोगी दुकानों पर ₹ 40.81 लाख का निष्फल व्यय के अतिरिक्त दुकानों के आवंटियों से ₹ 1.12 करोड़ के राजस्व वसूली में विफलता

लघु एवं मध्यम नगरों की अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत जी.ई. रोड स्थित 72 व्यावसायिक दुकानों के निर्माण हेतु कार्यपालन अभियंता, नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा ₹ 95.60 लाख की तकनीकी स्वीकृति (फरवरी 2004) दिया गया था। दुकानों को निर्मित कर नीलामी के आधार पर अधिकतम ऑफर मूल्य वाले बोलीकर्ता को आवंटित किया जाना था। नगरपालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 1994 तथा निविदा दस्तावेज के शर्तों के अनुसार उच्चतम बोलीकर्ता के ऑफर मूल्य की स्वीकृति की सूचना दिनांक से सात दिनों के अन्दर ऑफर मूल्य (दुकान प्रीमियम) का 25 प्रतिशत एवं शेष राशि 30 दिनों के अन्दर जमा करेगा एवं विफल होने पर आवंटन को रद्द कर दिया जायेगा।

मुख्य नगरपालिक अधिकारी (सी.एम.ओ.), नगरपालिक परिषद कुम्हारी (एम.सी.के.) के अभिलेखों की समीक्षा (मार्च 2016) में पाया गया कि कार्य को चार ब्लाकों में विभक्त किया गया था एवं छः माह के अन्दर कार्य को पूर्ण करने हेतु एक ठेकेदार के साथ चार अनुबंध निष्पादित (जून 2005) किया गया था। दुकानों के प्लिंथ की ऊँचाई में वृद्धि होने के कारण प्राक्कलन को संशोधित (अक्टूबर 2006) कर राशि ₹ 1.33 करोड़ किया गया। कार्य की लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप चार में से तीन ब्लॉक, जिसमें 51 दुकानें शामिल थे, का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया जबकि चौथे ब्लॉक का निर्माण तीनों ब्लॉकों की नीलामी से प्राप्त होने वाली प्रीमियम राशि से किया जाना था। यद्यपि, मई 2009 तक ₹ 83.26 लाख व्यय करने के बावजूद भी तीनों ब्लॉकों का निर्माण पूर्ण नहीं किया जा सका।

इस दौरान एम.सी.के. द्वारा बिना कार्य पूर्ण होना सुनिश्चित किये मई 2007 से जून 2011 के मध्य आठ[1] दुकानों एवं मार्च 2014 में 18 दुकानों का नीलामी किया गया। 26 नीलाम किये गये दुकानों के आवंटियों से ₹ 1.53 करोड़ का ऑफर मूल्य (प्रीमियम) जमा किया जाना था, तथापि फरवरी 2017 तक उनके द्वारा केवल ₹ 41.50 लाख जमा किया गया जबकि शेष प्रीमियम मूल्य ₹ 1.12 करोड़ वसूल नहीं किया जा सका। यद्यपि एम.सी.के. द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करवाने अथवा आवंटन को रद्द करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि शेष 25 दुकानों के लिए कोई बोलीकर्ता नहीं था, जिसका निर्माण कार्य अपूर्ण था। एम.सी.के. के कर्मचारियों के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा निर्माण कार्यस्थल का एक संयुक्त भौतिक सत्यापन (अगस्त 2016) में पुष्टि हुआ कि निधि की उपलब्धता होने के बावजूद मूल प्राक्कलन में शामिल फ्लोरिंग, शटरींग एवं विद्युतीकरण का कार्य इन दुकानों में नहीं किया गया था।

कुम्हारी में अपूर्ण एवं निरूपयोगी दुकानों को दर्शाने वाला छायाचित्र

अतः, 25 निरूपयोगी दुकानों, जिनको नीलामी द्वारा आवंटन नहीं किया जा सका, पर व्यय ₹ 40.81 लाख निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त 26 दुकानों के आवंटियों से प्रीमियम राशि ₹ 1.12 करोड़ वसूल करने में विफल होने के कारण दुकानदारों को अनुचित लाभ दिया गया।

विभाग (फरवरी 2017) ने कहा कि अपूर्ण दुकानों के शेष कार्यों को, प्राप्त होने वाली प्रीमियम राशि से पूर्ण किया जायेगा।

तथ्य यथावत है कि निधि की उपलब्धता होने के बावजूद दुकानों का निर्माण कार्य मई 2009 से अपूर्ण रहा।

[1] दुकान आवंटन (2007 में चार, 2009 में तीन एवं 2011 में एक)

5.1.2 दुकानदारों को अनुचित लाभ एवं राजस्व की हानि

नगरपालिक निगम रायगढ़ के निष्क्रियता के परिणामस्वरूप जनवरी 2013 से फरवरी 2017 के दौरान राशि ₹ 23.49 लाख किराया वसूल न किये जाने के अतिरिक्त दुकानदारों को ₹ 85.32 लाख का अनुचित लाभ

निगम क्षेत्र से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य हेतु नगरपालिक निगमें व्यावसायिक उद्देश्य से दुकानों का निर्माण करती हैं तथा उसे उपयोगकर्ताओं को किराये पर देती हैं। नगरपालिक निगम (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 1994 एवं दुकानों के आवंटन के लिए निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार, उच्चतम बोलीकर्ता के ऑफर मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के अंदर ऑफर मूल्य (दुकान प्रीमियम) का 25 प्रतिशत राशि जमा करेगा एवं शेष राशि 30 दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। मांग राशि को निर्धारित समय में जमा करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। बोलीकर्ता से ऑफर मूल्य का प्रारम्भिक 25 प्रतिशत प्राप्त करने के बाद आयुक्त द्वारा निविदा एवं सम्पत्ति के संबंध में अपेक्षित जानकारी के साथ अनुमोदन हेतु शासन को प्रस्ताव भेजेगा।

नगरपालिक निगम रायगढ़ (एम.सी.आर.) के अभिलेखों के जांच (जुलाई 2015) में यह विदित हुआ कि 13 व्यावसायिक दुकानों को किराये पर देने का निर्णय (जुलाई 2012) किया गया लेकिन यू.ए.डी.डी. (अगस्त 2014) ने लीज डीड तत्काल निष्पादित करने के शर्त के साथ केवल 12 दुकानों के प्रस्ताव को अनुमोदित (अगस्त 2014) किया। यद्यपि, 11 दुकानदारों के साथ कोई लीज डीड निष्पादित नहीं किया गया। 12 दुकानों में से 11 दुकानदारों द्वारा सम्पूर्ण दुकान प्रीमियम जमा किया गया, जबकि शेष दुकानदार से ₹ 1.30 लाख वसूली नहीं किया जा सका। यह भी पाया गया कि सभी 12 दुकानें अगस्त 2013 से यू.ए.डी.डी. के अनुमोदन के पूर्व से ही कब्जा कर लिया गया था, लेकिन केवल सात दुकानदारों द्वारा मासिक किराया जमा किया जा रहा था जबकि फरवरी 2017 की स्थिति में पाँच दोषी दुकानदारों से कुल ₹ 1.68 लाख किराया वसूल नहीं किया जा सका था **(परिशिष्ट 5.1.1)**।

उसी प्रकार, 2012–13 के दौरान एम.सी.आर. द्वारा 89 व्यावसायिक दुकानों के लिए दुकान प्रीमियम के रूप में कुल ₹ 1.92 करोड़ के ऑफर मूल्य के साथ आवंटन का निर्णय लिया गया था। यद्यपि, जुलाई 2016 तक यू.ए.डी.डी. के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव नहीं भेजा गया। इस दौरान, एम.सी.आर. ने बिना यू.ए.डी.डी. के अनुमोदन के (जनवरी 2013 से फरवरी 2014) दुकानों को कब्जा करने के लिए आवंटियों को अनुमति दे दिया। यह पाया गया कि 89 दुकानदारों में से 17 ने ₹ 42.73 लाख का सम्पूर्ण दुकान प्रीमियम जमा किया, जबकि 72 दुकानदारों ने ₹ 65.51 लाख का आंशिक दुकान प्रीमियम जमा किया। अतः, फरवरी 2017 की स्थिति में राशि ₹ 84.02 लाख **(परिशिष्ट 5.1.1)** का दुकान प्रीमियम वसूल किया जाना शेष था। आगे, 87 दुकानदारों से दुकानों का किराया राशि ₹ 21.81 लाख **(परिशिष्ट 5.1.1)** वसूल नहीं हो सका क्योंकि दुकानदारों के साथ कोई लीज डीड हस्ताक्षर नहीं हुए थे।

अतः, एम.सी.आर. द्वारा 73 दुकानदारों से दुकान प्रीमियम राशि ₹ 85.32 लाख के अतिरिक्त, 92 दुकानदारों से किराया राशि ₹ 23.49 लाख वसूल नहीं किया जा सका जिसका कारण दुकानों के आवंटियों के साथ लीज डीड निष्पादित करने में विफल होना था।

विभाग ने कहा (फरवरी 2017) कि किराया एवं प्रीमियम की वसूली प्रगति पर है तथा दोषी दुकानदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। दोषी दुकानदारों के विरूद्ध दुकानों को रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ किया जायेगा। तथ्य यथावत रहा कि दुकानों के कब्जा होने के तीन से चार वर्षों के व्यतीत हो जाने के बाद भी दुकानदारों से प्रीमियम राशि पूर्ण रूप से वसूल नहीं किया जा सका।

5.1.3 ई.पी.एफ. अधिनियम के पालन में विफलता

ई.पी.एफ. अधिनियम 1952 के पालन में विफलता के परिणामस्वरूप नगरपालिक निगम बिलासपुर को ₹ 71.48 लाख की हानि तथा नगरपालिक परिषद जशपुर को ₹ 40.08 लाख की देयता

कर्मचारी भविष्य निधि योजना यह परिकल्पित करता है कि प्रत्येक कर्मचारी, वैसे संस्थान में नियोजित जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 (ई.पी.एफ. अधिनियम 1952) अंतर्गत अधीन हो, भविष्य निधि का हकदार होगा एवं सदस्य तथा अभिदाता बनेगा। इस योजना के अंतर्गत नगरपालिक परिषद एवं नगरपालिक निगम भी आता है।

अधिनियम के अनुसार दिसम्बर 2014 तक नियोक्ता द्वारा देय अंशदान कर्मचारी के मूल वेतन, महंगाई भत्ता एवं रिटेनिंग अलाउंस (यदि कोई हो) का 13.61 प्रतिशत एवं जनवरी 2015 से 13.36 प्रतिशत होगा, जबकि कर्मचारी अंशदान उपरोक्त का 12 प्रतिशत होगा।

मुख्य नगरपालिक अधिकारी (सी.एम.ओ.), नगरपालिक परिषद जशपुर (एम.सी.जे.) के अभिलेखों के जांच (नवम्बर 2015) से विदित हुआ कि सी.एम.ओ. ने एम.सी.जे. में विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिकों के आपूर्ति का कार्य एक ठेकेदार को प्रदाय (जुलाई 2012) किया। यद्यपि सी.एम.ओ. ने ई.पी.एफ. योजना हेतु कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान के रूप में ₹ 40.08 लाख **(परिशिष्ट 5.1.2)** की कटौती नहीं किया था जबकि अगस्त 2012 से सितम्बर 2015 के दौरान ₹ 1.92 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को किया गया। आगे, सी.एम.ओ. ने ठेकेदार द्वारा ई.पी.एफ. अधिनियम 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संस्था (ई.पी.एफ.ओ.) में अपेक्षित राशि के भुगतान किये जाने को भी सत्यापित नहीं किया था।

उसी प्रकार, आयुक्त, नगरपालिक निगम, बिलासपुर (एम.सी.बी.) ने दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए दैनिक मजदूरी पर कर्मचारियों को नियुक्त किया लेकिन ई.पी.एफ. योजना के लिए कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान कटौती नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप ई.पी.एफ.ओ. ने ई.पी.एफ. अंशदान के रूप में ₹ 1.53 करोड़ वसूल (सितम्बर–अक्टूबर 2014) किया। इसमें कर्मचारी का अंशदान ₹ 71.48 लाख शामिल था जो एम.सी.बी. के लिए हानि साबित हुआ क्योंकि यह राशि पहले ही वेतन के रूप में कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका था।

अतः, ई.पी.एफ. अधिनियम को पालन करते हुए ई.पी.एफ. अंशदान की कटौती में विफलता के परिणामस्वरूप एम.सी.बी. को ₹ 71.48 लाख की हानि एवं एम.सी.जे. को ₹ 40.08 लाख की देयता है।

विभाग ने बताया (फरवरी 2017) कि नगरीय स्थानीय निकायों में ई.पी.एफ. अधिनियम के लागू होने की पूर्ण जानकारी के अभाव के कारण एम.सी.बी. द्वारा ई.पी.एफ. अंशदान का कटौती नहीं किया गया था। जवाब युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि बिना ई.पी.एफ. अंशदान कटौती के वेतन तथा मजदूरी का भुगतान के लिए नियम की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। आगे, एम.सी.जे. के अधिनियम प्रावधान के पालन में विफलता के लिए कोई जवाब नहीं दिया गया।

रायपुर **(बिजय कुमार मोहन्ती)**
दिनांक **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1.1

(संदर्भित कंडिका 2.1.2; पृष्ठ 17)

बजट आवंटन और व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्रारंभिक शेष (लेखापरीक्षा के अनुसार)	प्राप्ति	कुल अनुदान	भुगतान	अंतिम शेष	बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
मनरेगा							
2011–12	7.21	7.21	193.84	201.05	111.17	89.88	44.71
2012–13	8.78	89.88	244.93	334.81	164.03	170.78	51.01
2013–14	11.44	170.78	124.23	295.01	146.25	148.76	50.43
2014–15	0.14	148.76	23.52	172.28	29.05	143.23	83.14
2015–16	3.13	143.23	31.37	174.60	102.61	71.99	41.23
योग			**617.89**		**553.11**		
छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना							
2011–12	10.18	10.18	7.87	18.05	0.78	17.27	95.68
2012–13	13.33	17.27	2.38	19.65	0.81	18.84	95.88
2013–14	5.91	18.84	5.99	24.83	3.27	21.56	86.83
2014–15	6.89	21.56	0	21.56	0	21.56	0
2015–16	0	21.56	0	21.56	0	21.56	0
योग			**16.24**		**4.86**		
बी.आर.जी.एफ.							
2011–12	15.57	15.57	28.10	43.67	22.53	21.14	48.41
2012–13	21.14	21.14	28.10	49.38	24.74	24.64	49.90
2013–14	24.64	24.64	0	24.64	25.51	–0.87	0
2014–15	–0.86	–0.87	18.72	17.85	14.05	3.80	21.28
2015–16	3.80	3.80	0.00	0.00	2.48	1.32	0
योग			**74.92**		**89.31**		

परिशिष्ट 2.1.2

(संदर्भित कंडिका 2.1.2.1; पृष्ठ 18)

बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

जिला पंचायत का बजट

वर्ष	पी.आर.डी. को प्रस्तुत करने की नियत तिथि	पी.आर.डी. को प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिन में)	पी.आर.डी. द्वारा अनुमोदन
2011–12	31/01/11	14/10/11	255	––
2012–13	31/01/12	14/03/12	55	04/07/12
2013–14	31/01/13	23/07/14	41	29/07/13
2014–15	31/01/14	23/07/14	173	19/08/14
2015–16	31/01/15	13/05/15	101	27/05/15

जनपद पंचायत का बजट

क्र. सं.	जनपद पंचायत का नाम	वर्ष	जिला पंचायत को प्रस्तुत करने की नियत तिथि	जनपद पंचायत का अनुमोदन तिथि	विलम्ब दिनो में
1	सीतापुर	2011–12	10/02/11	30/08/11	202
		2013–14	10/02/13	17/04/13	65
		2015–16	10/02/15	31/05/15	111
2	मैनपाट	जनपद पंचायत मैनपाट द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया			
3	बतौली	2012–13	10/02/13	08/03/13	25
		2015–16	10/02/15	10/06/15	121
4	लखनपुर	2011–12	10/02/11	01/04/11	51
		2012–13	10/02/12	27/02/12	16
		2013–14	10/02/13	22/03/13	41
		2014–15	10/02/14	21/02/14	10
		2015–16	10/02/15	31/03/15	50
5	उदयपुर	2015–16	10/02/15	23/05/15	103

परिशिष्ट 2.1.3

(संदर्भित कंडिका 2.1.2.1; पृष्ठ 18)

जनपद पंचायत के बजट अनुमान को शामिल किये बिना ही जिला पंचायत के बजट अनुमान को अंतिम रूप दिये जाने का विवरण

वर्ष	जनपद पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का अनुमोदन तिथि	जिला पंचायत का अनुमोदन तिथि
2011–12	लखनपुर	01/04/11	14/10/11
2013–14	सीतापुर	17/04/13	14/03/13
	लखनपुर	22/03/13	14/03/13
2015–16	सीतापुर	31/05/15	13/05/15
	बतौली	10/06/15	13/05/15
	उदयपुर	23/05/15	13/05/15

परिशिष्ट 2.1.4

(संदर्भित कंडिका 2.1.2.1; पृष्ठ 18)

बकाया अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	कर्मचारियो के नाम (श्री / श्रीमतीं)	पदनाम	दिनांक / प्रमाणक संख्या	अग्रिम राशि	शेष राशि	अग्रिम का प्रयोजन
1	व्ही.एन.तिवारी	सहायक ग्रेड–2	04 / 07 / 06	2000	2000	यात्रा
2	राम प्रवेश सिंह	सहायक ग्रेड–3	08 / 04 / 15	20182	20182	यात्रा
3	मोहन लाल	भृत्य	17 / 02 / 14	4324	4324	यात्रा
4	राम जतन राम	भृत्य	जुलाई 10 से फरवरी 13	10300	10300	यात्रा
5	के.एल. करवड़िया	सहायक ग्रेड	19 / 01 / 09	29500	29500	यात्रा
6	सचिन कुमार मिश्रा	सहायक ग्रेड	18 / 05 / 07	16797	16797	यात्रा
7	ऋषि कुमार सिंह	सहायक ग्रेड	22 / 12 / 06	10510	10510	यात्रा
8	चमरू राम	भृत्य	15 / 02 / 16	20651	20651	यात्रा
9	करमू राम	भृत्य	29 / 02 / 16	19700	19700	यात्रा
10	जगमोहन दास	भृत्य	14 / 03 / 16	1000	1000	यात्रा
11	खिलावन राम	भृत्य	26 / 03 / 07	1000	1000	यात्रा
12	बबलूराम	भृत्य	23 / 05 / 09	500	500	यात्रा
13	आर.एल. श्रीवास्तव	सहायक ग्रेड–2	11 / 06 / 08	962	962	यात्रा
14	ललन प्रसाद	भृत्य	24 / 03 / 07	500	500	यात्रा
15	कार्तिक मण्डल	भृत्य	26 / 03 / 07	500	500	यात्रा
16	सुरेश सुमार ब्रम्हे	भृत्य	21 / 05 / 09	3938	3938	यात्रा
17	राम विशाल	भृत्य	02 / 04 / 12	2624	2624	यात्रा
18	सुश्री रीना बाबा कंगाले	..	04 / 05 / 09	235	235	यात्रा
19	सूरज देव सिंह	सहायक ग्रेड–3	30 / 06 / 15	2150	2150	यात्रा
20	प्रेमचंद लकरा	वाहन चालक	16 / 08 / 07	600	600	यात्रा
21	ओ.पी. शुक्ला	सहायक ग्रेड–2	02 / 06 / 08	758	758	यात्रा
22	शीतल राम	भृत्य	03 / 04 / 08	5800	5800	यात्रा
23	विनोद श्रीवास्तव	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	24 / 08 / 09	1400	1400	यात्रा
24	मुकेश सोनी	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	05 / 03 / 10	2100	2100	यात्रा
25	गणेश कुमार	भृत्य	08 / 03 / 10	700	700	यात्रा
26	अम्बिका प्रसाद शान्डिल्य	उपायुक्त	21 / 11 / 12	15000	15000	यात्रा
27	के.एल. गजपाल	सहायक लेखा अधिकारी	13 / 09 / 10	5	5	यात्रा
28	श्रीमती छाया करदेकर	सहायक ग्रेड–2	24 / 11 / 10	400	400	यात्रा
29	भाकुर चन्द्र	भृत्य	28 / 03 / 11	60	60	यात्रा
30	शोभित राम	भृत्य	21 / 03 / 16	5700	5700	यात्रा
31	परियोजना निर्देशक डीआरडीए सीतापुर	..	21 / 05 / 12	200000	200000	यात्रा
32	शिव व्यास	सहायक ग्रेड–2	17 / 08 / 12	1000	1000	यात्रा
33	एल.आर. बन्जारे	सहायक लेखा अधिकारी	01 / 09 / 12	4000	4000	यात्रा
34	छोटे लाल	भृत्य	05 / 03 / 16	1000	1000	यात्रा
35	गोपाल राम	भृत्य	22 / 03 / 16	7000	7000	यात्रा
36	उत्तम रतन कुजूर	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	27 / 08 / 15	1000	1000	यात्रा
37	अशोक तिवारी	सहायक ग्रेड–2	20 / 02 / 15	3000	3000	यात्रा
38	लाल साय राजवाडे	भृत्य	28 / 03 / 16	1000	1000	यात्रा
39	भुनेश्वर यादव	भृत्य	28 / 03 / 15	1000	1000	यात्रा
	योग				**398896**	

परिशिष्ट 2.1.5

(संदर्भित कंडिका 2.1.2.1; पृष्ठ 18)

सरपंचो से वसूली योग्य राशि को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जनपद पंचायत का नाम	अवधि	जारी की गई राशि		समायोजित राशि		बकाया राशि	
			व्यक्तियों की संख्या	राशि	व्यक्तियों की संख्या	राशि	व्यक्तियों की संख्या	राशि
1	सीतापुर	2010–11 से 2012–13	42	4938463	42	3639394	42	1299069
2	मैनपाट	2010–11 से 2012–13	238	31863026	238	8526341	238	23336685
3	बतौली	2010–11 से 2012–13	45	6580268	45	5111938	45	1468330
4	उदयपुर	2010–11 से 2012–13	13	4836282	13	723002	13	4113280
5	लखनपुर	2010–11 से 2012–13	6	1393642	6	855912	6	537730
	योग		**344**	**49611681**	**344**	**18856587**	**344**	**30755094**

परिशिष्ट 2.1.6

(संदर्भित कंडिका 2.1.3.3; पृष्ठ 22)

जलाशय लीज की बकाया ब्याज की वसूली को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला/जनपद पंचायत का नाम	जलाशय का नाम	वर्ष	मांग	नियत तिथि	जमा राशि	जमा करने की तिथि	विलम्ब माह में	ब्याज (@2.5 प्रतिशत)	शेष
1	जिला पंचायत अम्बिकापुर	बांकी जलाशय	07/2010 से 06/2011	43243	30/06/10	15000	10/01/11	7	2625	2625
				——	——	22000	22/02/11	8	4400	4400
			07/2011 से 06/2012	47567	30/06/11	22000	04/01/12	7	3850	3850
				——	——	18010	20/07/12	13	5853	5853
			07/2012 से 06/2013	47567	30/06/12	53000	22/07/14	25	33125	33125
			07/2013 से 06/2014	51891	30/06/13	20000	31/08/14	26	13000	13000
				——	——	40000	06/09/14	27	27000	27000
		कुंवरपुर जलाशय	07/2010 से 06/2011	65511	30/06/10	66000	25/01/11	7	11414	11414
			2011—12	71467	30/06/11	71500	13/07/12	13	23227	23227
			2012—13	71467	30/06/12	50000	07/04/14	23	28750	28750
			2013—14	77423	30/06/13	92368	25/09/14	16	36947	36947
2	जनपद पंचायत बतौली	घोघरा जलाशय	07/2012 से 06/2013	8345	30/06/12	8345	12/12/12	6	1254	1254
			07/2013 से 06/2014	9179	30/06/13	9180	24/09/13	3	690	690
			07/2014 से 06/2015	9179	30/06/14	9180	15/02/15	8	1840	1840
			07/2012 से 06/2016	10013	30/06/15	10002	02/11/15	5	1250	1250
3	जनपद लखनपुर	फुटा जलाशय	07/2013 से 06/2014	10762	30/06/13	10762	24/06/14	12	3228	3228
			07/2014 से 06/2015	10762	30/06/14	10762	09/06/15	12	3228	3228
		नरकालो जलाशय	07/2012 से 06/2013	13081	30/06/12	13000	08/08/13	14	4550	4550
			07/2012 से 06/2014	13081	30/06/13	13081	07/01/15	7	2289	2289
4	जनपद उदयपुर	रीखी रजबंधा जलाशय	07/2012 से 06/2013	8743	30/12/12	8743	22/01/16	43	9417	9417
			07/2012 से 06/2014	8743	30/06/13	8743	22/01/16	31	6789	6789
		खोडरी जलाशय	07/2012 से 06/2013	12497	30/06/12	12497	17/04/13	10	3120	3120
			07/2012 से 06/2014	12497	30/06/13	12497	20/01/16	31	9672	9672
	योग									**237518**

परिशिष्ट 2.1.7

(संदर्भित कंडिका 2.1.3.4; पृष्ठ 22)

मीटिंग हॉल का वसूली योग्य किराये को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	आवंटी के नाम	आवंटन दिनांक	अवधि (दिन)	प्रतिदिन का किराया	कुल वसूली योग्य राशि
1	सहायक आयुक्त, आदिवासी विभाग, अम्बिकापुर	03/05/11 से 04/05/11	2	3200	6400
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग	25/02/12	1	3200	3200
3	श्रीमती पल्लवी तिवारी, प्रधान मजिस्ट्रेट, अम्बिकापुर	17/03/12	1	3200	3200
4	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अम्बिकापुर	27/09/13	1	3200	3200
5	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई संख्या 1, अम्बिकापुर	22/08/14	1	3200	3200
6	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अम्बिकापुर	03/09/14 से 04/09/14	2	3200	6400
7	संयुक्त संचालक, कृषि संभाग	25/09/14	1	3200	3200
8	राज्य महिला आयोग, रायपुर	19/02/15	1	3200	3200
9	उप संचालक अभियोजन, अम्बिकापुर	15/02/15	1	3200	3200
10	सहायक आयुक्त, आदिवासी विभाग, अम्बिकापुर	21/08/15 एवं 28/08/15	2	3200	6400
11	जिला महिला एवं बाल विकास, अम्बिकापुर	19/08/15	1	3200	3200
12	सी.एस.ई.बी., अम्बिकापुर	05/10/15	1	3200	3200
13	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अम्बिकापुर	18/11/15 एवं 19/11/15	2	3200	6400
15	महिला एवं बाल विकास, अम्बिकापुर	04/02/15	1	3200	3200
16	जिला न्यायधीश, अम्बिकापुर	20/02/16	1	3200	3200
17	सह संचालक, कृषि, अम्बिकापुर	27/02/16	1	3200	3200
	योग				**64000**

परिशिष्ट 2.1.8

(संदर्भित कंडिका 2.1.4.1; पृष्ठ 23)

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष अंतर्गत कार्य के पूर्णता में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	प्रशासकीय अनुमोदन (₹ लाख में)	प्रशासकीय अनुमोदन का दिनांक	कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	विलम्ब माह में
1	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य	बेलजोरा	सीतापुर	5.00	28/06/11	31/03/12	22/03/12	05/09/15	41
2	सिलाई केन्द्र शेड निर्माण कार्य	बनिया	सीतापुर	10.00	24/06/13	31/03/14	04/10/13	28/02/15	11
3	कर्मशाला भवन के लिए कालीन निर्माण	देवगढ़	सीतापुर	10.00	27/12/13	31/03/14	01/04/15	15/03/16	23
4	जोड़ाबन्धवा नाला पर पुलिया निर्माण	केसरा	मैनपाट	5.85	20/04/12	31/03/13	11/09/12	15/12/13	8
5	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य	सरभंजा	मैनपाट	5.00	15/07/11	31/03/12	05/08/12	08/06/14	26
6	पतरापारा में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण	सरभंजा	मैनपाट	3.00	15/07/11	31/03/12	08/08/12	26/04/14	24
7	घुनूघर से गया घर तक पहुँच मार्ग पर पुलिया निर्माण	बिसरपानी	मैनपाट	7.00	19/08/13	31/03/14	13/01/14	06/11/14	7
8	आंगनबाड़ी भवन का निर्माण	रजखेता	मैनपाट	3.00	12/07/11	31/03/12	16/01/12	25/06/14	26
9	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य खड़गांव	खड़गांव	मैनपाट	5.00	15/07/11	31/03/12	06/09/11	01/08/13	16
10	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य लुरेना	लुरेना	मैनपाट	5.00	22/08/12	31/03/13	23/10/12	11/12/14	20
11	पटवारी आवास निर्माण	सरमना	बतौली	2.50	22/07/11	31/03/12	10/10/11	20/08/14	28
12	आरसीसी पुलिया निर्माण, बैगापारा	बांसझाल	बतौली	5.48	11/07/12	31/03/13	04/12/12	12/02/14	11
13	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य	तरागी	बतौली	5.00	22/08/12	31/03/13	18/10/12	29/02/16	35
14	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य	बिसुनपुर	बतौली	5.00	24/06/13	31/03/14	18/12/13	25/09/15	17
15	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य	चिरंगा	बतौली	5.00	24/06/13	31/03/14	03/01/14	25/12/15	20
16	आंगनबाड़ी भवन का निर्माण, कलेश्वरपारा	रामनगर	उदयपुर	3.00	28/06/11	31/03/12	03/07/11	26/07/16	50
17	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य	सोनतराई	उदयपुर	5.00	28/06/11	31/03/12	04/07/11	15/12/13	20

18	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य	पंडरीड़ाड	उदयपुर	10.76	08/09/13	31/03/14	08/09/13	25/03/15	11
19	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य	झिरमिटी	उदयपुर	5.00	24/06/13	31/03/14	14/07/13	06/02/15	10
20	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य	मरैया	उदयपुर	10.76	08/09/13	31/03/14	27/09/13	09/02/15	10
21	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य	फुलचुही	उदयपुर	10.76	08/09/13	31/03/14	30/09/13	25/09/15	17
22	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य	पंडराखी	उदयपुर	10.76	08/09/13	31/03/14	27/09/13	19/03/16	23
23	तुगंरी से बंचरपारा तक पहुँच मार्ग पर पुलिया निर्माण	तुगंरी	लखनपुर	6.00	28/06/11	31/03/12	19/01/12	12/12/12	8
24	आंगनबाड़ी भवन का निर्माण, खासपारा	सिगीटाना	लखनपुर	3.00	06/07/11	31/03/12	10/12/11	25/02/13	11
25	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य	बंगदरी	लखनपुर	5.00	18/06/12	31/03/13	03/08/12	15/09/14	17
26	धान खरीदी केन्द्र पर प्लेटफार्म निर्माण कार्य	लहपतरा	लखनपुर	8.58	21/12/12	31/03/13	04/03/13	08/11/13	7
27	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य, मुकुन्दपुर	मुकुन्दपुर	लखनपुर	5.00	24/06/13	31/03/14	05/02/14	18/05/16	25
28	सामुदायिक प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र	जमगला	लखनपुर	11.93	09/07/13	31/03/14	13/12/13	09/05/16	25
29	कठिया सटका नाला पर पुलिया निर्माण (तुमगा से पोड़ी पहुँच मार्ग)	पोडी	लखनपुर	15.00	20/01/13	31/03/14	28/02/14	30/06/14	3
30	पीएमजीएस रोड से बरगहापारा पहुँच मार्ग पर पुलिया निर्माण	कुसु	लखनपुर	8.00	24/12/13	31/03/14	06/01/14	19/12/14	8

परिशिष्ट 2.1.9

(संदर्भित कंडिका 2.1.4.1; पृष्ठ 23)

अपूर्ण कार्यो के कारण अवरूद्ध राशि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	प्रशासकीय अनुमोदन	ग्राम पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दिनांक	प्रशासकीय अनुमोदन दिनांक	ग्राम पंचायत को दी गई राशि	कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि	कार्य शुरू करने की तिथि	विलम्ब माह मे (जून 2016 तक)
1	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण	2011–12	5.00	बटाईकेला	बतौली	11/06/11	28/06/11	2.50	31/03/12	15/09/11	56
2	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भवन निर्माण	2011–12	3.00	बटाईकेला	बतौली	11/06/11	28/06/11	0.00	31/03/12	15/07/11	56
3	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण	2013–14	10.76	चाकेरी	उदयपुर	14/08/13	08/09/13	6.50	31/03/14	28/09/13	32
4	उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण	2013–14	10.76	लबजी	लखनपुर	04/10/13	08/09/13	6.34	31/03/14	06/01/14	32
	योग		**29.52**					**15.34**			

परिशिष्ट 2.1.10

(संदर्भित कंडिका 2.1.4.2; पृष्ठ 24)

मनरेगा में अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अतिरिक्त अन्य कार्यों का विवरण

क्र. सं.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्यों की संख्या	किये गये कुल कार्यों की संख्या	किये गये अन्य कार्य
1	मैनपाट	कतकालो	2011–12	6	0	10
			2012–13	7	0	4
			2013–14	7	2	8
			2014–15	7	0	0
			2015–16	27	7	10
		रोपाखार	2011–12	6	0	0
			2012–13	6	1	2
			2013–14	7	0	2
			2014–15	7	0	0
			2015–16	17	0	14
2	बतौली	सरमना	2011–12	0	0	0
			2012–13	4	0	0
			2013–14	16	0	0
			2014–15	0	0	0
			2015–16	12	2	0
		बतौली	2011–12	0	0	0
			2012–13	4	0	1
			2013–14	2	0	2
			2014–15	0	0	0
			2015–16	9	0	3
3	लखनपुर	अमदला	2011–12	35	6	6
			2012–13	25	3	0
			2013–14	26	9	0
			2014–15	58	0	3
			2015–16	33	16	0
		चोड़िया	2011–12	34	7	14
			2012–13	114	4	17
			2013–14	54	0	12
			2014–15	42	0	0
			2015–16	23	16	0
योग				**588**	**73**	**108**

परिशिष्ट 2.1.11

(संदर्भित कंडिका 2.1.4.2; पृष्ठ 25)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में विलम्ब का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	मस्टर रोल संख्या	कार्य का दिनांक	निर्धारित अवधि	भुगतान की तिथि	भुगतान राशि	विलम्ब दिनों में
1	मेन रोड से छुहीनाला तक 780 मीटर मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	चिड़ापारा	मैनपाट	4385201 से 4385213	09/01/12 से 14/01/12	15 दिन	10/04/12	127612	72
2	मेन रोड से छुहीनाला तक 780 मीटर मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	चिड़ापारा	मैनपाट	4385214 से 4385223	30/01/12 से 11/02/12	15 दिन	31/03/13	103822	32
3	मेन रोड से छुहीनाला तक 780 मीटर मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	चिड़ापारा	मैनपाट		04/03/13 से 10/03/13	15 दिन	31/03/13		5
4	मेन रोड से छुहीनाला तक 780 मीटर मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	चिड़ापारा	मैनपाट	4385224 से 4385228	12/03/12 से 31/03/12	15 दिन	17/04/12	173078	1
5	मेन रोड से छुहीनाला तक 780 मीटर मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	चिड़ापारा	मैनपाट	2744 से 2746	26/05/14 से 01/06/14	15 दिन	28/06/14		11
6	ढकनपारा स्कूल से विरेन्द्र घर तक मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	कतकालो	मैनपाट	4852 से 4864	07/12/15 से 13/12/15	15 दिन	06/02/16	46269	36
7	ढकनपारा स्कूल से विरेन्द्र घर तक मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	कतकालो	मैनपाट	5245 से 5254	14/12/15 से 20/12/15	15 दिन	06/02/16	65190	32
8	ढकनपारा स्कूल से विरेन्द्र घर तक मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	कतकालो	मैनपाट	5845 से 5872	21/12/15 से 27/12/15	15 दिन	06/02/16	154071	25
9	ईदगाह के पास वृक्षारोपण	पेन्ट	मैनपाट	4153751 से 4153752	09/08/11 से 21/08/11	15 दिन	29/10/11	4880	53
10	ईदगाह के पास वृक्षारोपण	पेन्ट	मैनपाट	4153753 से 4153759	23/08/11 से 02/10/11	15 दिन	09/12/11	27206	52
11	घनाराम घर से बोकराआमा तक मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	रोपाखार	मैनपाट	10995 से 11014	10/02/14 से 16/02/14	15 दिन	31/03/14	69788	27
12	जुरी तालाब गहरीकरण	ललाटी चिनापहरी	बतौली	4002982 से 4002985	04/06/11 से 09/06/11	15 दिन	19/09/11	33550	86
13	जुरी तालाब गहरीकरण	ललाटी चिनापहरी	बतौली	4002986 से 4002994	11/06/11 से 16/06/11	15 दिन	19/09/11	84912	79
14	जुरी तालाब गहरीकरण	ललाटी चिनापहरी	बतौली	4002995 से 4002997	18/06/11 से 23/06/11	15 दिन	19/09/11	10248	72

15	जुरी तालाब गहरीकरण	ललाटी चिनापहरी	बतौली	3993886 से 3993887	27/05/12 से 01/06/12	15 दिन	25/07/12	23760	38
16	जुरी तालाब गहरीकरण	ललाटी चिनापहरी	बतौली	3993888 से 3993890	03/06/12 से 08/06/12	15 दिन	25/07/12	28512	31
17	जुरी तालाब गहरीकरण	ललाटी चिनापहरी	बतौली	3993891 से 3993893	10/06/12 से 15/06/12	15 दिन	25/07/12	33396	24
18	जुरी तालाब गहरीकरण	ललाटी चिनापहरी	बतौली	3993894 से 3993895	17/06/12 से 22/06/12	15 दिन	25/07/12	19536	17
19	नवीन तालाब निर्माण लामटीडांड	टेडगा	बतौली	4002869 से 4002867	01/06/11 से 06/06/11	15 दिन	12/08/11	64782	50
20	नवीन तालाब निर्माण लामटीडांड	टेडगा	बतौली	4002868 से 4002874	07/06/11 से 13/06/11	15 दिन	12/08/11	71248	43
21	नवीन तालाब निर्माण लामटीडांड	टेडगा	बतौली	4002879 से 4002889	14/06/11 से 18/06/11	15 दिन	12/08/11	89670	38
22	नवीन तालाब निर्माण लामटीडांड	टेडगा	बतौली	4002875 से 4002878	07/06/11 से 12/06/11	15 दिन	12/08/11	30500	44
23	टोंगीपारा बीजा से तरागी सरहद मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	तरागी	बतौली	3662 से 3666	27/08/13 से 01/09/13	15 दिन	31/03/12	27010	38
24	टोंगीपारा बीजा से तरागी सरहद मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	तरागी	बतौली	3810 से 3814	10/09/13 से 15/09/13	15 दिन	07/01/14	16936	97
25	टोंगीपारा बीजा से तरागी सरहद मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	तरागी	बतौली	4476 से 4499	09/11/13 से 14/11/13	15 दिन	07/01/14	152570	37
26	टोंगीपारा बीजा से तरागी सरहद मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	तरागी	बतौली	6746 से 6748	08/01/14 से 10/01/14	15 दिन	28/11/14	5402	306
27	जजल घर से रेड नदी तक मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	सरगंवा	उदयपुर	4506740 से 4506745	24/04/12 से 30/04/12	15 दिन	30/07/12	45540	74
28	जजल घर से रेड नदी तक मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	सरगंवा	उदयपुर	4506747 से 4506748	04/06/12 से 09/06/12	15 दिन	30/07/12	20592	34
29	डोई मेन रोड से अमेरापारा तक मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	फुलचुही	उदयपुर	4665024 से 4665025	09/10/12 से 21/10/12	15 दिन	05/01/13	4884	59
30	मसूडांड से नान आमा तक मिट्टी मुरूम सड़क	मरैया	उदयपुर	4670818 से 4670827	20/11/13 से 23/11/13	15 दिन	27/12/13	20255	17
31	मसूडांड से नान आमा तक मिट्टी मुरूम सड़क	मरैया	उदयपुर	4670288 से 4670297	10/12/13 से 14/12/13	15 दिन	04/02/14	64780	35
32	मसूडांड से नान आमा तक मिट्टी मुरूम सड़क	मरैया	उदयपुर	467158 से 4671526	02/12/13 से 07/12/13	15 दिन	04/02/14	42	

33	मिडिल स्कूल से बिलाई खेरखा तालाब तक 500 मी. मिट्टी सड़क निर्माण कार्य	करौंदी	उदयपुर	4672336 से 4672361	16/12/13 से 21/12/13	15 दिन	04/02/14	184426	28
34	मिडिल स्कूल से बिलाई खेरखा तालाब तक 500 मी. मिट्टी सड़क निर्माण कार्य	करौंदी	उदयपुर	417 से 418	07/04/14 से 12/04/14	15 दिन	11/06/14	15229	43
35	परस घर से नहर तक मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	करौंदी	उदयपुर	462120 से 462133	29/12/13 से 14/10/13	15 दिन	04/02/14	36500	96
36	परस घर से नहर तक मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य	करौंदी	उदयपुर	1740 से 1741	29/04/13 से 04/05/14	15 दिन	21/07/14	8007	51
37	नवीन तालाब से नवीन कॉलेज तक मिट्टी मुरूम निर्माण कार्य	बतौली	बतौली	6408 से 6419	28/12/15 से 03/01/16	15 दिन	14/04/16	0	85
38	नवीन तालाब से नवीन कॉलेज तक मिट्टी मुरूम निर्माण कार्य	बतौली	बतौली	7107 से 7117	04/01/16 से 10/01/16	15 दिन	14/04/16	0	78
39	नवीन तालाब से नवीन कॉलेज तक मिट्टी मुरूम निर्माण कार्य	बतौली	बतौली	7118 से 7128	11/01/16 से 17/01/16	15 दिन	14/04/16	0	102
40	नवीन तालाब से नवीन कॉलेज तक मिट्टी मुरूम निर्माण कार्य	बतौली	बतौली	7129 से 7139	18/01/16 से 24/01/16	15 दिन	14/04/16	0	63

परिशिष्ट 2.1.12

(संदर्भित कंडिका 2.1.4.2; पृष्ठ 25)

मनरेगा के अंतर्गत प्रशासनिक मद पर अधिक व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	मनरेगा के अंतर्गत कुल व्यय	प्रशासनिक व्यय	अनुमत्य व्यय (दो प्रतिशत)	अधिक व्यय	अधिक व्यय का प्रतिशत
जनपद पंचायत सीतापुर					
2012–13	1054.40	31.87	21.09	10.78	51.11
2013–14	651.18	49.11	13.02	36.09	277.18
2014–15	815.63	37.37	16.31	21.06	129.12
2015–16	333.89	21.42	6.68	14.74	220.66
योग		**139.77**	**57.10**	**82.67**	
जनपद पंचायत मैनपाट					
2012–13	638.77	26.34	12.78	13.56	106.26
2013–14	796.31	73.14	15.93	57.21	359.13
2014–15	421.02	46.59	8.42	38.17	453.33
2015–16	170.3	23.98	3.41	20.57	603.23
योग		**170.05**	**40.53**	**129.52**	
जनपद पंचायत बतौली					
2012–13	807.92	33.9	16.16	17.74	109.78
2013–14	811.71	36.35	16.23	20.12	123.97
2014–15	273.81	17.71	5.48	12.23	223.18
2015–16	307.19	36.15	6.14	30.01	488.76
योग		**124.11**	**44.01**	**80.10**	
जनपद पंचायत उदयपुर					
2012–13	1122.93	42.98	22.46	20.52	91.36
2013–14	1119.01	56.02	22.38	33.64	150.31
2014–15	516.05	53.36	10.32	43.04	417.05
2015–16	533.51	35.81	5.51	30.30	549.91
योग		**188.17**	**60.67**	**127.50**	
जनपद पंचायत लखनपुर					
2012–13	1231.05	46.18	24.62	21.56	87.57
2013–14	1197.64	62.28	23.95	38.33	160.04
2014–15	675.86	56.5	13.52	42.98	317.90
2015–16	467.12	30.05	9.34	20.71	221.73
योग		**195.01**	**71.43**	**123.58**	
वर्ष	मनरेगा के अंतर्गत कुल व्यय	प्रशासनिक व्यय	अनुमत्य व्यय (छः प्रतिशत)	अधिक व्यय	अतितिक्त व्यय का प्रतिशत
जिला पंचायत सरगुजा					
2012–13	8097.05	652.37	485.82	166.55	21.93
2014–15	3903.61	392.26	234.22	158.04	67.48
2015–16	2925.23	218.12	175.51	42.61	24.28
योग		**1262.75**	**895.55**	**367.20**	

परिशिष्ट 2.1.13

(संदर्भित कंडिका 2.1.4.4; पृष्ठ 27)

टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त किये बिना क्रियान्वयन एजेन्सी को किये गये भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचातय का नाम	जनपद पंचायत का नाम	स्वीकृत आदेश संख्या/दिनांक	स्वीकृत राशि	भुगतान राशि
1	सी.सी.रोड निर्माण, अटल घर से सनमान घर तक भाग–I	राजपुरी	सीतापुर	3636–20/06/13	2.40	2.40
2	सी.सी.रोड निर्माण, अटल घर से सनमान घर तक भाग– II	राजपुरी	सीतापुर	3636–20/06/13	2.40	2.40
3	सी.सी.रोड निर्माण, मुख्य सड़क से हरिजनपारा, भाग– I	सरगा	सीतापुर	2764–31/05/13	2.40	2.40
4	सी.सी.रोड निर्माण, मुख्य सड़क से हरिजनपारा, भाग– II	सरगा	सीतापुर	2764–31/05/13	2.40	2.40
5	कंवरपारा मे सी.सी.रोड निर्माण, भाग– I	सरगा	सीतापुर	2764–31/05/13	2.40	2.40
6	कंवरपारा मे सी.सी.रोड निर्माण, भाग– II	सरगा	सीतापुर	2764–31/05/13	2.40	2.40
7	सी.सी.रोड निर्माण, पीएमजीएसवाई सड़क से मनबहाल घर तक भाग– I	राजपुरी	सीतापुर	3623–20/06/13	2.40	2.40
8	सी.सी.रोड निर्माण, पीएमजीएसवाई सड़क से मनबहाल घर तक भाग– II	राजपुरी	सीतापुर	3623–20/06/13	2.40	2.40
9	बागरडुह बस्ती में सी.सी.रोड निर्माण, भाग– I	शिवनाथपुर	सीतापुर	1560–03/03/12	1.50	1.50
10	बागरडुह बस्ती में सी.सी.रोड निर्माण, भाग– II	शिवनाथपुर	सीतापुर	1560–03/03/12	1.50	1.50
11	सी.सी. रोड निर्माण, बैगापारा हैण्डमम्प से ठाकुर घर भाग– I	परपटिया	मैनपाट	11935–06/11/12	1.50	1.50
12	सी.सी. रोड निर्माण बैगापारा हैण्डमम्प से ठाकुर घर भाग– II	परपटिया	मैनपाट	11935–06/11/12	1.50	1.50
13	रूंगटु घर से श्रीराम घर तक सी.सी.रोड निर्माण	कपाटबहारी	बतौली	3754–24/06/13	2.40	2.39
14	बिशुन गुरूजी घर से उजित घर तक सी.सी.रोड निर्माण	कपाटबहारी	बतौली	3754–24/06/13	2.40	2.39
15	शिवबरन घर से उजित घर तक सी.सी.रोड निर्माण	कपाटबहारी	बतौली	3754–24/06/13	2.40	2.39
16	बीरबल घर से शोभित घर तक सी.सी.रोड निर्माण	कपाटबहारी	बतौली	3754–24/06/13	2.40	2.40
17	सी.सी.रोड निर्माण, कारगिल चौक से खासू घर तक	सुवारपारा	बतौली	3754–24/06/13	2.40	2.20
18	सी.सी.रोड निर्माण, तिरही चौक से अनिल घर एवं सलमान घर तक	सुवारपारा	बतौली	3754–24/06/13	2.40	2.20
19	सी.सी. रोड निर्माण, कोटवार घर से हरिहर घर तक	सुवारपारा	बतौली	3754–24/06/13	2.40	2.19
20	सी.सी.रोड निर्माण, हेमन्त घर से कारगिल चौक तक	सुवारपारा	बतौली	3754–24/06/13	2.40	2.20

21	चट्टानपपारा बस्ती में सी.सी.रोड निर्माण,	बटईकला	बतौली	4746—10/07/13	2.40	2.40
22	सी.सी.रोड निर्माण, सरपंच घर से मेन रोड	बटईकला	बतौली	4746—10/07/13	2.40	2.40
23	सी.सी. रोड निर्माण बुढ़न घर से कुंजलाल घर तक भाग–I	धनगांव	उदयपुर	3899—25/06/13	2.40	2.40
24	सी.सी. रोड निर्माण बुढ़न घर से कुंजलाल घर तक भाग–II	धनगांव	उदयपुर	3899—25/06/13	2.40	2.40
25	सी.सी. रोड निर्माण बुढ़न घर से कुंजलाल घर तक भाग– III	धनगांव	उदयपुर	3899—25/06/13	2.40	2.40
26	सी.सी. रोड निर्माण, जय नाथ घर से कुंजलाल घर भाग– I	पण्डरीपानी	उदयपुर	3899—25/06/13	2.40	2.40
27	सी.सी. रोड निर्माण जय नाथ घर से कुंजलाल घर भाग– II	पण्डरीपानी	उदयपुर	3899—25/06/13	2.40	2.40
28	सी.सी. रोड निर्माण जय नाथ घर से कुंजलाल घर तक भाग– III	पण्डरीपानी	उदयपुर	3899—25/06/13	2.40	2.40
29	सी.सी.रोड निर्माण, राजन घर से आमाडांड़	जमगंवा	लखनपुर	8153—16/09/13	2.40	4.80
30	सी.सी.रोड निर्माण, सुडु घर से आंनद घर (मेन रोड)	पेटका	लखनपुर	5818—29/07/13	2.40	2.40
31	सी.सी.रोड निर्माण, भोला घर से हीरालाल घर	लैगा	लखनपुर	5818—29/07/13	2.40	2.40
32	सी.सी.रोड निर्माण, रामजीत घर से मेन गली	गेतरा	लखनपुर	5818—29/07/13	2.40	2.40
योग					**75.60**	**74.76**

परिशिष्ट 2.1.14

(संदर्भित कंडिका 2.1.4.5; पृष्ठ 29)

कम दर पर पेंशन भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	जनपद पंचायत का नाम	वर्ष	वर्ष 2015–16 के दौरान पेंशनरो की कुल संख्या				योग	संशोधित दर से पेंशन भुगतान करने का माह	पुराने दर से पेंशन भुगतान की अवधि	महीने जिसके लिए कम पेंशन का भुगतान किया गया	पेंशन का कम भुगतान
			इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (60 वर्ष से अधिक)		सामाजिक सुरक्षा पेंशन	सुखद सहारा पेंशन					
			60–79 (वर्ष)	80 से अधिक (वर्ष)							
1	सीतापुर	2015–16	2567	206	525	1001	4299	जून–16	10/2015 से 05/2016	8	1719600
2	मैनपाट	2015–16	1962	27	1850	446	4285	जनवरी–16	10/2015 से 12/2015	3	642750
2	बतौली	2015–16	2032	140	1292	812	4276	जनवरी –16	10/2015 से 12/2015	3	641400
4	उदयपुर	2015–16	1514	103	1547	1006	4170	जनवरी –16	10/2015 से 12/2015	3	625500
5	लखनपुर	2015–16	3229	159	3752	1217	8357	दिसम्बर–15	10/2015 से 11/2015	2	835700
	योग		**11304**	**635**	**8966**	**4482**	**25387**				**4464950**

परिशिष्ट 2.1.15

(संदर्भित कंडिका 2.1.4.5; पृष्ठ 29)

पेंशन प्रकरणों के निर्णय में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण (निर्णय 7+60 दिनों में)

क्र. सं.	जनपद पंचायत का नाम	पेंशन का प्रकार	अनुमोदन दिनांक	ग्राम पंचायतों में आवेदन के पंजीयन का दिनांक	जनपद पंचायतों द्वारा आवेदन प्राप्त करने का दिनांक	हितग्राहियों की संख्या	पेंशन प्रकरणों के निर्णय की नियत तिथि	रिर्माक	विलम्ब (दिनों में)
1	मैनपाट	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	21/12/14	निरंक	निरंक	निरंक		ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में पंजी संधारित नहीं किये जाने के कारण आवेदनों के नियत समय पर निर्णय को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।	
		सामाजिक सुरक्षा पेंशन	21/12/14	निरंक	निरंक	निरंक			
		सुखद सहारा पेंशन	21/12/14	निरंक	निरंक	निरंक			
		राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	10/07/15	निरंक	निरंक	निरंक			
		सामाजिक सुरक्षा पेंशन	10/07/15	निरंक	निरंक	निरंक			
		सुखद सहारा पेंशन	10/07/15	निरंक	निरंक	निरंक			
2	बतौली	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	21/12/15					ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में पंजी संधारित नहीं किये जाने के कारण आवेदनों के नियत समय पर निर्णय को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।	
		सामाजिक सुरक्षा पेंशन	15/01/16						
		सुखद सहारा पेंशन	21/12/15						
		राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	15/01/16						
3	लखनपुर	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	25/11/14	उपलब्ध नही	17/11/14	15		क्र. सं. 150 से 156, 158 से 165	जानकारी के अभाव में गणना नहीं किया जा सका।
			25/11/14	10/06/14	17/11/14	33	17/08/14	क्र. सं. 118 से 149, 157	100
4	उदयपुर	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	19/10/15	01/06/15	10/06/15	219	08/08/15	क्र. सं. 1 से 219	72
		सामाजिक सुरक्षा पेंशन	25/11/14	20/05/14	10/06/14	36	27/07/14	क्र. सं. 9 से 44	121
		सुखद सहारा पेंशन	25/11/14	20/05/14	10/06/14	8	27/07/14	क्र. सं. 2 से 9	121
		सुखद सहारा पेंशन	19/10/15	01/06/15	10/06/15	3	17/08/14	क्र. सं. 1 से 3	72

परिशिष्ट 4.1.1

(संदर्भित कंडिका 4.1.8.1; पृष्ठ 51)

नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बजट का अंतिम रूप देने में विलम्ब का विवरण

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	स्थान	वर्ष	लक्ष्य दिनांक	बजट पारित का वास्तविक दिनांक	विलम्ब दिनो में
1	नगरपालिक निगम (1)	दुर्ग	2015–16	31/03/15	08/06/15	69
2	नगरपालिक निगम (2)	बिलासपुर	2011–12	31/03/11	17/06/11	78
3		बिलासपुर	2012–13	31/03/12	02/06/12	63
4		बिलासपुर	2013–14	31/03/13	05/06/13	66
5	नगरपालिक परिषद (3)	खैरागढ़	2015–16	31/03/15	06/04/15	6
6	नगरपालिक परिषद (4)	डोंगरगढ़	2011–12	31/03/11	13/04/11	13
7	नगरपालिक परिषद (5)	रतनपुर	2012–13	31/03/12	25/05/12	55
8	नगरपालिक परिषद (6)	कवर्धा	2012–13	31/03/12	09/04/12	9
9		कवर्धा	2013–14	31/03/13	06/04/13	6
10	नगरपालिक परिषद (7)	बालोद	2012–13	31/03/12	30/04/12	30
11		बालोद	2013–14	31/03/13	22/05/13	52
12		बालोद	2015–16	31/03/15	10/04/15	10
13	नगरपालिक परिषद (8)	बागबहरा	2011–12	31/03/11	23/09/11	176
14		बागबहरा	2012–13	31/03/12	28/04/12	28
15		बागबहरा	2013–14	31/03/13	02/05/13	32
16		बागबहरा	2014–15	31/03/14	16/06/14	77
17		बागबहरा	2015–16	31/03/15	08/07/15	99
18	नगरपालिक परिषद (9)	अहिवारा	2012–13	31/03/12	10/04/12	10
19		अहिवारा	2013–14	31/03/13	12/04/13	12
20		अहिवारा	2014–15	31/03/14	26/05/14	56
21	नगर पंचायत (10)	खरोरा	2011–12	31/03/11	08/04/11	8
22		खरोरा	2012–13	31/03/12	04/05/12	34
23		खरोरा	2013–14	31/03/13	23/05/13	53
24		खरोरा	2014–15	31/03/14	18/07/14	109
25		खरोरा	2015–16	31/03/15	29/04/15	29
26	नगर पंचायत (11)	सारागांव	2015–16	31/03/15	16/04/15	16

परिशिष्ट 4.1.2

(संदर्भित कंडिका 4.1.8.2; पृष्ठ 52)

अनुमानित बजट एवं वास्तविक आय–व्यय के आंकड़ों मे अंतर दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	स्थान	वर्ष	कुल आय		अन्तर (प्रतिशत)	कुल व्यय		अन्तर (प्रतिशत)
				अनुमानित	वास्तविक		अनुमानित	वास्तविक	
1	नगरपालिक निगम	दुर्ग	2011–12	11587.47	7389.61	36.23	12265.51	4911.27	59.96
			2012–13	10303.92	9928.83	3.64	14490.18	8354.34	42.34
			2013–14	13109.65	7225.92	44.88	17983.76	9216.37	48.75
			2014–15	17424.70	7514.25	56.88	19938.90	7782.04	60.97
2		बिलासपुर	2011–12	36917.39	27764.52	24.79	39632.96	17869.57	54.91
			2012–13	36048.29	27366.69	24.08	45130.04	21148.03	53.14
			2013–14	38638.42	23286.48	39.73	50579.13	22980.85	54.56
			2014–15	37398.34	15302.53	59.08	49721.56	22314.12	55.12
3		जगदलपुर	2011–12	12226.89	4032.60	67.02	12794.14	2876.88	77.51
			2012–13	19644.72	6528.60	66.77	20785.07	6374.38	69.33
			2013–14	20331.80	7291.30	64.14	20858.13	7739.35	62.90
			2014–15	20966.66	6078.80	71.01	21095.49	5195.86	75.37
4		रायपुर	2011–12	88852.34	44441.20	49.98	111038.73	33340.49	69.97
			2012–13	130035.72	30572.05	76.49	147468.60	33898.37	77.01
			2013–14	119030.56	59838.46	49.73	147971.66	52631.54	64.43
			2014–15	183236.29	35659.40	80.54	209709.70	37420.81	82.16
5	नगरपालिक परिषद	कुम्हारी	2011–12	1583.77	1035.09	34.64	1583.77	754.27	52.38
			2012–13	1501.97	1383.09	7.92	1501.97	1315.52	12.41
			2013–14	3848.97	1531.06	60.22	3848.97	1531.06	60.22
			2014–15	2002.26	875.87	56.26	2002.25	1143.47	42.89
6		खैरागढ़	2011–12	1973.54	1232.76	37.54	1969.90	912.63	53.67
			2012–13	2314.37	1179.76	49.02	2306.84	737.93	68.01
			2013–14	2692.35	855.90	68.21	2672.00	599.96	77.55
			2014–15	4591.94	2692.35	41.37	4589.65	2671.50	41.79
7		डोंगरगढ़	2011–12	2502.25	1108.24	55.71	2502.25	1108.24	55.71
			2012–13	1700.00	1843.38	–8.43	1700.00	1843.38	–8.43
			2013–14	4673.00	1027.11	78.02	4673.00	2316.23	50.43
			2014–15	2700.00	1339.33	50.40	2700.00	1233.06	54.33
8		रतनपुर	2011–12	1090.46	320.21	70.64	1343.91	360.84	73.15
			2012–13	1494.35	799.22	46.52	1554.69	799.26	48.59
			2013–14	1870.96	539.92	71.14	1846.81	539.92	70.76
			2014–15	1649.45	752.76	54.36	1563.00	752.76	51.84
9		तखतपुर	2011–12	467.00	190.21	59.27	463.35	259.78	43.93
			2012–13	724.79	518.52	28.46	724.00	182.68	74.77
			2013–14	688.21	724.79	–5.32	687.00	550.38	19.89
			2014–15	573.04	273.58	52.26	570.85	687.00	–20.35

10	नगरपालिक परिषद	कवर्धा	2011–12	2684.27	783.00	70.83	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
			2012–13	3024.23	1869.61	38.18	उपलब्ध नहीं	1308.32	उपलब्ध नहीं
			2013–14	4846.68	1875.12	61.31	6085.85	1709.37	71.91
			2014–15	3033.00	1779.11	41.34	4204.60	1518.97	63.87
11		बालोद	2011–12	970.81	758.37	21.88	970.28	520.80	46.32
			2012–13	1271.22	1433.87	–12.79	1501.01	968.39	35.48
			2013–14	1992.06	1030.31	48.28	1990.16	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
			2014–15	2018.16	892.85	55.76	2011.73	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12		सरायपाली	2011–12	1137.05	414.17	63.58	1239.16	1072.22	13.47
			2012–13	1866.70	1137.05	39.09	1867.86	507.31	72.84
			2013–14	2834.72	1808.70	36.19	2833.99	549.53	80.61
			2014–15	2938.64	497.23	83.08	2937.89	467.83	84.08
13		बागबहरा	2011–12	460.01	240.32	47.76	436.78	190.69	56.34
			2012–13	610.39	408.14	33.13	655.74	266.06	59.43
			2013–14	608.88	344.72	43.38	705.82	379.04	46.30
			2014–15	568.22	359.99	36.65	567.33	352.58	37.85
14		दीपका	2011–12	1073.50	837.26	22.01	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
			2012–13	848.86	980.80	–15.54	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
			2013–14	1104.81	698.01	36.82	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
			2014–15	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
15		अहिवारा	2011–12	591.02	412.45	30.21	671.93	288.00	57.14
			2012–13	870.02	492.11	43.44	1102.34	517.12	53.09
			2013–14	1121.71	440.27	60.75	1424.73	469.09	67.08
			2014–15	1031.08	472.06	54.22	1314.17	406.62	69.06
16	नगर पंचायत	खरोरा	2011–12	351.70	131.79	62.53	334.46	77.26	76.90
			2012–13	313.40	356.24	–13.67	232.29	301.87	–29.95
			2013–14	515.17	267.94	47.99	493.50	294.55	40.31
			2014–15	573.59	435.62	24.05	610.05	435.62	28.59
17		सारागांव	2011–12	639.10	250.85	60.75	679.10	264.01	61.12
			2012–13	365.00	255.57	29.98	365.13	283.30	22.41
			2013–14	745.01	216.39	70.95	383.96	215.33	43.92
			2014–15	406.47	185.26	54.42	410.22	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
18		बस्तर	2011–12	434.55	218.81	49.65	535.08	188.96	64.69
			2012–13	826.83	341.54	58.69	1008.39	347.96	65.49
			2013–14	1077.09	397.89	63.06	1008.43	288.52	71.39
			2014–15	1179.78	170.67	85.53	1209.45	151.53	87.47
19		पलारी	2011–12	551.75	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	546.61	120.89	77.88
			2012–13	979.65	254.00	74.07	1154.30	1009.70	12.53
			2013–14	965.3	156.52	83.79	1140.85	1161.75	–1.83
			2014–15	1297.2	195.40	84.94	1485.43	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान नगर पंचायत टुण्डरा द्वारा बजट तैयार नहीं किया गया ।

परिशिष्ट 4.1.3

(संदर्भित कंडिका 4.1.8.5; पृष्ठ 53)

म्युनिसपल फण्ड अवरूद्ध रहना

(₹ लाख में)

बैंक का नाम	खाता नं0	दिनांक तक शेष	31 मार्च तक शेष	ब्याज सहित दिनांक तक शेष	समय का अन्तर (वर्षों में)	ब्याज 7.75 प्रतिशत के दर से	वास्तविक ब्याज प्राप्त	ब्याज की हानि (7–8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बैंक आफ महाराष्ट्र	20105624579	31/05/09	1.46	1.88	6.67	0.76	0.42	0.34
	उपलब्ध नहीं	31/05/09	1.10	1.38	6.16	0.52	0.28	0.24
	20105626112	30/11/09	4.08	5.04	6.16	1.95	0.96	0.99
युको बैंक	उपलब्ध नहीं	19/05/07	0.90	1.24	8.26	0.58	0.34	0.24
बैंक आफ महाराष्ट्र	20105630311	09/02/02	1.13	1.88	14.08	1.22	0.75	0.47
	20105624579	22/11/01	0.81	1.41	14.30	0.89	0.60	0.29
	53023993191	25/02/03	8.87	9.59	13.02	8.94	0.72	8.22
	9868	31/05/09	0.71	0.89	6.16	0.34	0.18	0.16
	20105619604	31/05/09	0.36	0.46	6.67	0.19	0.10	0.09
	20105619218	31/05/09	0.21	0.27	6.67	0.11	0.06	0.05
	20105624182	31/05/09	0.69	0.88	6.67	0.35	0.19	0.16
युनियन बैंक आफ इंडिया	2282	05/08/11	14.93	18.18	4.57	5.29	3.25	2.04
योग			**35.25**	**43.10**		**21.14**	**7.85**	**13.29**

परिशिष्ट 4.1.4

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.1; पृष्ठ 56)

छोड़े गये सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	नगरपालिक निगम का नाम	वार्डों की संख्या	नगरपालिक निगमों के अभिलेखों के अनुसार सम्पत्तियाँ	जी.आई.एस. के अनुसार सम्पत्तियाँ	छोड़े गये सम्पत्ति	जी.आई.एस. आंकड़े में छोड़े गये सम्पत्तियों का प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	भिलाई	5	9149	10446	1297	12.42
2	रायगढ़	5	3651	4180	529	12.66
3	बिलासपुर	5	3583	3940	357	9.06
4	रायपुर	5	12654	20261	7607	37.55
5	अम्बिकापुर	11	5178	5592	414	7.40
6	चिरमिरी	20	5123	10857	5734	52.81
7	जगदलपुर	9	4285	4744	459	9.68
8	राजनन्दगांव	6	3342	3688	346	9.38
9	कोरबा	4	1042	5707	4665	81.74
10	दुर्ग	6	4663	4760	97	2.04
योग		**76**	**52670**	**74175**	**21505**	

परिशिष्ट 4.1.5

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.1; पृष्ठ 56)

सम्पत्ति कर एवं समेकित कर में सम्मिलित मकान

क्षेत्र का नाम	जनगणना मकान (सेन्सस हाउसेस) का कुल संख्या	नगर निकायों के अनुसार अधिरोपित भवनों के संख्या (संख्या में)			अंतर	कमी प्रतिशत में
		संपत्ति + समेकित कर	केवल समेकित कर	कुल (संपत्ति + समेकित कर)		
दीपका	7,234	4,890	868	5,758	1,476	20.40
रतनपुर	6,093	622	3,047	3,669	2,424	39.78
तखतपुर	4,792	673	2,088	2,761	2,031	42.38
कवर्धा	11,238	4,072	4,695	8,767	2,471	21.99
डोंगरगढ़	10,063	2,252	4,076	6,328	3,735	37.12
कुम्हारी	9,069	3,114	2,910	6,024	3,045	33.58
दुर्ग	63,362	46,125	2,578	48,703	14,659	23.14
बलोद	6,337	1,568	2,650	4,218	2,119	33.44
पलारी	2,059	1,458	123	1,581	478	23.22
टुण्डरा	1,756	927	528	1,455	301	17.14
रायपुर	2,42,121	1,29,096	62,000	1,91,096	51,025	21.07
खरोरा	2,310	1,144	722	1,866	444	19.22
सरायपाली	5,341	1,304	2,167	3,471	1,870	35.01
बागबहरा	5,391	3,722	188	3,910	1,481	27.47
बस्तर	2,877	239	1,644	1,883	994	34.55
योग	**3,80,043**	**2,01,206**	**90,284**	**291,490**	**88,553**	

परिशिष्ट 4.1.6

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.1; पृष्ठ 57)

संपत्ति कर की वसूली में कमी

(₹ लाख में)

नगर निकायों का नाम	स्थान	वर्ष	मांग	वसुली	बकाया
नगरपालिक निगम	दुर्ग	2015–16	719.00	554.29	164.71
	बिलासपुर	2015–16	1415.49	1253.07	162.42
	जगदलपुर	2015–16	517.47	346.67	170.80
	रायपुर	2015–16	3488.66	3395.76	92.90
नगरपालिक परिषद	कुम्हारी	2015–16	105.78	27.99	77.79
	खैरागढ	2015–16	35.21	3.67	31.54
	डोगंरगढ	2015–16	32.09	18.75	13.34
	रतनपुर	2015–16	10.77	7.26	3.51
	तखतपुर	2015–16	20.34	3.30	17.04
	कवर्धा	2015–16	50.00	37.14	12.86
	बालोद	2015–16	25.52	21.05	4.47
	सरायपाली	2015–16	18.87	14.97	3.90
	बागबहरा	2015–16	16.85	7.46	9.39
	दीपका	2015–16	90.64	58.18	32.46
	अहिवारा	2015–16	44.80	38.05	6.75
नगर पंचायत	खरोरा	2015–16	18.85	14.56	4.29
	टुण्डरा	2015–16	16.13	0.36	15.77
	सारागांव	2015–16	3.05	0.98	2.07
	बस्तर	2015–16	3.20	2.83	0.37
	पलारी	2015–16	14.35	4.15	10.20
योग			**6647.07**	**5810.49**	**836.58**

परिशिष्ट 4.1.7

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.2; पृष्ठ 57)

समेकित कर की वसूली में कमी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नगर निकायों का नाम	स्थान	वर्ष	मंग	वसुली	बकाया
1		दुर्ग	2015–16	495.21	331.54	163.67
2	नगरपालिक निगम	बिलासपुर	2015–16	481.79	295.91	185.88
3		जगदलपुर	2015–16	172.01	124.55	47.46
4		रायपुर	2015–16	1234.98	965.94	269.04
5		कुम्हारी	2015–16	108.17	29.96	78.21
6		खैरागढ़	2015–16	47.70	5.41	42.29
7		डोंगरगढ़	2015–16	81.71	23.51	58.20
8		रतनपुर	2015–16	51.15	19.51	31.64
9		तखतपुर	2015–16	35.86	10.17	25.69
10	नगरपालिक परिषद	कवर्धा	2015–16	64.64	43.42	21.22
11		बालोद	2015–16	40.47	19.78	20.69
12		सरायपाली	2015–16	29.02	11.61	17.41
13		बागबहरा	2015–16	17.29	12.35	4.94
14		दीपका	2015–16	46.62	33.46	13.16
15		अहिवारा	2015–16	37.92	18.32	19.60
16		खरोरा	2015–16	13.34	8.48	4.86
17		टुण्डरा	2015–16	22.99	0.69	22.30
18	नगर पंचायत	सारागांव	2015–16	15.41	5.39	10.02
19		बस्तर	2015–16	18.30	10.98	7.32
20		पलारी	2015–16	15.42	5.62	9.80
योग				**3030.00**	**1976.60**	**1053.40**

परिशिष्ट 4.1.8

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.3; पृष्ठ 58)

जल कनेक्शनों में कमी

क्षेत्र का नाम	कुल गृहस्थी का संख्या (जनगणना 2011)	जल कनेक्शन का संख्या	एस.एल.बी.
			100 प्रतिशत
दुर्ग	57451	22544	39ण24
रायपुर	215227	73046	33ण94
कुम्हारी	5762	1638	28ण42
डोंगरगढ़	8623	4058	47ण06
रतनपुर	5403	1136	21ण02
तखतपुर	3881	1596	41ण12
कवर्धा	9647	7536	78ण12
बालोद	5308	3165	59ण63
सरायपाली	4579	1990	43ण46
बागबहरा	4326	1724	39ण85
दीपका	6293	380	6ण04
पलारी	1713	346	20ण20
टुण्डरा	1591	392	24ण64
खरोरा	1961	1127	57ण47
बस्तर	2220	420	18ण92
योग	**333985**	**121098**	**36ण26**

परिशिष्ट 4.1.9

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.3; पृष्ठ 58)

जलकर की वसूली में कमी

(₹ लाख में)

नगर निकायों का नाम	स्थान	वर्ष	मांग	वसुली	बकाया
नगरपालिक निगम	दुर्ग	2015–16	477.64	402.19	75.45
	बिलासपुर	2015–16	1059.59	448.15	611.44
	जगदलपुर	2015–16	517.78	294.40	223.38
	रायपुर	2015–16	2482.41	2078.75	403.66
नगरपालिक परिषद	कुम्हारी	2015–16	45.91	25.98	19.93
	खैरागढ़	2015–16	68.65	19.61	49.04
	डोंगरगढ़	2015–16	106.86	32.16	74.70
	रतनपुर	2015–16	16.43	9.75	6.68
	तखतपुर	2015–16	42.64	18.62	24.02
	कवर्धा	2015–16	142.61	76.98	65.63
	बालोद	2015–16	96.11	48.49	47.62
	सरायपाली	2015–16	30.24	20.56	9.68
	बागबहरा	2015–16	37.19	14.59	22.60
	दीपका	2015–16	9.11	1.62	7.49
	अहिवारा	2015–16	14.97	11.65	3.32
नगर पंचायत	खरोरा	2015–16	29.13	18.95	10.18
	टुण्डरा	2015–16	20.9	0.74	20.16
	सारागांव	2015–16	11.56	0.22	11.34
	बस्तर	2015–16	6.33	3.36	2.97
	पलारी	2015–16	18.46	4.65	13.81
योग			**5234.52**	**3531.42**	**1703.10**

परिशिष्ट 4.1.10

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.4; पृष्ठ 59)

उपभोक्ता प्रभार का नहीं लगाना

नगरीय निकायों का नाम	संस्था	संस्थाओं का संख्या	आधार	दर प्रति माह (राशि ₹ में)	कुल प्रतिमाह (₹ लाख में)
बिलासपुर नगरपालिक निगम	मंगल भवन	33	प्रति एक	10000	3.30
	होटलों	42	25 कमरों से कम	1000	0.42
	अस्पताल/नर्सिंग होम	87	20 बिस्तरों से कम	5000	4.35
	व्यावसायिक संस्थायें				
	शो रूम	9	1. 500 वर्ग फिट से ज्यादा	1500	0.14
	पेट्रोल पंप	10	2. 500 वर्ग फिट से ज्यादा	1500	0.15
	मॉल	3	3. लगभग–50000 वर्ग फिट से ज्यादा प्रति मॉल	1.50 प्रति वर्ग फिट	2.25
योग (बिलासपुर नगर पलिक निगम)					**10.61**
जगदलपुर नगरपालिक निगम	घरेलु	9643	500 वर्ग फिट से कम	20	1.93
		3670	501–750 वर्ग फिट	30	1.10
		5289	751–1000 वर्ग फिट	50	2.64
		3313	1000 वर्ग फिट से ज्यादा	100	3.31
	रेस्टोरेण्ट	45		500	0.25
	व्यावसायिक संस्थायें	1163	100 वर्ग फिट से कम	100	1.16
		447	101–300 वर्ग फिट	300	1.04
		113	300 वर्ग फिट से ज्यादा	750	0.85
	अस्पताल/नर्सिंग होम	3	1–20 से कम बिस्तर	5000	0.15
			2. 21–100 बिस्तर		
			3. 100 से ज्यादा बिस्तर		
योग (जगदलपुर नगरपालिक निगम)					**12.43**
योग (राजस्व हानि प्रतिमाह) = (10.61+12.43) = 23.04					
आठ माह में राजस्व हानि (अगस्त 2015 से मार्च 2016 तक) = 8 माह x 23.04 = 184.32					

परिशिष्ट 4.1.11

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.5; पृष्ठ 59)

विज्ञापन कर की कम वसूली

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष	ठेकेदारों की संख्या	एग्रीमेंट का राशि	जमा राशि	कम जमा
1	ट्यूबलर पोल	2010–11	15	399.73	340.96	58.77
2	होर्डिंग्स	2011–12	47	86.89	79.51	7.38
		2012–13	51	104.65	82.37	22.28
		2013–14	41	165.03	122.74	42.29
		2014–15	98	247.68	72.13	175.55
		2015–16	113	377.38	309.02	68.36
3	एल.ई.डी. बोर्ड	2011–12	3	2.26	1.68	0.58
		2012–13	1	0.78	0	0.78
		2013–14	5	4.5	3.15	1.35
		2014–15	5	5.37	4.24	1.13
		2015–16	5	4.57	4.06	0.51
योग				**1398.84**	**1019.86**	**378.98**

परिशिष्ट 4.1.12

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.6; पृष्ठ 60)

प्रीमियम/किराया आदि की वसूली में कमी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	स्थान	किराया	प्रीमियम
नगरपालिक निगम			
1	दुर्ग	55.62	0
2	बिलासपुर	3.84	0
3	जगदलपुर	22.74	1410.76
4	रायपुर	64.1	0
नगरपालिक परिषद			
5	कुम्हारी	60.35	24.15
6	खैरागढ़	3.81	13.21
7	डोंगरगढ़	14.66	0
8	रतनपुर	0.83	0
9	तखतपुर	5.18	0
10	कवर्धा	5.50	867.48
11	बालोद	15.91	18.19
12	सरायपाली	3.41	20.28
13	बागबहरा	4.17	22.99
14	दीपका	19.2	0
15	अहिवारा	28.91	20.00
नगर पंचायत			
16	खरोरा	0.92	12.12
17	बस्तर	0.42	0
18	पलारी	10.53	24.50
योग		**320.10**	**2433.68**
सकल योग (प्रीमियम+किराया)		**2753.78**	

परिशिष्ट 4.1.13

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.6; पृष्ठ 61)

ठेकेदारों द्वारा कम जमा

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	ठेका	ठेकेदार का नाम	वर्ष	ठेके की राशि	अतिरिक्त देनदारी जैसे बिजली	वसूली किया गया रायिा	कम जमा
नगरपालिक निगम								
1	दुर्ग	साइकल स्टैण्ड	हरिश खप्राडे	2013–14	3.95	0	2.96	0.99
		साइकल स्टैण्ड	विजय चांडक	2014–15	2.29	0	0.57	1.72
		साइकल स्टैण्ड	बलराम निर्मलकर	2014–15	3.99	0	2.91	1.08
		साइकल स्टैण्ड	मोहसीन अली	2015–16	4.21	0	2.11	2.10
2	जगदलपुर	टाउन हाल	निलेश पटेल	2011–14	15.50	2.20	12.17	5.53
3	रायपुर	बजार पार्किंग	रवि कुमार	2013–14	13.78	0	5.37	8.41
		बजार पार्किंग	कृष्ण मूर्ती भोगाल	2013–14	62.43	0	34.66	27.77
		बजार पार्किंग	आरिफ खान	2013–14	22.85	0	14.22	8.63
		बजार पार्किंग	आमिन अहमद	2014–15	10.12	0	4.25	5.87
		बजार पार्किंग	ललित बुंदेला	2014–15	4.71	0	0.78	3.93
		बजार पार्किंग	ललित बुंदेला	2014–15	4.60	0	0.72	3.88
		बजार पार्किंग	दिनेश डोंगरे	2014–15	7.97	0	4.00	3.97
		बजार पार्किंग	शीला चेलक	2014–15	1.50	0	0.03	1.47
		बजार पार्किंग	शमसूदिन अंसारी	2014–15	22.61	0	7.90	14.71
		बजार पार्किंग	संतोष गुप्ता	2015–16	12.10	0	7.66	4.44
		बजार पार्किंग	आशिष सावरकर	2015–16	15.02	0	11.85	3.17
		बजार पार्किंग	राहुल राठोर	2015–16	88.00	0	12.24	75.76
		बजार पार्किंग	इलियास अमन	2015–16	25.40	0	21.95	3.45
		बजार पार्किंग	विकास शुक्ला	2013–14	13.00	0	0	13.00
नगरपालिक परिषद								
4	कुम्हारी	साइकल स्टेण्ड	मोहित कुमार पटेल	2015–16	24.01	0	12.01	12.00
5	रतनपुर	मवेशी बाजार	अनिल तंबोली	2011–12	7.20	0	4.90	2.30
		मवेशी बाजार	उपलब्ध नहीं	2012–13	3.75	0	0	3.75
		मवेशी बाजार	उपलब्ध नही	2013–14	5.61	0	5.16	0.45
		नौकायान	सुनिल दास मानिकपुरी	2011–12	3.30	0	2.95	0.35
		नौकायान	उपलब्ध नही	2012–13	3.40	0	2.15	1.25
		नौकायान	भगवात पटेल	2014–15	4.11	0	2.71	1.40
		नौकायान	उपलब्ध नही	2015–16	0.92	0	0.87	0.05
6	कवर्धा	दैनिक बाजार	सुशील सिंह	2012–13	13.33	0	9.03	4.30
		मवेशी बाजार	दिलिप सिंह ठाकुर	2012–13	2.35	0	0	2.35
		कांजी हाउस	राम सिंह ठाकुर	2011–12	0.43	0	0.21	0.22
		कृषि भुमि (20 एकड़)	सौरभ जैन	2012–13 से 2014–15	4.75	0	1.89	2.86
		कृषि भुमि (20 एकड़)	सौरभ जैन	2013–14 से 2014–15	2.38	0	1.44	0.94
7	सरायपाली	मवेशी बाजार	मौ. रौफीक	2015–16	40.41	0	26.04	14.37
		बस स्टेण्ड	आवेश मेमन	2013–14	2.26	0	0.71	1.55
8	बालोद	दैनिक बाजार	शरद गुप्ता	2013–14	5.65	0	4.25	1.40
योग					**457.89**	**2.20**	**220.66**	**239.43**

परिशिष्ट 4.1.14

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.6; पृष्ठ 62)

अटल आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों का किस्त की कम वसूली

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	किस्त का वर्ष	कुल निर्मित मकान	आवंटित मकान		कुल किराया का मांग	वसुल किया गया राशि	वसुल किये जाने वाला राशि
				आवंटित	अनावंटित			
1	बिलासपुर नगरपालिक निगम	अप्रैल 2007 से मार्च 2016	400	335	65	88.32	4.12	84.20
2	दुर्ग नगरपालिक निगम	जुलाई 2007 से मार्च 2016	296	206	90	42.02	4.12	37.90
3	जगदलपुर नगरपालिक निगम	अप्रैल 2004 से मार्च 2016	260	260	0	78.00	8.63	69.37
4	कवर्धा नगरपालिक परिषद	मई 2007 से मार्च 2016	150	73	77	23.65	0.12	23.53
5	कुम्हारी नगरपालिक परिषद	फरवरी 2008 से मार्च 2016	100	93	7	27.90	17.65	10.25
6	डोंगरगढ़ नगरपालिक परिषद	अप्रैल 2010 से मार्च 2016	100	100	0	30.00	0.54	29.46
योग			**1306**	**1067**	**239**	**289.89**	**35.18**	**254.71**

परिशिष्ट 4.1.15

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.6; पृष्ठ 62)

आई.एच.एस.डी.पी. योजना के अंतर्गत लाभान्वितों से अंशदान वसूली नहीं किया जाना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्मित मकानों का संख्या	आवंटित मकानों की संख्या	कुल मांग	वसुली	शेष	प्रति इकाई का दर
1	दुर्ग नगरपालिक निगम	1638	1205	399.11	69.01	330.10	1. ₹ 22020 प्रति मकान 400 मकानों के लिए = ₹ 8808000 2. ₹ 38637 प्रति मकान 805 मकानों के लिए = ₹ 31102785
2	जगदलपुर नगरपालिक निगम	844	739	369.50	64.03	305.47	नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा
3	बिलासपुर नगरपालिक निगम	4506	3375	576.47	0	576.47	1. ₹ 14920 प्रति मकान 27 मकानों के लिए = ₹ 402839 2. ₹ 12433 प्रति मकान 441 मकानों के लिए = ₹ 5482953 3. ₹ 20796 प्रति मकान 399 मकानों के लिए = ₹ 8297604 4. ₹ 17330 प्रति मकान 2508 मकानों के लिए = ₹ 43463640
4	बालोद नगरपालिक परिषद	200	174	35.13	0	35.13	₹ 20192 प्रति मकान 174 मकानों के लिए = ₹ 3513408
5	कवर्धा नगरपालिक परिषद	528	73	10.95	0	10.95	₹ 15000 प्रति मकान 73 मकानों के लिए = ₹ 1095000
योग		**7716**	**5566**	**1391.16**	**133.04**	**1258.12**	

परिशिष्ट 4.1.16

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.7; पृष्ठ 64)

नगरीय निकायों का वित्तीय धारणीयता

(₹ लाख में)

नगरीय निकाय का नाम	कुल स्व–राजस्व	राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित राजस्व	सकल राजस्व (2+3)	कुल व्यय	राजस्व कमी (4+5)
1	2	3	4	5	6
बिलासपुर	3316.96	2230.80	5547.76	6479.93	932.17
रायपुर	9780.11	4176.66	13956.77	15312.78	1356.01
डोंगरगढ़	173.97	80.52	254.49	292.41	37.92
कुम्हारी	147.54	152.4	299.94	300.48	0.54
रतनपुर	74.44	90.98	165.42	173.61	8.19
सरायपाली	125.62	73.62	199.24	200.39	1.15
तखतपुर	76.06	29.55	105.61	258.94	153.33
टुण्डरा	9.55	18.31	27.86	32.68	4.82
सारागांव	9.47	25.59	35.06	35.82	0.76

परिशिष्ट 4.1.17

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.8; पृष्ठ 64)

कर्मचारियों की कमी

क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	स्थान	स्वीकृत पद	वास्तविक में कार्यरत	रिक्त	कर्मचारियों की कमी के प्रतिशत
1	नगरपालिक निगम	दुर्ग	808	732	76	9.41
2		बिलासपुर	1154	1087	67	5.81
3		जगदलपुर	425	368	57	13.41
4		रायपुर	2244	1880	364	16.22
5	नगरपालिक परिषद	कुम्हारी	51	36	15	29.41
6		खैरागढ़	40	37	3	7.50
7		डोंगरगढ़	87	80	7	8.05
8		रतनपुर	43	40	3	6.98
9		तखतपुर	49	27	22	44.90
10		कवर्धा	125	106	19	15.20
11		बालोद	51	45	6	11.76
12		सरायपाली	67	63	4	5.97
13		बागबहरा	74	40	34	45.95
14		दीपका	14	11	3	21.43
15		अहिवारा	46	35	11	23.91
16	नगर पंचायत	खरोरा	11	6	5	45.45
17		टुण्डरा	9	5	4	44.44
18		सारागांव	7	3	4	57.14
19		बस्तर	9	6	3	33.33
20		पलारी	10	7	3	30.00
योग			**5324**	**4614**	**710**	

परिशिष्ट 4.1.18

(संदर्भित कंडिका 4.1.10.2; पृष्ठ 65)

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों का बकाया देनदारियां

(₹ लाख में)

नगरीय निकाय का नाम	स्थान	कर्मकार उपकर	बिजली	जी.पी.एफ./ सी.पी.एफ.	रॉयल्टी	जल प्रभार	वेतन/ इ.पी.एफ.	कुल
नगरपालिक निगम	दुर्ग	163.89	279.82	187.22	0	650.07	0	1281
	बिलासपुर	0	713.85	0	0	0	3.14	716.99
	जगदलपुर	0	30.00	181.51	0	0	0	211.51
	रायपुर	0	0	0	258.00	0	0	258.00
नगरपालिक परिषद	खैरागढ़	14.26	0	0	0	0	0	14.26
	बालोद	0	37.65	18.62	0	0	0	56.27
	अहिवारा	0	17.78	0	0	0	0	17.78
	डोंगरगढ़	0	46.56	34.16	0	0	0	80.72
	तखतपुर	0	49.50	9.66	0	0	0	59.16
	सरायपाली	0	61.90	0	0	0	0	61.90
	बागबहरा	0.54	66.51	32.56	0	0	40.40	140.01
नगर पंचायत	खरोरा	1.32	3.19	3.23	0	0	0	7.74
	टुण्डरा	3.50	0	0	0	0	0	3.50
	बस्तर	3.52	0.97	0	0	0	0	4.49
	पलारी	2.61	18.14	0	0	0	0	20.75
योग		**189.64**	**1325.87**	**466.96**	**258.00**	**650.07**	**43.54**	**2934.08**

परिशिष्ट 4.1.19

(संदर्भित कंडिका 4.1.10.3; पृष्ठ 67)

प्लेसमंट स्टाफ को ई.पी.एफ. का अधिक भुगतान

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	स्थान	वर्ष	ठेकेदार या स्वयं	भुगतान किया गया	कर्मचारी का अंश जो नहीं काटा गया (12%)
1	नगरपालिक निगम	दुर्ग	2011–12	ठेकेदार	7.03	0.84
			2012–13	ठेकेदार	6.03	0.72
			2013–14	ठेकेदार	6.39	0.77
			2014–15	ठेकेदार	17.07	2.05
			2015–16	ठेकेदार	19.37	2.32
			योग		**55.89**	**6.71**
2		जगदलपुर	2011–12	स्वयं	214.15	25.70
			योग		**214.15**	**25.70**
3		रायपुर	2013–14	ठेकेदार	124.18	14.90
			2014–15	ठेकेदार	79.87	9.58
			2015–16	ठेकेदार	195.42	23.45
			योग		**399.47**	**47.93**
4	नगरपालिक परिषद	रतनपुर	2011–12	स्वयं	28.44	3.41
			2012–13	स्वयं	28.97	3.48
			2013–14	स्वयं	30.64	3.68
			2014–15	स्वयं	30.66	3.68
			2015–16	स्वयं	37.36	4.48
			योग		**156.07**	**18.73**
5		कवर्धा	2011–12	स्वयं	6.40	0.77
			2012–13	स्वयं	10.26	1.23
			2013–14	स्वयं	12.94	1.55
			2014–15	स्वयं	14.30	1.72
			2015–16	स्वयं	29.45	3.53
			योग		**73.35**	**8.80**
6		बालोद	2011–12	स्वयं	25.26	3.03
			2012–13	ठेकेदार	37.03	4.44
			योग		**62.29**	**7.47**
7		बागबहरा	2013–14	स्वयं	39.78	4.77
			2014–15	स्वयं	34.29	4.11
			2015–16	स्वयं	37.00	4.44
			योग		**111.07**	**13.32**
8		अहिवारा	2011–12	स्वयं	7.84	0.94
			2012–13	स्वयं	25.81	3.10
			2013–14	स्वयं	15.98	1.92
			2014–15	स्वयं	8.00	0.96
			2015–16	स्वयं	0	0
			योग		**57.63**	**6.92**
महायोग					**1129.92**	**135.60**

परिशिष्ट 4.1.20

(संदर्भित कंडिका 4.1.10.3; पृष्ठ 68)

बिजली बिलों पर अधिभार का परिहार्य भुगतान

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नगरीय निकाय	स्थान	बिजली बिलों पर भुगतान किया गया अधिभार
1	नगरपालिक निगम	बिलासपुर	70.29
2	नगरपालिक परिषद	कुम्हारी	2.38
3		रतनपुर	6.25
4		तखतपुर	13.04
5		सरायपाली	28.17
6		बागबहरा	5.14
7	नगर पंचायत	बस्तर	0.40
योग			**125.67**

परिशिष्ट 4.1.21

(संदर्भित कंडिका 4.1.10.3; पृष्ठ 68)

उर्जा विकास उपकर का परिहार्य भुगतान

(₹ लाख में)

नगरीय निकाय	स्थान	एनर्जी डेव्हलपमेंट सेस
नगरपालिक निगम	दुर्ग	30.02
	बिलासपुर	53.01
	जगदलपुर	7.32
	रायपुर	25.31
नगरपालिक परिषद	कुम्हारी	0.61
	खैरागढ़	2.13
	डोंगरगढ़	7.07
	रतनपुर	5.01
	तखतपुर	2.79
	कवर्धा	5.31
	सरायपाली	6.02
	बागबहरा	2.24
	अहिवारा	2.19
नगर पंचायत	खरोरा	1.54
	बस्तर	0.09
	पलारी	0.93
योग		**151.59**

परिशिष्ट 4.1.22

(संदर्भित कंडिका 4.1.10.3; पृष्ठ 68)

अस्थायी अग्रिमों का समायोजन नहीं होना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	स्थान	वर्ष जबसे अग्रिम समायोजित नहीं हुई					
		0–5 वर्ष	06–10 वर्ष	11–15 वर्ष	16–20 वर्ष	20 वर्ष एवं अधिक	योग
	नगरपालिक निगम						
1	दुर्ग	10.32	35.57	0	0	0	45.89
2	बिलासपुर	7.43	21.55	11.20	8.26	0.20	48.64
3	जगदलपुर	0.95	1.22	0	0	0	2.17
4	रायपुर	37.58	98.27	70.88	9.00	8.38	224.11
	नगरपालिक परिषद						
5	कुम्हारी	0.64	0.41	5.39	0	0	6.45
6	डोंगरगढ़	0.25	0	0	0	0	0.25
7	रतनपुर	0	0.36	1.48	0.26	1.88	3.99
8	कवर्धा	0.89	2.48	0	0	0	3.37
9	बालोद	0	0.57	0	0	0	0.57
10	सरायपाली	0.16	2.09	0.10	0.05	0.01	2.40
11	बागबहरा	4.07	1.77	1.38	0.22	1.57	9.03
12	दीपका	0.75	0	0	0	0	0.75
13	अहिवारा	0.95	1.22	0	0	0	2.17
	नगर पंचायत						
14	खरोरा	0.75	0	0	0	0	0.75
15	टुण्डरा	1.15	0.27	0	0	0	1.41
16	बस्तर	4.31	0	0	0	0	4.31
17	पलारी	2.58	0	0	0	0	2.58
	योग	**72.78**	**165.78**	**90.43**	**17.79**	**12.04**	**358.84**

परिशिष्ट 4.1.23

(संदर्भित कंडिका 4.1.10.4; पृष्ठ 69)

संचित निधि में कम जमा

(₹ लाख में)

स्थान	वर्ष	राजस्व	राजस्व का 5%	जमा	कम जमा
दुर्ग	2012–15	4777.19	238.86	94.3	144.56
बिलासपुर	2012–16	10646.53	532.33	0	532.33
जगदलपुर	2011–16	9532.75	476.64	157.22	319.42
रायपुर	2012–16	35261.54	1763.08	0	1763.08
कुम्हारी	2012–16	656.19	32.81	17.42	15.39
खैरागढ़	2012–13	93.24	4.66	2.87	1.79
रतनपुर	2012–15	208.42	10.42	5.96	4.46
सरायपाली	2012–15	345.43	17.27	13.77	3.50
योग		**61521.29**	**3076.07**	**291.54**	**2784.53**

परिशिष्ट 4.1.24

(संदर्भित कंडिका 4.1.10.4; पृष्ठ 69)

ब्याज का हानि

(₹ लाख में)

इकाई का नाम	अवधि	शेष राशि	निवेश किये गये राशि	साधारण ब्याज (%)	सावधि जमा दर (%)	अंतर	वर्षो का संख्या (मार्च 2016)	ब्याज का हानि
दुर्ग नगरपालिक निगम	03/2011 से 03/2016	52.00	50.00	3.5	7.75	4.25	5	10.63
	03/2012 से 03/2016	98.81	45.00	3.5	7.75	4.25	4	7.65
	03/2013 से 03/2016	127.21	30.00	3.5	7.75	4.25	3	3.83
	03/2014 से 03/2016	61.23	35.00	3.5	7.75	4.25	2	2.98
	03/2015 से 03/2016	105.33	100.00	3.5	7.75	4.25	1	4.25
कुम्हारी नगरपालिक परिषद	03/2013 से 03/2016	7.07	7.00	3.5	7.75	4.25	3	0.89
	03/2014 से 03/2016	11.75	4.00	3.5	7.75	4.25	2	0.34
	03/2015 से 03/2016	19.25	8.00	3.5	7.75	4.25	1	0.34
अहिवारा, नगरपालिक परिषद	03/2011 से 03/2016	5.12	5.00	3.5	7.75	4.25	5	1.06
	03/2012 से 03/2016	8.27	3.00	3.5	7.75	4.25	4	0.51
	03/2013 से 03/2016	10.76	2.50	3.5	7.75	4.25	3	0.32
	03/2014 से 03/2016	13.43	2.50	3.5	7.75	4.25	2	0.21
	03/2015 से 03/2016	16.36	3.00	3.5	7.75	4.25	1	0.12
सरायपाली, नगरपालिक परिषद	03/2011 से 03/2016	12.02	10.00	3.5	7.75	4.25	5	2.13
	03/2012 से 03/2016	13.15	2.00	3.5	7.75	4.25	4	0.34
	03/2013 से 03/2016	18.64	5.00	3.5	7.75	4.25	3	0.64
	03/2014 से 03/2016	23.33	5.00	3.5	7.75	4.25	2	0.42
	03/2015 से 03/2016	25.56	3.00	3.5	7.75	4.25	1	0.12
बागबहरा, नगरपालिक परिषद	03/2013 से 03/2016	5.06	5.00	3.5	7.75	4.25	3	0.64
	03/2014 से 03/2016	7.27	2.00	3.5	7.75	4.25	2	0.17
	03/2015 से 03/2016	29.45	22.00	3.5	7.75	4.25	1	0.94
पलारी नगर पंचायत	03/2011 से 03/2016	2.95	2.50	3.5	7.75	4.25	5	0.53
	03/2012 से 03/2016	6.60	4.00	3.5	7.75	4.25	4	0.68
	03/2013 से 03/2016	8.10	1.50	3.5	7.75	4.25	3	0.19
	03/2014 से 03/2016	9.22	1.00	3.5	7.75	4.25	2	0.08
	03/2015 से 03/2016	10.48	1.00	3.5	7.75	4.25	1	0.04
रतनपुर नगरपालिक परिषद	03/2011 से 03/2016	1.96	1.50	चालू खाता	7.75	7.75	5	0.58
	03/2012 से 03/2016	3.07	1.50	चालू खाता	7.75	7.75	4	0.47
	03/2013 से 03/2016	5.99	2.50	चालू खाता	7.75	7.75	3	0.58
	03/2014 से 03/2016	8.30	2.50	चालू खाता	7.75	7.75	2	0.39
	03/2015 से 03/2016	9.67	1.50	चालू खाता	7.75	7.75	1	0.11
खैरागढ़ नगरपालिक परिषद	03/2011 से 03/2016	12.94	10.00	3.5	7.75	4.25	5	2.13
	03/2012 से 03/2016	14.16	4.00	3.5	7.75	4.25	4	0.68
	03/2013 से 03/2016	17.04	3.00	3.5	7.75	4.25	3	0.38
	03/2014 से 03/2016	19.10	2.00	3.5	7.75	4.25	2	0.17
	03/2015 से 03/2016	21.58	2.00	3.5	7.75	4.25	1	0.09
खरोरा नगर पंचायत	03/2012 से 03/2016	2.20	2.00	3.5	7.75	4.25	4	0.34
	03/2013 से 03/2016	4.73	2.50	3.5	7.75	4.25	3	0.32
	03/2014 से 03/2016	7.74	3.00	3.5	7.75	4.25	2	0.26
	03/2015 से 03/2016	14.44	7.00	3.5	7.75	4.25	1	0.29
बस्तर नगर पंचायत	03/2013 से 03/2016	1.10	1.00	3.5	7.75	4.25	3	0.13
	03/2014 से 03/2016	1.60	0.50	3.5	7.75	4.25	2	0.04
	03/2015 से 03/2016	2.88	1.00	3.5	7.75	4.25	1	0.04
योग								**47.05**

परिशिष्ट 5.1.1

(संदर्भित कंडिका 5.1.2; पृष्ठ 77)

बकाया दुकान प्रीमियम एवं किराया को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	नाम	आवंटन माह	ऑफसेट मूल्य	ऑफर मूल्य	भुगतान	बकाया प्रीमियम	किराया / माह	बकाया माह	बकाया किराया
				2011–12					
1	हरीश मोटवानी	01/07/12	173000	385000	385000	0	800	–	–
2	एम. धनलक्ष्मी	01/07/12	173000	472000	472000	0	800	–	–
3	मुकेश अंबुबानी	01/07/12	173000	411100	411100	0	800	42	33600
4	रमेश ठाकुर	01/07/12	173000	625000	625000	0	800	–	–
5	जहरी ओराँव	01/07/12	173000	375000	375000	0	800	42	33600
6	अनिल कुमार छाबड़ा	01/07/12	173000	421000	421000	0	800	42	33600
7	कमल किशोर शर्मा	01/07/12	173000	500999	500999	0	800	42	33600
8	कार्तिक राम बघेल	01/07/12	173000	391000	261250	129750	800	42	33600
9	रजनी मोटवानी	01/07/12	173000	415000	415000	0	800	–	–
10	शिशिकरण यादव	01/07/12	173000	800551	800551	0	800	–	–
11	वृन्दा बाई नायक	01/07/12	173000	442701	442701	0	800	–	–
12	दुर्गा प्रसाद थवैत	01/07/12	173000	500000	500000	0	800	–	–
योग (2011–12)				**5739351**	**5609601**	**129750**	**–**	**–**	**168000**
				2012–13					
13	पुशनाथ टोप्पो	01/04/13	150000	169700	37500	132200	500	47	23500
14	श्रुति पाण्डेय	01/04/13	150000	166000	78750	87250	500	47	23500
15	अर्चना डालमिया	01/04/13	150000	166000	87500	78500	500	47	23500
16	योगेश कुमार	01/04/13	150000	166000	79000	87000	500	47	23500
17	दिलीप कुमार बाजपेयी	01/04/13	150000	165000	75000	90000	500	47	23500
18	लता पटेल	01/04/13	150000	166000	79000	87000	500	47	23500
19	दीपा गुप्ता	01/04/13	150000	168000	79500	88500	500	47	23500
20	मनोज शर्मा	01/04/13	150000	165000	78750	86250	500	47	23500
21	नीता	01/04/13	150000	166000	79500	86500	500	47	23500
22	विश्वजीत सरकार	01/04/13	150000	165300	165300	0	500	47	23500
23	पुनी राम रजक	01/04/13	150000	165500	115500	50000	500	47	23500
24	युराज सिंह	01/04/13	150000	168000	87500	80500	500	47	23500
25	भुनेश्वर सिंह	01/04/13	150000	165000	98750	66250	500	47	23500
26	नन्द कुमार पटेल	01/04/13	150000	168999	105000	63999	500	47	23500
27	गिरिजा सिन्हा	01/04/13	150000	166000	79000	87000	500	47	23500
28	पी. पाल	01/04/13	150000	170000	87500	82500	500	47	23500
29	संगीता जैन	01/04/13	150000	166200	79100	87100	500	47	23500
30	विशाल जैन	01/04/13	150000	165000	78750	86250	500	47	23500
31	सुनीता अग्रवाल	01/04/13	150000	165000	79000	86000	500	47	23500
32	विजय भगत	01/04/13	250000	278000	232000	46000	500	47	23500
33	लता पटेल	01/04/13	150000	165000	79000	86000	500	47	23500
34	धर्मा कंकरवाल	01/04/13	150000	166000	166000	0	500	47	23500
35	मनीष कंकरवाल	01/04/13	150000	168555	168555	0	500	47	23500
36	राम अवतार अग्रवाल	01/04/13	250000	275100	132500	142600	600	47	28200
37	शारदा भवाते	01/04/13	250000	276200	276200	0	600	47	28200
38	बलराम प्रसाद साहू	01/04/13	250000	276200	276200	0	600	47	28200
39	रवि पोपटानी	01/04/13	250000	278000	278000	0	600	47	28200

40	श्रीचन्द तलरेजा	01/04/13	250000	278000	278000	0	600	47	28200
41	राखी लालवानी	01/04/13	250000	275000	145250	129750	600	47	28200
42	इन्द्र कुमार पोपटानी	01/04/13	250000	279000	279000	0	600	47	28200
43	कविता	01/04/13	250000	280000	255000	25000	600	47	28200
44	अशोक चौहान	01/04/13	250000	403000	403000	0	600	47	28200
45	संध्या	01/04/13	250000	295000	136250	158750	600	47	28200
46	जितेन्द्र थवैत	01/04/13	250000	278000	201000	77000	500	47	23500
47	मनोज गुप्ता	01/04/13	150000	185000	83750	101250	400	47	18800
48	जय जय उदासी	01/04/13	150000	192000	85500	106500	400	47	18800
49	योगेश कुमार	01/04/13	25000	276500	131625	144875	600	47	28200
50	मनीष चौहाठा	01/04/13	25000	278000	132000	146000	600	47	28200
51	सलेश कुमार गौंड	01/04/13	25000	276000	62500	213500	600	47	28200
52	यशवंत विश्वकर्मा	13/02/14	250000	277501	131875	145626	600	36	21600
53	बरखा उदासी	13/02/14	250000	278000	70000	208000	600	36	21600
54	प्रकाश शर्मा	13/02/14	250000	275765	70000	205765	600	36	21600
55	बरखा उदासी	13/02/14	250000	280000	70000	210000	600	36	21600
56	प्रकाश शर्मा	13/02/14	250000	276175	70000	206175	600	36	21600
57	रेखा जाधव	13/02/14	150000	167765	42000	125765	600	36	21600
58	रंजना साई	13/02/14	150000	167400	46850	120550	600	36	21600
59	अभय किशोर	01/05/13	241870	266100	126993	139107	900	46	41400
60	मनोहर चौहान	01/05/13	241870	268000	127468	140532	900	46	41400
61	सुरेश कुमार जटवार	01/05/13	241870	267200	67000	200200	900	46	41400
62	बसंत वीर उपाध्याय	01/05/13	241870	267000	127468	139532	900	46	41400
63	केशरी सारधी	01/05/13	241870	266399	127068	139331	900	46	41400
64	कविता सारथी	01/05/13	241870	266100	60468	205632	900	46	41400
65	यशवंत राज सिंह	01/05/13	241870	268000	85468	182532	900	46	41400
66	एन.आर. सिंह	01/05/13	241870	271565	68000	203565	900	46	41400
67	मीनाक्षी चौहान	01/10/13	198900	218800	60468	158332	350	41	14350
68	मीनाक्षी चौहान	01/10/13	198900	218790	49725	169065	350	41	14350
69	कमलेश	01/10/13	198900	221000	49725	171275	350	41	14350
70	राजेन्द्र चौहान	01/10/13	198900	225000	105975	119025	350	41	14350
71	अंजु लता चौहान	01/10/13	198900	225000	105975	119025	350	41	14350
72	सुरेश कुमार	01/10/13	198900	222768	49725	173043	350	41	14350
73	संदीप	01/04/13	336300	370000	176555	193445	1100	47	51700
74	रंजीत कुमार जटवार	01/10/13	173000	255000	143500	111500	800	41	32800
75	गायत्री नागवंशी	01/10/13	173000	245000	239000	6000	800	41	32800
76	चंद्रपाल मोटवानी	01/10/13	173000	572000	572000	0	800	0	0
77	राजेश मिरी	01/10/13	173000	251000	93500	157500	800	41	32800
78	सुनील चौहान	01/10/13	173000	307000	307000	0	800	41	32800
79	लालचंद मूलचंदानी	01/10/13	173000	260000	260000	0	800	41	32800
80	राहुल साहू	01/10/13	173000	351000	133500	217500	800	41	32800
81	नूजहत प्रवीण	01/01/13	150000	165000	165000	0	400	50	20000
82	विक्रम चौहान	01/01/13	150000	165000	78750	86250	400	50	20000
83	गौरी बाई	01/01/13	150000	165000	105000	60000	400	50	20000
84	लोचन प्रसाद	01/01/13	150000	170000	77500	92500	400	50	20000
85	जितेन्द्र थवैत	01/05/13	180000	201000	201000	0	400	46	18400
86	अमृतलाल खुन्ते	01/05/13	180000	190000	190000	0	400	46	18400
87	मयंक चौहान	01/05/13	180000	198000	45000	153000	400	46	18400
88	दिलीप कुमार भगत	13/02/14	180000	204000	51000	153000	400	36	14400

89	रमेश कुमार थवैत	13/02/14	50000	78000	39500	38500	200	36	7200
90	सुधीर कुमार	01/06/13	100000	110000	51000	59000	600	45	27000
91	कमलेश	01/06/13	100000	110000	52500	57500	600	45	27000
92	किरण पंडा	01/06/13	100000	110000	51000	59000	600	45	27000
93	मसंद	01/06/13	100000	110000	52500	57500	600	45	27000
94	पूनम जेधानी	01/06/13	100000	111000	25000	86000	600	45	27000
95	पुष्पा मटानी	01/06/13	100000	112000	25000	87000	600	45	27000
96	हीरा भोजवानी	01/06/13	100000	114000	25000	89000	600	45	27000
97	विधि मिश्रा	13/02/14	100000	121000	121000	0	600	0	0
98	भोगेन्द्र मन्हर	13/02/14	100000	168000	87500	80500	400	36	14400
99	भरत राम	13/02/14	100000	166504	166504	0	400	36	14400
100	मीता पंडा	13/02/14	100000	154412	82200	72212	300	36	10800
101	किरण थेथवार	13/02/14	100000	157000	43500	113500	300	36	10800
योग (2012–13)				**19226498**	**10823990**	**8402508**	**–**	**–**	**2181400**
महायोग				**24965849**	**16433591**	**8532258**	**–**	**–**	**2349400**

परिशिष्ट 5.1.2

(संदर्भित कंडिका 5.1.3; पृष्ठ 78)

कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	माह	प्रमाणक क्र./ दिनांक	देयक राशि	कलेक्टर दर के अनुसार मजदूरी भुगतान	कर्मचारी अंशदान (12 प्रतिशत)	नियोक्ता अंशदान
नियोक्ता अंशदान (13.61 प्रतिशत)						
1	अगस्त 12	–	492420	356402	42768	48506
2	सितम्बर 12	–	497216	359864	43184	48977
3	अक्टूबर 12	–	499975	373653	44838	50854
4	नवम्बर 12	–	483099	361268	43352	49169
5	दिसम्बर 12	–	499970	373803	44856	50875
6	जनवरी 13	–	499514	373446	44814	50826
7	फरवरी 13	–	501862	375210	45025	51066
8	मार्च 13	08–12/04/13	497207	371726	44607	50592
9	अप्रैल 13	79–22/05/13	498417	396443	47573	53956
10	मई 13	118–01/07/13	486857	387109	46453	52686
11	जून 13	156–22/07/13	496217	394629	47355	53709
12	जुलाई 13	285–07/10/13	491636	390934	46912	53206
13	अगस्त 13	285–07/10/13	491636	390934	46912	53206
14	सितम्बर 13	285–07/10/13	490724	390223	46827	53109
15	अक्टूबर 13	–	478879	397832	47740	54145
16	नवम्बर 13	409–19/12/13	492369	409018	49082	55667
17	दिसम्बर 13	–	491595	408344	49001	55576
18	जनवरी 14	–	498185	413815	49658	56320
19	फरवरी 14	655–13/03/14	496474	412374	49485	56124
20	मार्च 14	22–07/04/14	488252	405489	48659	55187
21	अप्रैल 14	80–12/05/14	489575	430591	51671	58603
22	मई 14	107–17/06/14	485496	426952	51234	58108
23	जून 14	176–25/07/14	476557	419165	50300	57048
24	जुलाई 14	200–08/08/14	495389	435772	52293	59309
25	अगस्त 14	259–18/09/14	492431	433125	51975	58948
26	सितम्बर 14	–	551104	442803	53136	60265
27	अक्टूबर 14	382–17/11/14	554622	449636	53956	61195
28	नवम्बर 14	428, 429–09/12/14	556304	450995	54119	61380
29	दिसम्बर 14	491, 492–02/01/15	564005	457304	54876	62239
कर्मचारी अंशदान (13.36 प्रतिशत)						
30	जनवरी 15	544, 545–03/02/15	562467	456055	54727	60929
31	फरवरी 15	631, 632–05/03/15	569098	457347	54882	61102
32	मार्च 15	18, 20–07/04/15	544165	437349	52482	58430
33	अप्रैल 15	86, 87–12/05/15	526797	444127	53295	59335
34	मई 15	–16/06/15	551223	443015	53162	59187
35	जून 15	–	482476	440602	52872	58864
36	जुलाई 15	–	485200	443089	53171	59197
37	अगस्त 15	–	487177	444895	53387	59438
38	सितम्बर 15	–	474026	432885	51946	57833
कुल			**1,92,20,616**	**1,56,88,223**	**18,82,585**	**21,25,166**

©
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
2017
www.cag.gov.in

Email : agauchhattisgarh@cag.gov.in